रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1668] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2015/श्रावण 19, 1937
No. 1668] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2015 /SRAVANA 19, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2015

का. आ. 2162(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 (4) के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. पी. गर्ग की अध्यक्षता में गठित अधिकरण, जिसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 (1) के अंतर्गत यह न्याय-निर्णय करने के लिए एक संदर्भ भेजा गया था कि क्या असम के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एन डी एफ बी) नामक संगम को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, का आदेश आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

[सं.11011/29/2014-एन ई-V]

शंभू सिंह, संयुक्त सचिव

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967

के अंतर्गत अधिकरण के समक्ष

निम्नलिखित के मामले में:

असम का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एन डी एफ बी)

और निम्नलिखित मामले में:

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 (1) के अंतर्गत संदर्भ

रिपोर्ट

21.05.2015

1. श्री दिलीप कुमार संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 नवंबर, 2014 को इस आशय की एक अधिसूचना का. आ. 2956 (अ) जारी की गई थी कि केन्द्र सरकार की यह राय है कि असम के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् एन डी एफ बी कहा गया है) की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं और कि यह एक विधिविरुद्ध संगम है।

2. केन्द्र सरकार की यह भी राय थी कि यदि एन डी एफ बी की विधिविरुद्ध गतिविधियों को नियंत्रण में नहीं रखा गया तो उक्त संगठन फिर से संगठित हो जाएगा तथा फिर से हथियार उठा लेगा, नई भर्तियां करेगा, हिंसक, आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त हो जाएगा, निधियां इकट्ठी करेगा और निर्दोष नागरिकों तथा सुरक्षा बल कार्मिकों के जीवन को खतरे में डालेगा; और अत: मौजूदा परिस्थितियों में एन डी एफ बी को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है। परिणामस्वरूप, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने एन डी एफ बी को विधिविरुद्ध संगम घोषित कर दिया था।

3. केन्द्र सरकार की यह भी राय थी कि एन डी एफ बी को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है और तद्नुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने यह निदेश दिया कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए गए किसी आदेश के अध्यधीन, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

4. उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के प्रयोजनों के लिए, केन्द्र सरकार की यह राय थी कि एन डी एफ बी:

(i) पृथक बोडोलैण्ड स्थापित करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को विच्छिन्न करने वाले या विच्छिन्न करने का आशय रखने वाले अवैध और हिंसात्मक क्रियाकलापों में लिप्त रहा है;

(ii) पृथक बोडोलैण्ड के सृजन के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भूमिगत संगठनों के साथ संबद्ध रहा है;

(iii) विधिविरुद्ध और हिंसक क्रियाकलापों में लगा हुआ है, इस प्रकार उसने भारत सरकार तथा असम सरकार के प्राधिकार को कम किया है और जनता में आतंक और संत्रास फैलाया है;

(iv) अपनी योजनाओं और गतिविधियों के वित्तपोषण और निष्पादन की दृष्टि से समाज के विभिन्न वर्गों से जबरन धन वसूली में संलिप्त रहा है;

(v) अपने आतंकवादी और विद्रोही क्रियाकलापों को जारी रखने के उद्देश्य से नए काडरों की भर्ती के लिए व्यवस्थित अभियान चला रहा है;

(vi) गैर-बोडो लोगों में डर और असुरक्षा फैलाने के उद्देश्य से हत्याकाण्ड और नृजातीय हिंसा फैला रहा है जिसके परिणामस्वरूप असम के बोडो प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में रह रहे गैर-बोडो लोगों की हत्या हुई है, उनकी संपत्ति नष्ट हुई है;

(vii) अपने पृथकतावादी क्रियाकलापों को चलाने के लिए देश की सीमा के पार शिविरों और छिपने के ठिकानों की स्थापना कर रहा है।

5. हिंसक गतिविधियों के संबंध में केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित को शामिल किया:

(i) वर्ष 2013 में हिंसा की तिरानवे घटनाओं में तीन सुरक्षा बल कार्मिकों सहित सोलह व्यक्तियों की हत्या; और

(ii) वर्ष 2014 में (31 जुलाई तक) हिंसा की छिअत्तर घटनाओं में, एक सुरक्षा बल कार्मिक सहित चौहत्तर व्यक्तियों की हत्या।

6. इन परिस्थितियों में और उक्त अधिनियम की धारा 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री शंभू सिंह, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह न्याय-निर्णय करने के लिए कि क्या एन डी एफ बी को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने का पर्याप्त कारण है अथवा नहीं, जारी की गई दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. का. आ. 3250 (अ) के द्वारा एक सदस्यीय अधिकरण का गठन किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 4(3) के तहत अधिकरण द्वारा यह न्याय-निर्णय किया जाना अपेक्षित था कि क्या उक्त अधिनियम की धारा 2(त) के अंतर्गत परिभाषित अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर एन डी एफ बी को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने का पर्याप्त कारण है अथवा नहीं।

7. अपने मामले के समर्थन में भारत सरकार ने उक्त अधिकरण को एक संदर्भ भेजा और एन डी एफ बी के उद्देश्यों/लक्ष्यों तथा हिंसक गतिविधियों के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया।

8. दिनांक 22.12.2014 को इस अधिकरण को एक संदर्भ प्राप्त हुआ। इसके प्राप्त होने के बाद, दिनांक 24.12.2014 के आदेश के तहत, इस अधिकरण ने इसे दिनांक 08.01.2015 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया। सामग्रियों के अवलोकन पर संतुष्टि रिकॉर्ड करने के बाद, एन डी एफ बी को उक्त अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया जिसमें उक्त नोटिस की

तामीली की तारीख से 30 दिन के भीतर यह कारण बताने के लिए कहा गया कि उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत की गई घोषणा की अभिपुष्टि करते हुए आदेश जारी क्यों न किया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि नोटिस की तामीली उसी तरीके से की जाएगी जिस तरीके से एन डी एफ बी पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना की तामीली निम्नलिखित तरीके से की गई थी:-

(i) उक्त संगम के कार्यालयों, यदि कोई हों, के किसी प्रमुख भाग पर उक्त नोटिस की प्रतियां चिपका कर;

(ii) असम के एन डी एफ बी को नोटिस की प्रति की तामीली दैनिक दो समाचार पत्रों में प्रकाशन के द्वारा भी की जाए जिनमें से एक राष्ट्रीय समाचार-पत्र (अंग्रेजी भाषा में) हो तथा दूसरा एक स्थानीय भाषा का कोई ऐसा प्रमुख समाचार पत्र हो जो उस इलाके, क्षेत्र, जहां असम राज्य में उक्त संगठन की स्थापनाओं अथवा मौजूदगी की जानकारी हो, में प्रचलन में हो;

(iii) जिस क्षेत्र में उक्त संगम की गतिविधियां साधारणत: चलाई जाती हों, वहां उक्त नोटिस की विषय-वस्तु की ढोल पीटकर अथवा लाउडस्पीकरों के माध्यम से उद्घोषणा करके;

(iv) एन डी एफ बी के पदाधिकारियों को नोटिस की तामीली इसके पते पर भी की जाए अथवा यदि वे नजरबंद हों तो संबंधित अधीक्षक (जेल) के माध्यम से;

(v) असम राज्य के स्थानीय प्रसारण एवं ट्रांसमिशन केन्द्रों से आकाशवाणी पर उद्घोषणा के द्वारा तथा दूरदर्शन पर प्रसारण के द्वारा;

(vi) नोटिस को जिला अथवा तहसील मुख्यालयों पर, जैसा मामला हो, जहां संगम का प्रमुख कार्यालय स्थित हो, जिला मजिस्ट्रेट और तहसीलदार के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाकर।

(vii) गृह मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.nic.in) पर प्रकाशित करके; और

9. उपर्युक्त के अतिरिक्त, ई-मेल आदि सहित अन्य सभी संभावित तरीकों से भी नोटिस जारी किए जाने का निदेश दिया गया। सुनवाई की अगली तारीख दिल्ली में 26 फरवरी, 2015 को अपराह्न 4.00 बजे निर्धारित की गई।

10. दिनांक 8 जनवरी, 2015 के आदेश के अनुसरण में, असम राज्य ने प्रकाशन सहित विभिन्न तरीकों से उक्त संगम को नोटिस की तामीली करने के बारे में असम सरकार के संयुक्त सचिव श्री महादानंदा का दिनांक 23 फरवरी, 2015 का शपथपत्र प्रस्तुत किया। तथापि, सरकार के दिनांक 23 नवंबर, 2014 के नोटिस और अधिसूचना की तामीली एन डी एफ बी के उन गुटों, जिन्हें सामान्यत: एन डी एफ बी (सोनबीजित गुट) अथवा एन डी एफ बी (वार्ता विरोधी गुट) के रूप में जाना जाता है तथा उक्त गुट, जो कार्रवाई निलंबन करार का भाग नहीं थे, को व्यक्तिगत रूप से नहीं की जा सकी क्योंकि उनके कार्यालय अथवा पते का पता नहीं लगाया जा सका। केन्द्र सरकार ने निर्धारित तरीकों से उक्त संगम (एन डी एफ बी) को तामीली करने के बारे में सुश्री नीता गुप्ता, उप सचिव, गृह मंत्रालय का दिनांक 25 फरवरी, 2015 का एक शपथपत्र भी दायर किया। दिनांक 26 फरवरी, 2015 की इसकी कार्यवाहियों में यह पाया गया कि असम राज्य तथा भारत संघ की ओर से दायर शपथपत्रों में जेलों में बंद एन डी एफ बी के पदाधिकारियों के माध्यम से तामीली किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया था। तद्नुसार, एन डी एफ बी के पदाधिकारियों अथवा सदस्यों, जो उनके विरुद्ध दर्ज विभिन्न आपराधिक मामलों में न्यायिक अभिरक्षा में थे, को पर्याप्त और उचित अवसर प्रदान करने के लिए संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से दिनांक 17 मार्च, 2015 को पुन: प्रत्यावर्त्य नया नोटिस तामील कराने का आदेश दिया गया।

11. जारी किए गए निदेशों के अनुपालन में, 12 विभिन्न जेलों (केन्द्रीय और जिला) में एन डी एफ बी के पदाधिकारियों/सदस्यों को संबंधित जेल अधीक्षकों के माध्यम से दिनांक 4/5/6/7 मार्च, 2015 को नोटिस की उचित तामीली के बारे में श्रीमती नीता गुप्ता, उप सचिव, गृह मंत्रालय और श्री एम. हजारिका, संयुक्त सचिव द्वारा अतिरिक्त शपथपत्र दायर किए गए। संबंधित जेल अधीक्षकों के नोटिस, तामीली के संबंधित पत्र, श्री महादानंदा हजारिका द्वारा दायर अतिरिक्त शपथपत्र और जेल महानिरीक्षक, खानपाड़ा, गुवाहाटी, असम के दिनांक 7.3.2015 के पत्र के साथ संलग्न किए गए। उक्त शपथपत्र में यह भी नोट किया गया कि उदालगिरि जेल में नजरबंद काडरों ने तामील किए गए कारण बताओ नोटिस पर अपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।

12. उचित तामीली के बावजूद, दिनांक 17.03.2015 को अधिकरण के समक्ष एन डी एफ बी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने की उनकी इच्छा के बारे में संगठन की ओर से कोई याचिका/संदेश/उत्तर/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तद्नुसार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(2) के अंतर्गत, असम के एन डी एफ बी के पदाधिकारियों/सदस्यों को नोटिस की तामीली की तारीख से 30 दिनों का समय दिया गया ताकि वे इस बात के लिए, कि इस संगम को विधिविरुद्ध क्यों न घोषित किया जाए, 4/5/6/7 अप्रैल, 2015 को या इससे पूर्व, जैसा भी मामला हो, व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से स्वयं को प्रस्तुत कर सकें।

13. समर्थक दस्तावेजों (यदि कोई है) के साथ शपथपत्रों के रूप में साक्ष्य दर्ज करने के लिए 17.03.2015 को दो सप्ताह का समय प्रदान किया गया।

14. अनुरोध किए जाने पर, अधिकरण ने शिलांग में साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए 11 और 12 अप्रैल, 2015 दो तारीखों को पूर्वाह्न में 10.30 बजे निर्धारित किया। शेष साक्ष्यों के लिए, अधिकरण में काजीरंगा में 20 और 21 अप्रैल, 2015 पूर्वाह्न में 10.30 बजे का समय निर्धारित किया। राज्य सरकार को निदेश दिया गया कि अधिकरण की बैठक की तारीखों और स्थान के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों में और मीडिया के द्वारा काफी पहले से ही प्रचार किया जाए।

15. दिनांक 4.4.2015 को, समर्थक दस्तावेजों के साथ सुश्री नीता गुप्ता, उप सचिव का एक सारगर्भित शपथपत्र फाइल किया गया। असम राज्य ने भी पांच खंडों में अपने शपथपत्रों और समर्थक दस्तावेजों के साथ 20 गवाहों की एक सूची प्रस्तुत की।

16. दिनांक 11.04.2015 को अधिकरण ने 10.30 बजे पूर्वाह्न में शिलांग में ऑर्चिड में अपनी कार्यवाहियां शुरू कीं। एन डी एफ बी ने 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था और दिनांक 17.03.2015 के आदेश के अनुसार कोई आपत्तियां भी प्राप्त नहीं हुईं थीं। एन डी एफ बी संगठन के खिलाफ एक तरफा कार्यवाहियां की गईं। असम राज्य के विद्वान वकील ने यह दिखाने के लिए कि शिलांग में इस अधिकरण के सुनवाई के स्थान और तारीख के बारे में उचित पब्लिक नोटिस दिया गया था, समाचार-पत्रों और प्रकाशनों की मूल प्रतियां प्रस्तुत कीं। इन्हें रिकार्ड में लिया गया। असम राज्य ने आठ गवाह पेश किए और इनसे पूछताछ की। कार्यवाहियों को 12 अप्रैल, 2015 तक के लिए आस्थगित कर दिया गया। दिनांक 12.04.2015 को उसी स्थान पर, असम राज्य ने चार गवाहों से पूछताछ की। अधिकरण की अगली बैठक काजीरंगा, असम में 20 और 21 अप्रैल को 10.30 बजे पूर्वाह्न में आयोजित होनी थी। दिनांक 20.04.2015 को, असम के गोलाघाट जिले में काजीरंगा के निकट कोहोरा में डी आर डी ए गेस्ट हाऊस में कार्यवाहियां शुरू की गईं। असम राज्य द्वारा सार्वजनिक नोटिस आदि के संबंध में दायर किए गए मूल समाचार पत्रों/प्रकाशनों को रिकॉर्ड में लिया गया था। असम राज्य ने एस डब्ल्यू-6, जिसे पुन: जांच के लिए बुलाया गया था, के बयान के अलावा छह गवाहों के बयान लिए गए। केन्द्र सरकार की ओर से सी डब्ल्यू-1 सुश्री नीता गुप्ता का बयान दर्ज किया गया। दिनांक 21.04.2015 को 10.30 बजे प्रात: डी आर डी ए अतिथि गृह, कोहोरा में एक और गवाह एस डब्ल्यू-20 का बयान रिकॉर्ड किया गया था। असम राज्य ने और ज्यादा गवाहों के बयान लिए जाने के लिए अपनी इच्छा जताई है। तद्नुसार, शेष बचे गवाहों के बयानों को रिकॉर्ड करने के लिए अगली तारीख न्यायालय सं. 32 दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर में 6 मई, 2015 को 3.30 बजे सायं निर्धारित की गई थी। उस दिन असम राज्य द्वारा भेजे गए मूल समाचार पत्र/प्रकाशनों को रिकार्ड में लिया गया था। एस डब्ल्यू-21 तथा एस डब्ल्यू-17, जिसे बयान के लिए पुन: बुलाया गया था, का बयान लिया गया। केन्द्र सरकार तथा असम राज्य ने अपने-अपने साक्ष्यों को बंद (क्लोज्ड) किया। एक सीलबंद लिफाफा, जिसमें अधिकरण के रजिस्ट्रार को पहले ही दिनांक 24.04.2015 को प्रस्तुत की जा चुकी गोपनीय सूचनाएं थीं, को रिकार्ड में लिया गया था। दिनांक 8 मई, 2015 को अंतिम दलीलें सुनी गईं। पक्षों को लिखित निवेदन (यदि कोई हो) प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए थे। तदुपरांत, संक्षिप्त लिखित निवेदन प्राप्त किए गए थे।

17. ऊपर संदर्भित कार्यवाहियां यह प्रदर्शित करती हैं कि केन्द्र सरकार तथा असम राज्य, दोनों ने अधिसूचना के समर्थन में विभिन्न गवाहों के बयान लिए थे। विभिन्न तरीकों से नोटिस के समुचित वितरण के बावजूद एन डी एफ बी की ओर से कोई भी इस अधिसूचना के विरोध में उपस्थित नहीं हुआ। उन पर एक तरफा कार्रवाई की गई थी। केन्द्र/असम राज्य द्वारा जांच किए गए किसी भी अभियोजन पक्ष के गवाह की संगठन की ओर से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी। एन डी एफ बी अंतिम निपटान तक एक तरफा बना रहा। उक्त पूछताछ में किसी भी आम नागरिक ने हिस्सा नहीं लिया।

18. सी डब्ल्यू-1 ने आगे यह उद्घाटित किया कि उक्त संगठन को वर्ष 1992 में पहली बार प्रतिबंधित किया गया था।

साक्ष्य

असम राज्य तथा केन्द्र सरकार के मार्ग दर्शन में साक्ष्यों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:-

19. एस डब्ल्यू-1 डॉ. संयुक्ता पाराशर, भारतीय पुलिस सेवा, पुलिस अधीक्षक, सोनितपुर ने शपथपत्र (प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/1) के रूप में अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसमें बिंदु 'क' एवं 'ख' पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने यह बताया कि उनके क्षेत्राधिकार के तहत जिला सोनितपुर में एन डी एफ बी के सदस्य सक्रिय हैं और वे सरकार के प्राधिकार को कमजोर करने तथा आम लोगों के बीच आतंक फैलाने की कोशिश के रूप में बड़े पैमाने पर विधिविरुद्ध एवं हिंसक गतिविधियों में संलिप्त हैं। वे निर्दोष नागरिकों की हत्या करने/अपहरण करने/धमकाने, व्यापारियों से धन उगाही करने के लिए कॉल करने तथा इसके साथ ही कानून व्यवस्था को कमजोर करने हेतु सुरक्षा बलों को निशाना बनाने जैसी गतिविधियों में संलिप्त होकर राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने की कोशिश करते रहे हैं। उस प्रक्रिया में उन्होंने नागरिकों के सामान्य जीवन में बाधाएं खड़ी की हैं।

20. उन्होंने यह भी कहा कि जनवरी, 27, 2014 को लगभग 1.30 बजे अपराह्न धेकियाजूली पुलिस थाना के तहत लौडंगी के पास हंखाईपुर वन-ग्राम क्षेत्र में एन डी एफ बी के काडरों के ठहरने की सूचना प्राप्त होने पर गुलजार हुसैन, एस पी एस, अपर पुलिस अधीक्षक (एस), सोनितपुर की अगुवाई में असम पुलिस तथा भारतीय सेना द्वारा एक खोज अभियान संचालित किया गया था। उक्त पुलिस दल द्वारा एन डी एफ बी (एस) के एक संदिग्ध काडर खम्बीर बासुमातारी को गिरफ्तार किया गया था। खोज-अभियान के बाद जब पुलिस दल उक्त संदिग्ध को पकड़कर ले जा रहा था, तभी दिनांक 28.1.2014 को लगभग 7.30 बजे मौरियापुर सेंटर पर एन डी एफ बी काडरों के एक संदिग्ध समूह ने पुलिस दल पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) स्व. गुलजार हुसैन, उनके पी एस ओ लांसनायक हीराज भाराली, कांस्टेबल, उमाकांत बैलंग, कांस्टेबल राबुल बोरा ने कमांडो बटालियन कार्मिकों के साथ मिलकर आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की थी। दोनों तरफ से गोलीबारी आधे घंटे तक जारी रही थी। गुलजार हुसैन तथा दल के अन्य सदस्यों और दो सिविलियनों नामत: जनक बासुमातारी और आनला बासुमातारी को गोली लगने से चोटें आयी थीं। तदुपरांत, अपर पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) की चोटों के कारण कनकलता सिविल अस्पताल, तेजपुर ले जाते समय मौत हो गई। आनला बासुमातारी को डॉक्टर ने मृत घोषित किया था। अन्य चोटग्रस्त व्यक्तियों को आगे के चिकित्सा उपचार के लिए जी एम सी एच रेफर किया गया था। घटनास्थल से प्राप्त अन्य वस्तुओं में, ए के-47 के 39 कारतूस खोखे जब्त किए गए थे। पुलिस थाना-धेकियाजूली में भारतीय दंड संहिता की धारा 326/307/302/353/34 के अंतर्गत एफ आई आर सं. 61/2014 द्वारा एक मामला पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अब तक चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से दो व्यक्ति प्रतिबंधित संगठन एन डी एफ बी के सक्रिय सदस्य पाए गए थे। पुलिस दल पर

किया गया हमला पूर्व-नियोजित था। उनमें से एक के बयान से यह उद्घाटित हुआ था कि किस प्रकार से उक्त अभियुक्त वर्ष 2014 में आदिवासी लोगों की हत्याओं में शामिल था। एस डब्ल्यू-1 ने आगे दस्तावेजों अर्थात् एफ आई आर (प्रदर्श एस डब्ल्यू-1/2), मेमो की जब्ती जिन्हें एक साथ प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/3 के रूप में प्रदर्शित किया गया है; विचारण रिपोर्ट (प्रदर्श. एस डब्ल्यू1/4); पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/3); चोट संबंधी रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू1/6); शिकायतकर्ता का बयान (प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/7) को प्रमाणित किया; गवाहों के बयानों की प्रमाणित प्रतियां एक साथ प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/8 के रूप में दर्शाई गई हैं तथा दोषी व्यक्तियों के बयानों की प्रमाणित प्रतियां एक साथ एस डब्ल्यू-1/9 के रूप में प्रदर्शित की गई हैं।

21. तेजपुर पुलिस थाने में पंजीकृत एफ आई आर सं. 1429/14 के मामले में उन्होंने कहा कि स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 15.12.2014 को लगभग 9.30 बजे पुलिस दल तथा असम राइफल्स के सदस्य और कोबरा की 201 बटालियन ने भोमोरागुड़ी सेतु के नजदीक सोनितपुर जिले की ओर आने वाले सभी वाहनों की जांच शुरू की थी। लगभग 5.30 बजे अपराह्न दो व्यक्ति एक अपंजीकृत मोटर साइकिल पर नागांव से तेजपुर की ओर आते हुए पाए गए। उक्त मोटर साइकिल को रोककर छानबीन की गई। छानबीन करने पर एक थैला मिला, जिसमें एक एम-39 ग्रेनेड लांचर, 40 एम एम के 16 ग्रेनेड सहित विभिन्न हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की जय सिंह नरजारी उर्फ जमील उर्फ जलील तथा श्रीमती बेलसीरी नरजारी उर्फ रावा उर्फ कैरंग बेइपी के रूप में पहचान की गई। विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ई एस अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित (आई) (ए) आयुध अधिनियम, की धारा 25(1)(क) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120(ख)/121/121क/122 के अंतर्गत एक एफ आई आर पंजीकृत की गई थी। जांच पड़ताल के दौरान दोषी व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि वे प्रतिबंधित संगठन एन डी एफ बी (एस) के सक्रिय सदस्य हैं और उक्त संगठन के काडरों को हथियारों की आपूर्ति करने के लिए हथियार और गोलाबारूद नागालैण्ड से लाते हैं। उन्होंने एफ आई आर (प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/10); जब्ती सूची की प्रति (प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/11); शिकायतकर्ता के बयान की प्रति (प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/12); प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/13 के रूप में एक साथ प्रदर्शित गवाहों के बयान; प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/14 के रूप में एक साथ प्रदर्शित दोषी व्यक्तियों के बयान; आयुधसाज की रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/15) की प्रमाणित प्रतियों की जांच की थी।

22. उक्त गवाह ने आगे कहा कि 3 और 4.5.2014 की मध्य रात्रि को लगभग 12.30 बजे प्रतिबंधित संगठन एन डी एफ बी (एस) के सदस्यों के हलचल की स्रोत सूचना प्राप्त होने पर पहाड़पुर/लाइजंगपाड़ा के सामान्य क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था। लगभग 9.30 बजे प्रात: चार संदिग्ध एन डी एफ बी (एस) उग्रवादी उत्तरी दिशा की फूटहिल्स से होते हुए लाइजंगपाड़ा की ओर हथियार ले जाते हुए देखे गए थे। जब उनसे रुकने के लिए कहा गया, तो संदिग्धों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। उनमें से एक संदिग्ध ने सुरक्षा बलों पर हथगोले भी फेंके। उन सभी ने (सुरक्षा बलों ने) आत्म रक्षा में गोली चलाई। यह गोलीबारी लगभग 30 मिनट तक चलती रही। इसके बाद सामान्य क्षेत्र (जनरल एरिया) की अच्छी तरह से तलाशी ली गई तथा दो संदिग्ध व्यक्ति चोटिल अवस्था में पाए गए जिन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए ले जाया गया। उक्त संदिग्ध चोटिल एन डी एफ बी (एस) उग्रवादियों की तलाशी लेने पर उनसे 2 पिस्तौलें, एक जिंदा हथगोला, 3 राउण्ड जिंदा गोलाबारूद, कपड़ों के दो थैले, प्रसाधन सामग्री, तीन मोबाइल फोन तथा प्रतिबंधित संगठन से संबंधित अन्य अभिशंसी दस्तावेज जब्त किए गए। अन्य दो संदिग्ध व्यक्ति गोलीबारी का फायदा उठाते हुए भाग निकले। उन्होंने आगे कहा कि चोटिल उग्रवादियों को तेजपुर अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया तथा उनकी पहचान (1) गणेश बासुमातारी उर्फ बी. गोसाई तथा (2) बोंगू मुसाहरी उर्फ एम. सायामाया के रूप में हुई थी। विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ई. एस. अधिनियम की धारा ¾ के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25 (।) (क)/27(2) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा-121/121 (क)/122/353/307 के अंतर्गत रंगापाड़ा पुलिस थाना सी/सं. 52/14 के तहत एक मामला पंजीकृत किया था। उन्होंने आगे कहा कि छानबीन के दौरान यह उद्घाटित हुआ कि गणेश बासुमातारी उर्फ बी. गोसाई एन डी एफ बी (एस) समूह का स्वयंभू प्लाटून कमांडर था और रंगापाड़ा में शरण लिए हुए था। जबकि, बोगू मुसाहरी उर्फ एम. सायामया उसी प्रतिबंधित संगठन का एक काडर रहा है। वे 5-6 काडरों के समूह में, धन की उगाही, सिविलियनों का अपहरण करने तथा सुरक्षा बलों पर हमला करने के उद्देश्य से अक्सर पहाड़पुर-लायजंगपाड़ा आया-जाया करते थे। वे वर्ष 2013 में एन एच पी सी के एक कर्मचारी अनिल अग्रवाल को अगवा करने में शामिल थे। उन्होंने रिकार्ड के तौर पर एफ आई आर (प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/16); जब्ती सूची (प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/17); प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/18 के रूप में एक साथ दर्शाई गई जब्त दस्तावेजों की प्रतियां; आयुध साज की रिपोर्टों (प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/19) की प्रमाणित प्रतियों; प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/20 के रूप में एक साथ प्रदर्शित जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां; (प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/21) के रूप में एक साथ प्रदर्शित पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां; (प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/22) के रूप में शिकायतकर्ता के बयान की प्रमाणित प्रति तथा प्रदर्श एस डब्ल्यू 1/23 के रूप में एक साथ प्रदर्शित गवाहों के बयानों की प्रमाणित प्रतियों के ऑन रिकॉर्ड सबूत प्रस्तुत किए।

23. एस डब्ल्यू-2 रंजीत सैकिया, जो 24 फरवरी, 2014 से पुलिस थाना- धेकियाजूली, सोनितपुर-जिला, असम में उप-निरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं, ने शपथपत्र (प्रदर्श एस डब्ल्यू 2/1) के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके बिंदु 'क' और 'ख' पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 326/307/302/353/34 के अंतर्गत पुलिस थाना-धेकियाजूली के मामला सं. 61/2014 की तहकीकात का दायित्व दिनांक 28 फरवरी, 2014 को अपने पूर्ववर्ती निरीक्षक धरणी धर डेका से लिया था। उन्होंने सभी संगत पहलुओं पर उसी तर्ज पर एस डब्ल्यू-1 (डॉ. संयुक्ता पाराशर) द्वारा प्रस्तुत विवरण का समर्थन किया है।

उन्होंने आगे यह सूचित किया कि चारों दोषी व्यक्तियों की विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/23 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 27(2) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 326/307/302/353/34 के अंतर्गत मामला एफ आई आर सं. 61/2014 में जांच चल रही है और जनवरी, 2014 से न्यायिक हिरासत में हैं।

24. एस डब्ल्यू-3 श्री शिलादित्य चेटिया, जो दिनांक 18.09.2014 से भारतीय पुलिस सेवा में पुलिस अधीक्षक के रूप में बारपेटा-जिले में कार्यरत हैं, ने शपथपत्र (प्रदर्श एस डब्ल्यू 3/1) के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसके बिंदु 'क' और 'ख' पर उनके हस्ताक्षर हैं। गवाह ने यह खुलासा किया कि दिनांक 17.10.2014 को शिकायतकर्ता हरेन बासुमातारी, ममारगांव राज्य जन स्वास्थ्य केन्द्र के चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी ने इस आशय की एक एफ आई आर सोरभोग पुलिस थाने में दर्ज करायी थी कि दिनांक 27.09.2014 को सायं लगभग 7.00 बजे उसके अपने मोबाइल नं. 7896056358 पर एक मोबाइल सं. 8011981996 से एक फोन आया था। कॉल करने वाले ने अपने आपको एन डी एफ बी (एस) के काडर के रूप में परिचय दिया जो बोडो भाषा बोल रहा था। उसने कामरगांव के राज्य जन स्वास्थ्य केन्द्र के स्टाफ से 5 लाख रु. की मांग की थी और मांग पूरा न होने पर जान से मारने की धमकी दी थी। एक मामला, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 387 के अंतर्गत एफ आई आर सं. 337/2014 के द्वारा पंजीकृत किया गया था। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने दिनांक 10.01.2015 की जी डी प्रविष्टि सं. 302 के तहत गिरफ्तार किए गए दोषी व्यक्ति द्वारा यथा-प्रस्तुत विभिन्न वस्तुओं को जब्त किया था। इन वस्तुओं में मोबाइल हैण्डसेट तथा एक मोटर साइकिल (हीरो होण्डा अचीवर) थी जिसका नं. ए एस-26/3656 था। गवाह ने एफ आई आर (प्रदर्श एस डब्ल्यू 3/2) की प्रमाणित प्रति तथा जी डी प्रविष्टि संख्या 302 (प्रदर्श एस डब्ल्यू 3/3) की प्रति; प्रदर्श एस डब्ल्यू 3/4 के रूप में एक साथ प्रदर्शित जब्ती सूची के साथ-साथ इसकी मूल प्रति की प्रमाणित प्रति; जब्त किए गए प्रदर्शों के छायाचित्र (प्रदर्श एस डब्ल्यू 3/5); गवाहों के बयानों की प्रमाणित अनूदित प्रतियां तथा प्रदर्श एस डब्ल्यू 3/6 के रूप में एक साथ प्रदर्शित इसके मूल बयानों की प्रतियों को प्रमाणित किया। मटुरा नाथ नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और उसके बयान की प्रमाणित अनूदित प्रति को (प्रदर्श एस डब्ल्यू 3/7) के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने विस्तारपूर्वक कहा कि अभियानगत कारणों के चलते एन डी एफ बी के वार्ता-विरोधी गुट को आमतौर पर एन डी एफ बी (ए टी) तथा एन डी एफ बी (एंटी टॉक) अथवा एन डी एफ बी (सोनबिजित) अथवा एन डी एफ बी (एस) के रूप में संदर्भित किया जाता है और जाना जाता है। हालांकि, समग्र रूप में एन डी एफ बी की सत्ता वही रहती है।

25. उन्होंने आगे खुलासा किया कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 387 के अंतर्गत एफ आई आर सं. 337/2014 में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था तथा उसके द्वारा प्रकट की गई बात पर की अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप एक दुपहिया सं. ए एस-26-3656 (हीरो होण्डा अचीवर) जिसका नंबर जाली था, बरामद की गई थी। फोन नं. 8011981996 की कॉल डिटेल्स भी संग्रहीत की गई थी।

26. एस डब्ल्यू-4 सफूर अली, जो वर्ष 2014 से असम के बारपेटा जिले में सरबोग पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के रूप में सेवारत हैं, ने शपथपत्र (प्रदर्श एस डब्ल्यू 4/1) के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत किए जिसके बिंदु 'क' और 'ख' पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने स्वयं के द्वारा जांच किए गए मामले अर्थात् पुलिस थाना सोरबोग में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 387 के तहत पंजीकृत मामला संख्या 337/2014 का विस्तृत ब्यौरा दिया है। उन्होंने सभी प्रासंगिक पहलुओं पर एस डब्ल्यू-3 (श्री शिलादित्य चेटिया) द्वारा दिए गए विवरण का समर्थन किया है।

एस डब्ल्यू-4 ने आगे उद्घाटित किया कि मथुरा नाथ और उपेन नाथ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 387 के अंतर्गत एफ आई आर सं. 337/2014 के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वे 10.01.2015 से हिरासत में हैं। मोबाइल फोन, जिस पर फिरौती की मांग की जाती थी, को अभियुक्त मथुरा नाथ के घर से बरामद किया गया था। मथुरानाथ और उपेन नाथ दोनों मोबाइल के माध्यम से हमेशा एक-दूसरे के संपर्क में रहते थे।

27. एस डब्ल्यू-5 श्री मानबेन्द्र देव रे 01.01.2015 से विश्वनाथ जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवारत हैं। उन्होंने शपथपत्र (प्रदर्श एस डब्ल्यू 5/1) के रूप में अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसके बिंदु 'क' और 'ख' पर उनके हस्ताक्षर हैं।

28. विश्वनाथ चरियाली थाने से संबंधित मामला सं. 36/14 का विवरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि 24.02.2014 को अपराह्न 3.30 बजे शिकायतकर्ता उप निरीक्षक राजू बहादुर छेत्री, बालीचांग पुलिस चौकी ने इस आशय की एक एफ आई आर दर्ज कराई थी कि दिनांक 23.02.2014 को एन डी एफ बी (एस) काडरों की हलचल के बारे में गुप्त सूचना की प्राप्ति पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (कोबरा विंग) के साथ एक पुलिस दल मैनागुड़ी/ब्रह्मपुर के लिए रवाना हो गया। लगभग सायं 4.30 बजे एन डी एफ बी (एस) के कुछ उग्रवादियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी। सुरक्षा कार्मिकों ने आत्म सुरक्षा में जवाबी कार्रवाई आरंभ कर दी। गोलीबारी शांत हो जाने के बाद उक्त क्षेत्र की तलाशी शुरू की गई तथा एक संदिग्ध एन डी एफ बी (एस) उग्रवादी घायल अवस्था में पाया गया था, जिसकी बाद में बिविलैंग के रूप में पहचान की गई थी। इस व्यक्ति के पास से एक 9 मिमी. पिस्तौल; एक 9 मिमी. पिस्तौल मैगजीन; पांच 9 मिमी. जिंदा कारतूस; तीन 9 मिमी. कारतूस खोखे तथा एक मोबाइल हैण्डसेट बरामद किया गया था। उक्त घायल को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल, विश्वनाथ चरियाली सिविल अस्पताल स्थानांतरित किया गया था। अन्य चरमपंथी जंगल तथा पहाड़ी मार्ग की आड़ लेकर जंगल की ओर भागने में सफल रहे थे। घटनास्थल से जब्त की गई वस्तुओं को 102 दंड प्रक्रिया संहिता (सी पी सी) के अंतर्गत जब्ती मेमो के द्वारा अधिकार में लिया गया। उन्होंने आगे यह खुलासा किया कि चोटों के कारण घायल मि. बिवीलैंग ईश्वरी की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। उसके शव का विच्छेदन (पोस्ट–मार्टेम) किया गया था। आगे की जांच के लिए मृतक की अंगुलि छापें संरक्षित की गई थीं। जांच अधिकारी ने हैण्ड–वाश तथा हैण्ड-स्वैब नमूने तथा मृतक द्वारा प्रयोग में लाए गए हथियारों की नाल-अवशेषों के नमूने एकत्रित किए थे और इन्हें विधि-विज्ञान जांच के लिए भेजा था। उक्त प्रासंगिक रिपोर्टों को संग्रहीत किया गया था जिससे यह स्थापित हुआ कि मृतक बिवीलैंग ईश्वरी सुरक्षा बलों पर हुए हमले में शामिल था। गवाह ने आगे यह कहा कि जांच के दौरान, सात गवाहों के बयान रिकार्ड किए गए थे। उनमें से तीन ने स्पष्ट रूप से मृतक की एन डी एफ बी काडर के रूप में पहचान की जिसे इस संगठन में 7/8 वर्षों से देखा जा रहा था। गवाह ने, एफ आई आर (प्रदर्श एस डब्ल्यू 5/2) की प्रति; छानबीन रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू 5/3); पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू 5/4); अंगुलि छाप की पर्ची (प्रदर्श. एस डब्ल्यू 5/5); विशेषज्ञ की परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श

एस डब्ल्यू 5/6) तथा प्रासंगिक बयानों की प्रमाणित प्रतियां, जिन्हें एक साथ प्रदर्श एस डब्ल्यू 5/7 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, को प्रमाणित किया।

29. पुलिस थाना विश्वनाथ चरियाली में पंजीकृत एक और मामला एफ आई आर सं. 87/14 के ब्यौरे का खुलासा करते हुए गवाह ने कहा कि 30 अप्रैल, 2014 को लगभग रात्रि 9.00 बजे शिकायतकर्ता एस आई प्रणब वैश्य, तिनिसूती गश्त चौकी इंचार्ज ने एक एफ आई आर दर्ज करायी कि 29 अप्रैल, 2014 को एन डी एफ बी (एस) काडरों, जिन्होंने उदालगिरि जिले के प्रांजल शर्मा का अपहरण किया था, की मौजूदगी के बारे में एक गुप्त सूचना प्राप्त होने पर पुलिस दल असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा के समीप बालोडोंगा और नमारा के जनरल एरिया में पहुंचा था। दिनांक 29.04.2014 को तलाशी अभियान शुरू किया गया था। एक दूसरी सूचना प्राप्त हुई थी कि 5 से 8 एन डी एफ बी (एस) के काडर द्विमुगुजान गांव में पनाह लिए हुए हैं। उक्त क्षेत्र की घेराबंदी की गई और तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान एन डी एफ बी (एस) के काडरों ने सुरक्षा बलों की ओर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। तलाशी टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी शुरू की। गोलियों का आदान-प्रदान लगभग 25 मिनट तक चलता रहा। गोलीबारी शांत होने के बाद उक्त क्षेत्र की तलाशी के दौरान वहां एन डी एफ बी (एस) के तीन संदिग्ध काडर घायल अवस्था में मिले थे। उनकी तलाशी लेने पर तीन पिस्तौलें, एक ग्रेनेड तथा ग्यारह राउण्ड गोलाबारूद, दो मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए थे। घायल उग्रवादियों को उपचार के लिए बी एन सी सिविल अस्पताल स्थानांतरित कर दिया गया था।

30. गवाह ने आगे कहा कि सभी तीनों घायल उग्रवादियों की चोटों के कारण मौत हो गई और उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा उनकी (1) राजीव बासुमातारी उर्फ बी. रडाई (2) अलफांस नरजारी उर्फ एन. ओऊगी तथा (3) अछनोस मुसाहारी उर्फ एम. आस्थम के रूप में पहचान की गई थी। छानबीन कार्यवाहियां संचालित की गई थीं और उनके शव-विच्छेदन परीक्षण किए गए थे। उनकी अंगुलि छापें ली गईं थीं और जांच के लिए विधि-विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गईं थीं। इन रिपोर्टों ने सुरक्षा बलों पर हुए हमलों में उनकी सन्देह रहित संलिप्तता स्थापित की थी।

31. जांच के दौरान संबंधित न्यायालय से जब्त किए गए जिंदा हथगोले को विनष्ट करने की अनुमति ली गई थी। शिकायतकर्ता सहित 13 गवाहों को बयान रिकार्ड किए गए थे। छह गवाहों ने मृतक व्यक्तियों की एन डी एफ बी (एस) काडरों के रूप में पहचान की थी। उनमें से अधिकांश ने यह बताया था कि एन डी एफ बी चरमपंथी नियमित रूप से उनके गांव आया करते थे और उनसे (ग्रामवासियों से) अन्य वस्तुओं के अलावा खाद्य पदार्थ, पैसा, ठहरने/टिकने के स्थान की मांग करके उन्हें परेशान करते थे। उक्त गवाह ने एफ आई आर (प्रदर्श एस डब्ल्यू 5/8) की प्रमाणित प्रति; जांच रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू 5/9 की प्रमाणित प्रति; शव-विच्छेदन रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू 5/10) की प्रमाणित प्रति; विशेषज्ञ परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू 5/11) की प्रमाणित प्रति; प्रासंगिक बयानों की अंग्रेजी में तर्जुमा की हुई प्रमाणित प्रतियां तथा (प्रदर्श. एस डब्ल्यू 5/12) के रूप में एक साथ प्रदर्शित गवाहों के मूल बयानों की प्रतियों का परीक्षण किया।

32. एस डब्ल्यू- 6 रूपम पुखन है, जो सितम्बर, 2014 से विश्वनाथ पुलिस जिले में गोहपुर उप-मंडल के उप-मंडलीय पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप विश्वनाथ चारियाली पुलिस थाने में पंजीकृत ऊपर संदर्भित एफ आई आर सं. 36/14 तथा 87/14 मामले के जांच अधिकारी हैं। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती गिरिन सोनोवाल तथा गीतांजलि पाव डोलर से क्रमश: दिनांक 10.02.2015 तथा 24.10.2014 को दर्ज एफ आई आर सं. 36/14 और सं. 87/14 के मामलों की जांच का कार्य अपने हाथ में लिया था। उन्होंने वही उल्लेख किया है जैसा एस डब्ल्यू-5 (मानबेन्द्र देव रे) ने किया था।

33. श्रीमती इन्द्राणी बरुआ, ए पी एस, जो वर्तमान में 21.01.2014 से असम के कामरूप जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत हैं, का एस डब्ल्यू-7 के रूप में परीक्षण किया गया। उन्होंने शपथपत्र (प्रदर्श एस डब्ल्यू 7/1) के माध्यम से अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसमें बिंदु 'क' और 'ख' पर उनके हस्ताक्षर हैं।

34. यू ए (पी) अधिनियम की धारा 16/17/18 (क) के साथ पठित, ई एस अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित भा. दं. सं. की धारा 120(ख)/121/121(क) के अंतर्गत मामला एफ आई आर सं. 53/2014 का उल्लेख करते हुए, उसने 24.02.2014 को 05.56 बजे अपराह्न में अभिसाक्ष्य दिया कि उपनिरीक्षक सत्येन्द्र सिंह हजारी, ओ/सी बैहाता चरियाली पुलिस थाना, को ए एस आई गणेश शर्मा से यह सूचना मिली कि मोटर साइकिल पर सवार अज्ञात उपद्रवी ने निकट के गसबारी चौक पर ग्रेनेड दाग कर आठ/दस लोगों को घायल कर दिया है। बैहाता चरियाली पी एस जीडीई सं.782/14 की तारीख 24.02.2014 के माध्यम से जीडीई प्रविष्टि रिकार्ड की गई और एस आई बुद्धेश्वर खौंड और स्टॉफ के साथ सर्च टीम पी ओ की तरफ चल दी। घायल व्यक्तियों को ईलाज के लिए निकट के चिकित्सालय में ले जाया गया। बैहाता चरियाली की तरफ भागने वाले उस हमलावर की पहचान नहीं की जा सकी। अन्वेषण अधिकारी ने विभिन्न गवाहों के बयान दर्ज किए, जिसने सूचना दी कि 24.02.2014 को 5:30 बजे अपराह्न में 2/3 सेकेंड के अंतराल पर उन्होंने गसवारी सांयकालीन पुलिस शिविर के निकट गसवारी बाजार में दो ग्रेनेड के धमाकों की आवाज सुनी। उस स्थान से भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किए गए।

35. उन्होंने आगे बताया कि जांच पड़ताल के आधार पर एस आई बुद्धेश्वर खौंड ने इस घटना के विषय में 25.02.2014 को 10:20 बजे पूर्वाह्न में बैहाता चरियाली पुलिस थाने में एक इजहार दर्ज कराया। जांच-पड़ताल से यह पता चला कि एन डी एफ बी (एस) के सदस्य इसमें शामिल थे। आगे के अन्वेषण के दौरान साक्षियों के बयानों को रिकार्ड किया गया जिसने अपराध में एन डी एफ बी के संदिग्धों की संलिप्तता का संदेह जताया। प्रदर्शों को विशेषज्ञ के विचार हेतु भेजा गया। गवाह ने प्रकट किया कि अन्वेषण के दौरान 24.03.2012 को गसवारी धमाके के शिकार महिजुद्दीन अली नामक पुरूष के मृत-शरीर पर सुस्वापना ककाती, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, कामरूप (एम), द्वारा किए गए अनुवीक्षण में पूरे दाहिने पैर पर छर्रों के कारण जलने से हुए घाव पाए गए। आई ओ ने शव परीक्षण रिपोर्ट

प्राप्त की। विभिन्न गवाहों के बयान दर्ज किए गए और सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। वे थे: (1) राजू डेका @ राजू राजबोंग्शी @ बिमल राजबोंग्शी (उम्र 20 वर्ष); (2) रमेश बोरो (उम्र 28 वर्ष); (3) बिपुल बोरो (उम्र 26 वर्ष); (4) अमित बोरो @ पवन बोरो (उम्र 23 वर्ष); (5) श्री प्रताप नरजारी (उम्र 21 वर्ष); (6) रबिलाल नरजारी (उम्र 23 वर्ष) और (7) श्री रतन बोरो @ भाडा (उम्र 24 वर्ष)। उनमें से रतन बोरो, अमित बोरो और प्रताप नरजारी ने बताया कि वे एन डी एफ बी के सदस्य हैं। रतन बोरो ने उल्लेख किया कि वह स्वयं रमेश बोरो, अमित बोरो और बिपुल बोरो के साथ गसवारी वारदात में शामिल था।

36. गवाह ने जी डी प्रविष्टि (प्रदर्श एस डब्ल्यू 7/2) की सत्यापित प्रति, सूचना दाता (प्रदर्श एस डब्ल्यू 7/3) के बयान की सत्यापित प्रति; प्रदर्श एस डब्ल्यू 7/4 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित गवाहों के बयान की सत्यापित प्रतियां; जब्ती सूची (प्रदर्श एस डब्ल्यू 7/5) की सत्यापित प्रति; (प्रदर्श एस डब्ल्यू 7/6) के रूप में सामूहिक रूप से गवाहों के बयानात की सत्यापित प्रतियां; प्राथमिकी (प्रदर्श एस डब्ल्यू 7/7) की सत्यापित प्रति; प्रदर्श एस डब्ल्यू 7/8 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित गवाहों के बयानात की सत्यापित प्रतियां; प्रदर्श एस डब्ल्यू 7/9 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित घायल पीड़ितों के बयानात की सत्यापित प्रतियां; एफ एस एल रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू 7/10) की सत्यापित प्रति; अनुवीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू 7/11) की सत्यापित प्रति; शव परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू 7/12) की सत्यापित प्रति एवं (प्रदर्श एस डब्ल्यू 7/13) के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित अभियुक्तों के बयानात की सत्यापित प्रति।

37. पी डब्ल्यू - 8 शशिंद्रा नाथ डेका 5 मार्च, 2014 से बैहाता चरियाली पुलिस थाना कामरूप (ग्रामीण) जिला, असम में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात है। वह भा. दं. सं. की धारा 120 (ख)/121/121(क) के अंतर्गत एवं विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत मामला सं. 53/2014 में अन्वेषण अधिकारी हैं। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती उप-निरीक्षक दिपांकर गोगोई से इस अन्वेषण कार्य को लिया था। उनका साक्ष्य एस डब्ल्यू - 7 (श्रीमती इंद्राणी बरुआ) के साक्ष्य के समान है।

38. एस डब्ल्यू - 11 के रूप में एक अन्य गवाह श्री विवेक राज सिंह, भा. पु. से. है जो 8 सितम्बर, 2014 से दरांग जिले के पुलिस अधीक्षक हैं।

39. गवाह ने मामला सं. 560/2014 के विवरण दिए हैं। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि 13.09.2014 को 7.11 बजे अपराह्न में, अपर पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय) दरांग ने पुलिस अधीक्षक से मोबाइल पर यह सूचना प्राप्त की कि कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने प्रबंधक, बोरगोरा टी एस्टेट (टी ई), जो डलगांव पुलिस थाना के अंतर्गत है, के कार्यालय पर ग्रेनेड फेंका। सूचना मिलते ही अपर एस पी (मुख्यालय), कार्यालय प्रभारी (ओ सी) डलगांव पुलिस थाना दिनांक 13.09.2014 की जी डी ई सं. 432 के तहत उक्त स्थान पर पहुंचे। उस स्थान पर, यह पाया गया है कि चार अज्ञात बोडो युवक, जिन पर एन डी एफ बी (एस) के सदस्य होने का संदेह था, बोरगोरा टी ई में दो मोटर साइकिलों पर आए और गेट चौकीदार मानसिंह इंगति से कहा कि प्रबंधक से कहो कि वे आकर उनसे मिलें। प्रबंधक से मिलने के बाद चौकीदार ने कहा कि प्रबंधक व्यस्त हैं, अत: वे कल आकर मिलें। यह सूचना मिलने के बाद, वे युवक क्रोधित हो गए और चौकीदार से पुन: कहा कि वह प्रबंधक को जाकर यह सूचित करें कि उन लोगों को कुछ जरूरी बातें करनी हैं। जब चौकीदार पुन: प्रबंधक को सूचित करने के लिए गया तो वे युवक प्रबंधक के कार्यालय पहुंच गए और कार्यालय की खिड़की से उसे बाहर आने को कहा। प्रबंधक बाहर आए और वे लोग असमी भाषा में बात करने लगे, किंतु प्रबंधक इस बात को समझ नहीं सके और उन्होंने संजय शोम, प्लांटेशन असिस्टेंट मैनेजर को बुलाकर उन युवकों के साथ बात करने के लिए कहा और अपने कार्यालय चैंबर में चले गए। इस बीच, युवक ने दरवाजे से एक ग्रेनेड फेंक दिया जो कि कार्यालय के भीतर फट पड़ा, और वह भाग गया। प्रबंधक राकेश कुमार कुडेशिया, सहायक प्रबंधक, रामाकांत तिवारी और केवलचंद जैन, एक राशन आपूर्ति कर्ता, जो वहां उपस्थित थे, को चोटें आई और उन्हें मंगलदास सिविल चिकित्सालय में ईलाज हेतु भेज दिया गया। केवलचंद जैन की मृत्यु चिकित्सालय में हो गई। शिकायतकर्ता, निरीक्षक प्रतुल भूयान, डलगांव के कार्यालय प्रभारी ने डलगांव पुलिस थाने में एफ आई आर दर्ज की और यू ए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित, ई एस अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित भा. दं. सं. की धारा 120(ख)/121/447/387/326/302 के अंतर्गत डलगांव थाना मामला सं. 560/2014 दर्ज किया गया।

40. अन्वेषण के दौरान, यह प्रकट हुआ कि घटना से 10/15 दिन पहले प्रबंधक अपने सहायक प्रबंधक संजय शोम के साथ मिलकर काम के अधीक्षण हेतु संध्याकाल में बागान के प्लांटेशन अपरूटेड फील्ड गए। दो बोडो युवक उनके पास साइकिल से आए और एक सीलबंद लिफाफा देकर चले गए। लिफाफा खोलने पर एन डी एफ बी (एस) का एक पत्र मिला, जिसमें 15 लाख रु. की मांग की गई थी। तथापि, संबंधित पुलिस को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। टी एस्टेट के प्रबंधक द्वारा इसे प्रस्तुत किए जाने के बाद इस मांग-पत्र को जब्त कर लिया गया।

41. गवाह ने आगे प्रकट किया कि अन्वेषण के दौरान एन डी एफ बी (एस) प्लाटून कमांडर, बी. ओंथैराजा उर्फ असलम बासुमातारी, ग्राम सं.1, सिमलीगुरी काजिआमाटी, बी. सुसर्वह उर्फ बंगाल दाओराओ, ग्राम सं.2 सिमलीगुरी, काजिआमाटी जो दोनों उदालगिरि पुलिस

थाने के थे और अमित बोरो एस/ओ सत्या राम बोरो, ग्राम-माधाबगोहैन, पुलिस थाना-रोवटा की संलिप्तता प्रकाश में आई है। बाद में अमित बोरो को गिरफ्तार किया गया।

42. गवाह ने एफ आई आर के अंग्रेजी रुपांतरण की सत्यापित प्रति को साबित किया और डलगांव पुलिस थाने के मामला सं. 560/2014 की मूल प्रति तथा जी डी प्रविष्टि सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू -11/2 के रूप में; जब्ती सूची की पांच प्रतियां प्रदर्श एस डब्ल्यू -11/3 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित; शिकायतकर्ता के बयान की अंग्रेजी अनूदित प्रतियां और इसके बयान की मूल प्रति सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू-11/4 के रूप में प्रदर्शित; गवाहों के बयानात की अंग्रेजी अनुदित प्रतियां और इसकी मूल प्रति सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू - 11/5 के रूप में प्रदर्शित। अभियुक्तों के बयानात (प्रदर्श एस डब्ल्यू 11/6); और शव परीक्षण रिपोर्ट की प्रति (प्रदर्श एस डब्ल्यू 11/7) संलग्न किया गया है।

43. पुलिस थाना सिपाझार में यू ए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित, आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क)/27 के साथ पठित, भा. दं. सं. की धारा 341/326/307/43 के अंतर्गत दर्ज मामला सं. 583/2014 का विवरण देते हुए गवाह ने यह साक्ष्य दिया कि 04.10.2014 को 5:30 बजे सांयकाल शिकायतकर्ता सुश्री टुटुमोनी राजबोंग्शी, सुपुत्री श्री हरमोहन राजबोंग्शी, ग्राम-सिमलीबारी ने सिपाझार पुलिस थाने के बुरहा आऊट पोस्ट पर एक इजहार दर्ज कराया कि 11:05 बजे प्रात: के लगभग रतन बोरो और 4 सहयोगियों ने उसके पिता हरमोहन राजबोंग्शी को दरांग जिले के बामुनझार जिले में उस समय रोक लिया, जब वे साप्ताहिक बाजार से लौट रहे थे और उन्हें मारने के लिए उस पर गोली चलाई। उसने दावा किया कि रतन बोरो और उसके सहयोगियों ने एन डी एफ बी (एस) के सदस्यों का साथ दिया। गवाह ने आगे कहा कि इस मामले को दर्ज करने से पूर्व पीड़ित हरमोहन राजबोंग्शी को कुछ ग्रामीणों द्वारा बुरहा आउट पोस्ट लाया गया जहां उसके बयान को दर्ज कराया गया। उसके बाद उसे मंगलडोई सिविल अस्पताल ईलाज के लिए भेजा गया। आई ओ अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचा परंतु वहां कोई भी आरोपी उपस्थित नहीं पाया गया। उस क्षेत्र की तलाशी पूरी सावधानी से ली गई परंतु कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण अधिकारी ने शिकायतकर्ता और पीड़ित सहित पांच गवाहों के बयानात दर्ज किए जिनके नाम इस प्रकार हैं: (1) हरमोहन राजबोंग्शी, पुत्र/(एल) तांकेश्वर राजबोंग्शी, ग्राम सिमलीबारी, पुलिस थाना गोरेश्वर, जिला, बक्सा, (2) भद्रेश्वर बरूआ, पुत्र/(एल) खगैश्वर बरूआ, ग्राम-सिमलीबारी, पुलिस थाना गोरेश्वर, जिला-बक्सा, (3) पबित्रा बोरो, पुत्र श्री बाबुल बोरो, ग्राम-सिमलीबारी, पुलिस थाना गोरेश्वर, जिला-बक्सा (4) रंजन राजबोंग्शी पुत्र – श्री कांथीराम दास, ग्राम-अंधेरीघाट (बामुनझार), पुलिस थाना सिपाझार, जिला-दरांग और (5) सुश्री टुटुमोनी राजबोंग्शी, पुत्री-श्री हरमोहन राजबोंग्शी, ग्राम-सिमलीबारी। अन्वेषण के दौरान, (1) रनसाई बोरो उर्फ बिरखांग (उम्र 20 वर्ष) (2) श्री उदय कालिता उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी व्यक्ति के बयान से यह पता चला कि रतन बोरो, जो एन डी एफ बी (एस) का गोरेश्वर क्षेत्र का एरिया कमांडर है, वह और कनक बोरो भी मामले में शामिल थे।

44. गवाह ने आगे साक्ष्य दिया कि बाद में गोरेश्वर के एरिया कमांडर रतन बोरो उर्फ भोदा पुत्र श्री खगेन बोरो ग्राम-बामुनझार पुलिस थाना, सिपाझार जिला-दरांग को उसके तीन अन्य सहयोगियों के साथ गोरेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र में सेना तथा पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया। इनके नाम हैं:- (1) संजीब बोरो पुत्र/बिरेन बोरो, ग्राम-बोतावारी पुलिस थाना गोरेश्वर, जिला बक्सा, (2) नामालु उर्फ नौमान बोरो, पुत्र/ श्री नागेश बोरो, ग्राम – बागोरीबारी पुलिस थाना, खोइराबारी, जिला – उदालगिरी और (3) सिरोन बोरो, पुत्र/ श्री बोलेंदर बोरो, ग्राम-कदमगुरी बालाहाटी पुलिस थाना गोरेश्वर जिला बक्सा। इन्हें यू ए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित, ई एस अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित, आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-क) के अंतर्गत मामला 104/2014 के तहत पुलिस ने गिरफ्तार करके उनसे तीन पिस्तौल और 11 ग्रेनेड भी जब्त किए। अभियुक्तों को हाल के मामले में गिरफ्तार किया गया।

45. गवाह ने यह प्रकट किया कि हर्मोफान राजबोंग्शी पर फायर करने से पहले एन डी एफ बी (एस) उग्रवादियों का यह समूह सीमावर्ती जिलों यथा-दरांग, उदालगिरि, बक्सा और कामरूप में विभिन्न आपराधिक एवं गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहा है। उन्होंने बामुनझार-काहिटोली हुस्सैन चुबुर सड़क के निर्माण में अवरोध डाला और इसके कामगारों से जबरन धन-उगाही हेतु भा.दं.सं. की धारा 341/323/387/34 के अंतर्गत मामला सं.628/2014 सिपाझार पुलिस थाने में दर्ज किया गया। इस घटना के बाद और 02.11.2014 को गिरफ्तार होने से पहले आतंकवादियों के इस समूह की सिपाझार पुलिस थाने के बुरहा चौकी के अंतर्गत काहिटोली गांव में पुलिस गश्ती पार्टी के साथ अचानक मुठभेड़ हुई जिसका नेतृत्व रतन बोरो कर रहा था और उन लोगों ने पुलिस कार्मिकों पर गोली चलाई। हालांकि, दोनों तरफ से हुई मुठभेड़ में उनके एक सहयोगी बिमल राजबोंग्शी पुत्र/नागेंद्र राजबोंग्शी ग्राम-बामुनझार पी एस सिपाझार घायल हुआ और उसकी गिरफ्तारी हुई। 7.56 मी.मी. के दो खाली कारतुस और 2 मोटर साइकिल, उस घटनास्थल से अर्थात् काहिटोली ग्राम से प्राप्त की गई और यू ए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क) के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 353/307/34 के अंतर्गत मामला सं. 675/2014 पुलिस थाना सिपाझार में दर्ज किया गया।

46. गवाह ने एफ आई आर के अंग्रेजी अनूदित पाठ की सत्यापित प्रति एवं सिपाझार पुलिस थाने के मामला सं.583/2014 की मूल प्रति को सत्यापित किया, जो प्रदर्श एस डब्ल्यू 11/8 के रूप में प्रदर्शित है; शिकायतकर्ता का बयान जो प्रदर्श एस डब्ल्यू-11/9 के रूप में

प्रदर्शित है; गवाहों के बयान जो सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू-11/10 के रूप में प्रदर्शित है; अभियुक्त का बयान जो सामूहिक रूप से एस डब्ल्यू-11/11 के रूप में प्रदर्शित है।

47. एस डब्ल्यू-11 ने आगे सूचना दी कि कोई अमित बोरो को यू ए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ई.एस. अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 120(क)/121/447/387/326/302 के अंतर्गत प्राथमिकी सं. 560/2014 के तहत गिरफ्तार किया गया और 29.10.2014 से अभिरक्षा में है। फिरौती/मांग पत्र उसके द्वारा दिया गया था। बोरगोरा टी एस्टेट (टी ई) के प्रबंधक ने उसकी पहचान फिरौती पत्र सुपुर्द करने वाले के रूप में की। यह संगठन के पत्र शीर्ष पर था। उसने आगे उल्लेख किया कि यू ए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-क)/27 के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 341/326/307/34 के अंतर्गत मामला एफ आई आर सं. 583/2014 के तहत छः अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और वे हिरासत में हैं। पीड़ित हरमोहन राजबोंग्शी का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज किया गया। आई पी सी यू ए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम 25 (1-क)/27 के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 353/307/34 के अंतर्गत प्राथमिकी सं. 675/2014 के मामले में शिकायतकर्ता/उपनिरीक्षक चंदन गोस्वामी ने रतन बोरो की पहचान की थी। उसने प्रकट किया कि रतन बोरो पहले ही किसी अन्य मामले में न्यायालय द्वारा सिद्धदोष था।

48. अभियोजन ने असम के दरांग जिले के सिपाझार पुलिस थाने के अंतर्गत बुरहा पुलिस थाने में फरवरी, 2014 से उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत श्री चंदन गोस्वामी एस डब्ल्यू-12 से पूछताछ की। उसने शपथ पत्र के जरिए अपने साक्ष्य दिए हैं, जिसे प्रदर्श एस डब्ल्यू-12/1 के रूप में प्रदर्शित है जिसमें बिंदु 'क' और 'ख' पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-क)/27, के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 341/326/307/34 के अंतर्गत मामला सं.583/2014 में अन्वेषण अधिकारी है और पी डब्ल्यू-11 की तरह ही उसने साक्ष्य दिए हैं जो उसकी बात की पुष्टि करता है।

49. पी डब्ल्यू-12 ने आगे खुलासा किया कि पीडित ने विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-क) के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 341/326/307/34 के अंतर्गत मामला सं. 583/2014 के तहत अभियुक्त की पहचान की। स्वतंत्र गवाहों के बयानात इस आशय में दर्ज किए गए हैं कि वे प्रतिबंधित संगठन के सदस्य हैं।

50. श्री बीर विक्रम गोगोई, ए पी एस, जो वर्तमान में असम के उदालगिरि जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में 11.12.2013 से कार्यरत हैं, एस डब्ल्यू-13 के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने प्रदर्श एस डब्ल्यू -13/1 के रूप में अपना शपथपत्र दायर किया है, जिस पर बिंदु 'क' और 'ख' पर उनके हस्ताक्षर हैं।

51. मजबत पुलिस थाने में यू ए (पी) अधिनियम की धारा 15/16 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क)/27, के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 353/307/326/120(ख)/121/34 के अंतर्गत दर्ज मामला सं.09/2014 का विवरण देते हुए उसने साक्ष्य दिया है कि 04.03.2014 को 10:00 बजे पूर्वाह्न में शिकायतकर्ता नायब सूबेदार (सं.3600044 X) जी एल गुर्जर, 36 असम राइफल्स मार्फत 99 ए पी ओ कैम्प मजबत ने दिनांक 02.03.2014 को 05.00 बजे अपराह्न में प्राथमिकी उस समय दर्ज कराई जब वे अपने स्टाफ के साथ जगापुर और अश्राबारी क्षेत्र में दैनिक नियंत्रण गश्ती पर गए थे, उसी समय एन डी एफ बी (एस) उग्रवादियों का समूह अचानक उस पर अंधाधुंध गोली चलाने लगा, जिसका आत्मरक्षा में प्रत्युतर दिया गया। परिणामत: 4 सुरक्षा कर्मी बुलेट से गंभीर रूप से घायल हो गए। 1715 के समय वे घात के स्थान से बाहर निकलने में सफल हुए तथा घायल व्यक्तियों को तुरंत हेलीकॉप्टर से सेना चिकित्सालय तेजपुर ले जाया गया। घटना स्थल की छान-बीन के दौरान एक ग्रेनेड प्राप्त हुआ। गवाह ने आगे साक्ष्य दिया कि एन डी एफ बी (एस) के आंतकवादियों ने सुरक्षा बलों को मारने का लक्ष्य बनाया ताकि कानून के शासन को अस्थिर किया जा सके। अन्वेषण के दौरान शिकायतकर्ता सहित सात गवाहों के बयान दर्ज किए गए। चार अभियुक्त व्यक्ति नामत: (1) राबेत दायमारी पुत्र श्री जुबेल दायमारी ग्राम खुसुराबारी पी एस उदालगिरि (2) कतीराम दायमारी पुत्र स्व. सेंथोड दायमारी ग्राम बोताबारी पी एस उदालगिरि (3) श्री संजीव दायमारी, पुत्र श्री जुबेल दायमारी, ग्राम-खुसुराबारी, थाना-उदालगिरि (4) सिमांगसा बसुमातारी, पुत्र-होरेन बसुमातारी ग्राम-सिलीखागुरी, पी.एस.मजबत को गिरफ्तार किया गया और उनके बयान को रिकार्ड किया गया। वे सभी अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। गवाह ने प्रदर्श एस डब्ल्यू - 13/2 के रूप में प्रदर्शित मूल प्राथमिकी की सत्यापित प्रति; प्रदर्श एस डब्ल्यू 13/3 और एस डब्ल्यू -13/3 क के रूप में प्रदर्शित जब्ती सूची की छाया प्रति एवं टंकित प्रति; प्रदर्श एस डब्ल्यू -13/4 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित शिकायतकर्ता और सम्बद्ध गवाहों के बयान की सत्यापित अनूदित और मूल छाया प्रति तथा संगत साक्ष्यों को सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू-13/4 के रूप में प्रदर्शित किया गया है और एस डब्ल्यू - 13/5 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित अभियुक्तों के बयानों को सिद्ध किया है।

52. यू ए (पी) अधिनियम की धारा 10/16 के साथ पठित, ई एस अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25(।-क)/27 के साथ पठित, भा. दं. सं. की धारा 387/353/326/34 के अंतर्गत मजबत पुलिस थाने में दर्ज मामला सं. 11/14 का विवरण देते हुए गवाह ने खुलासा किया कि मजबत पुलिस थाने के 'बांबे केन्द्र' के सामान्य क्षेत्र में एन डी एफ बी (एस) काडर की गतिविधि और आश्रय के संबंध में विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त विशिष्ट सूचना के आधार पर शिकायतकर्ता मो. आरीफ सहायक कमांडेंट 210 कोबरा बटालियन सी आर पी एफ 'क' कंपनी मजबत ने 26.03.2014 को 5.00 बजे अपराह्न में प्राथमिकी दर्ज कराई। वह पुलिस पार्टी के साथ गए। जब वे मैनावपूरी भूभागीय क्षेत्र में पहुंचे कि अचानक, एन डी एफ बी (एस) आतंकवादियों के समूह ने अंधाधुंध फायर

शुरू कर दिया जिसका आत्मरक्षा में प्रत्युतर दिया गया। यह मुठभेड़ 45 मिनट तक चली। इस घटना में दो (2) जवान नामत: 1) 24 वीं ए पी (आई आर) बटालियन के जयंत रे तथा 2) 210 कोबरा बटालियन सी आर पी एफ के शिंदे प्रसाद बुलेट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। जब फायरिंग बंद हुई तो घटनास्थल की पूरी छानबीन की गई और वहां से बड़ी मात्रा में आयुध और गोलाबारूद जब्त किये गए।

53. गवाह ने आगे साक्ष्य दिया कि अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने 10 गवाहों के बयान दर्ज किए। पांच हमलावर, नामत: 1) जीओलांग बासुमातारी, पुत्र / श्री सिलेन बासुमातारी, ग्राम-स्वर्णगजुली, पुलिस थाना –मजबत 2) गोविंद बगलारी, पुत्र/ स्वर्गीय – गेंद्रा बगलारी, ग्राम – स्वर्णागजुली पुलिस थाना मजबत 3) ओबम बासुमातारी, पुत्र-टेकला बासुमातारी, ग्राम सं.1 रोवता थाना रोवता 4) आर अमीना बासुमातारी, पत्नी-श्री प्रबित्रा नरजारी, ग्राम सं.1, खोम्बारी, थाना – मजबत 5) सुशांता बासुमातारी, पुत्र /धर्मेश्वर बासुमातारी ग्राम सं.2 काडाबिल थाना मजबत को गिरफ्तार किया गया और उनके बयान दर्ज किए गए। गवाह ने प्रदर्श एस डब्ल्यू-13/2 के रूप में प्रदर्शित प्राथमिकी की सत्यापित प्रति, प्रदर्श एस डब्ल्यू - 13/3 के रूप में प्रदर्शित जब्ती ज्ञापन की सूची; प्रदर्श एस डब्ल्यू 13/6 के रूप में प्रदर्शित प्राथमिकी के अनुलग्नक की सत्यापित प्रति और प्रदर्श एस डब्ल्यू-13/7 के रूप में प्रदर्शित जब्ती की सूची; प्रदर्श-13/8 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित गवाहों के रिकार्ड किए गए बयानों की प्रति; प्रदर्श एस डब्ल्यू - 13/9 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित अभियुक्तों एवं गवाहों के बयानों को सत्यापित किया।

54. गवाह ने आयुध अधिनियम की धारा 27(3), विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हरिसिंगा पुलिस थाने में दर्ज एक अन्य मामले सं. 03/2014 का विवरण दिया। उन्होंने यह बयान दिया कि दिनांक 20.01.2014 को दोपहर 12 बजे शिकायतकर्ता श्री छत्तू सरमठ ने हरिसिंगा पुलिस थाने में इस संबंध में एक एफ आई आर दर्ज करवाई कि दिनांक 18.01.2014 को सांय 06.00 बजे जब उसके पिता अंबागांव चौक स्थित अपनी हज्जाम की दुकान पर थे, कुछ अज्ञात उग्रवादियों ने उन पर गोली चलाई तथा वे वहां से भाग निकले। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने छ: गवाहों से पूछताछ की तथा उनके बयान से यह बात सामने आई कि उक्त हमले के लिए एन डी एफ बी (एस) के उग्रवादी उत्तरदायी थे। जांच अधिकारी ने संदिग्ध दोषियों नामत:, 1) कमल दायमारी पुत्र श्री प्रफुल्ल दायमारी ग्राम झकारा, पुलिस थाना हरिसिंगा 2) रूबेन दायमारी ऊर्फ डी दाखा पुत्र श्री निहिमिया दायमारी ग्राम जेरूसलम पुलिस थाना उदालगिरि, जो न्यायिक हिरासत में थे, को गिरफ्तार कर लिया। मामले की अभी जांच की जा रही है।

55. गवाह ने प्रदर्श एस डब्ल्यू – 13/10 के रूप में प्रदर्शित एफ आई आर; प्रदर्श एस डब्ल्यू - 13/11 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित शिकायतकर्ताओं के बयानों; प्रदर्श एस डब्ल्यू – 13/12 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित दोषी व्यक्तियों के बयान को प्रमाणित किया।

56. पी डब्ल्यू - 13 ने यह भी सूचित किया कि एन डी एफ बी (एस) की केन्द्रीय कमान के स्वयंभू कमांडर बिकूनास नरजारी ऊर्फ बिरलंगबाई को जनवरी, 2015 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए काडर का बयान एफ आई आर सं.11/14 में दर्ज किया गया जिसमें उसने अपनी तथा अपने संगठन की संलिप्तता के बारे में कबूल किया।

57. अभियोजन के दौरान मजबत पुलिस थाना; उदालगिरि, जिला असम में उप निरीक्षक एस डब्ल्यू-14 दीपक दास से पूछताछ की गई। उन्होंने हल्फनामे के रूप में अपना बयान दर्ज किया है जो प्रदर्श एस डब्ल्यू 14/1 के रूप में प्रदर्शित है तथा इसमें बिन्दु क व ख पर उसके हस्ताक्षर भी हैं। वे वर्ष 2015 से जिला मजबत में तैनात हैं। वे उदालगिरि जिले में स्थित मजबत पुलिस थाने के ऊपर संदर्भित मामलों में जांच अधिकारी हैं तथा उन्होंने इसी प्रकार के बयान दिए हैं और एस डब्ल्यू-13 के बयान की भी पुष्टि की है।

58. एक अन्य गवाह जिससे पूछताछ की गई वे हैं पुलिस थाना चिरांग में 04.12.2013 में तैनात पुलिस अधीक्षक रंजन भूयान एस डब्ल्यू-15 हैं। उन्होंने हल्फनामे के जरिए साक्ष्य (प्रदर्श एस डब्ल्यू-15/1) प्रस्तुत किया है जिस पर बिन्दु सं. 'क' एवं 'ख' पर उनके हस्ताक्षर हैं।

59. आयुध अधिनियम की धारा 5(1-क)/27(2), ई एस अधिनियम की धारा 4 तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 15/16 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (ख)/121/121(क)/122/353/307 के तहत पुलिस थाना रूमखाता में दर्ज मामला सं. 08/2014 का विवरण देते हुए गवाह ने बताया कि दिनांक 14.2.2014 को प्रात: 10.00 बजे शिकायतकर्ता कैप्टन अभिषेक अहलावाला ने पुलिस थाना रूनिखाता में इस संबंध में एक 'इज़हार' दर्ज करवाया कि दिनांक 13.02.2014 को दोपहर 1:10 पर चार युवक दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर अचानक से जंगल की ओर से आए। सुरक्षा कार्मिकों को देखकर एक मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात युवक शांतिपुर की ओर भाग खड़े हुए जबकि दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों ने ग्राम आइपोवाली पार्ट-2 की ओर से बच निकलने का प्रयास किया। उसी प्रयास में मोटरसाइकिल सवारों में से एक फिसल गया और उनमें से एक युवक ने क्षेत्र आधिपत्य गश्ती दल की ओर ग्रेनेड दाग दिया जो फटा नहीं। इसके पश्चात, दोनों आतंकवादियों ने विभिन्न दिशाओं में भाग कर बच निकलने का प्रयास किया। जब उनकी खोज की जा रही थी, युवकों में से एक युवक ने गश्ती दल पर गोलीबारी की जिसके जवाबी हमले में वह घायल हो गया। दूसरे युवक का लगभग दो किलोमीटर तक पीछा किया गया। वह झाड़ियों के पीछे छिप गया तथा उसने गोलीबारी करते हुए दल की ओर ग्रेनेड फेंकने का प्रयास किया। गश्त दल ने नियंत्रित गोलीबारी की जिसमें युवक को चोट आई। गोलीबारी बंद होने के पश्चात, उस क्षेत्र की सावधानीपूर्वक छानबीन की गई तथा वहां दो घायल व्यक्ति पाए गए जिन्हे जे.एस.बी सिविल अस्पताल, काजलगांव ले जाया गया जहां पर उन्हे लगभग सांय 5.45 बजे मृत घोषित कर दिया गया। स्थान से विभिन्न आयुध एवं गोलाबारूद बरामद हुए।

गवाह ने एफ आई आर (प्रदर्श एस डब्ल्यू/15/2) की प्रमाणित प्रति; प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/3 के रूप में सामूहिक रूप से प्रर्दशित मूल जब्ती सूचियों की प्रमाणित प्रतियों की पुष्टि की।

60. गवाह ने यह भी बयान दिया कि जांच अधिकारी ने मृतक व्यक्तियों के फिंगर प्रिंट ले लिए थे। जब्त किए गए हथियारों को तुलना एवं रिपोर्ट के लिए निदेशक फिंगर प्रिंट ब्यूरो सी आई डी, असम, गुवाहाटी के पास भेजा गया। जब्त किए गए हथियारों एवं गोलाबारूद को जांच, तुलना एवं विशेषज्ञों की राय जानने के लिए विधिविज्ञान प्रयोगशाला, काहिलिपाड़ा, गुवाहाटी के पास भेजा गया। मृतक व्यक्ति के संरक्षित एवं जब्त हैंड वॉश को भी जांच एवं विशेषज्ञ की राय जानने के लिए भेजा गया। जांच अधिकारी ने जब्त किए गए मोटर साईकिल, जिसकी पंजीकरण सं. ए एस-26/4988 थी, की मेकेनिकल जांच रिपोर्ट एकत्र की। विशेषज्ञों की राय संबंधी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियों को सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/4 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

61. गवाह ने यह भी बयान दिया कि जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता (प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/5) के बयान दर्ज किए; चार गवाहों के बयानों को सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/6 के रूप में दर्शाया गया था। जांच के दौरान ग्यारह गवाहों के बयान दर्ज किए गए जिन्हें प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/7 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। गवाह ने आगे यह बताया कि जांच अधिकारी ने दोषी रंजय बासुमातारी (24 वर्ष) ऊर्फ किपी होंसिया से पूछताछ की तथा उसका बयान दर्ज किया जिसमें उन्होंने यह बात कबूल की कि वह एक एन डी एफ बी (एस) काडर था। उक्त बयान को प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/8 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। विधिविज्ञान प्रयोगशाला, काहिलिपाड़ा, गुवाहाटी से कुछ विशेषज्ञ राय संबंधी रिपोर्टें प्राप्त न होने की वजह से जांच लंबित है।

62. विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 15/16, ई एस अधिनियम की धारा 4, आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-क)/27(2) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (ख)/121/121(क)/122/307/353 के तहत पुलिस थाना रूनिखाता में दर्ज मामला सं. 57/14 में हुई घटना के बारे में बताते हुए गवाह ने यह बयान दिया कि दिनांक 04.08.2014 को सुबह लगभग 11.30 बजे शिकायतकर्ता मेजर पी. एन सुजेय कुमार ने इस संबंध में एक एफ आई आर दर्ज करवाई कि दिनांक 3.8.2014 को सांय 7:30 बजे जब वे भुर तिनियाली के समीप मौजूद थे, उन्होंने एन डी एफ बी (एस) के तीन संदिग्ध काडरों की गतिविधि को देखा। जब वे पास आए उन्हें रूक कर अपनी पहचान बताने के लिए कहा गया। इसी बात पर उन्होंने अचानक पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस दल ने भी आत्मरक्षा के लिए गोलीबारी की। गोलीबारी बंद होने के पश्चात उस क्षेत्र की जांच की गई तथा एन डी एफ बी के श्री जीकचान बासुमातारी नामक काडर को 7.65 पिस्तौल तथा 5 राऊंड लाइव गोला बारूद सहित गिरफ्तार किया गया। अशोक मुसाहारी ऊर्फ एम. अंखतामा नामक एक अन्य उग्रवादी को घायल अवस्था में पड़े पाया गया तथा उसे जे एस बी सिविल अस्पताल काजलगांव में शिफ्ट किया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके पास से एक 9 एम एम पिस्तौल, 6 राऊंड लाइव गोलाबारूद एक हैंड ग्रेनेड तथा 3 मोबाइल हैंडसैट और 6 सिम कार्ड बरामद किए गए। एफ आई आर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/9 के रूप में प्रदर्शित है तथा जब्ती सूचियों की प्रतियों को सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/10 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। शिकायतकर्ता का बयान प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/11 के रूप में प्रदर्शित है; जब्ती मैमो के संबंध में गवाहों के बयान सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/12 के रूप में प्रदर्शित है। जांच के दौरान दर्ज गवाहों के बयानों को सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/13 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जांच के दौरान अपराधी श्री जैकचन बासुमातारी के बयान को प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/14 के रूप में प्रदर्शित किया गया है जिसमें उन्होंने एन डी एफ बी की गतिविधियों में अपनी संलिप्तता की बात स्वीकार की है। विशेषज्ञों की राय की सत्यापित प्रतियों को सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/15 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मामले की जांच अभी चल रही है।

63. गवाह ने विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 15/16, आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क)/27(2) ई एस अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/353/307 के तहत पुलिस थाना अमगुरी में दर्ज एक अन्य मामला सं. 66/13 का विवरण दिया तथा यह बताया कि दिनांक 08.12.2013 को प्रात: लगभग 03.00 बजे अमगुरी पुलिस थाना के तहत दविसवमगुडी जंगली क्षेत्र में एन डी एफ बी (एस) के 2/3 दुर्दान्त सआयुध उग्रवादियों की उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट सूचना की प्राप्ति पर प्रात: लगभग 6:15 बजे एक संयुक्त अभियान को अंजाम दिया गया। खोज दल ने जंगल में छुपे तीन संदिग्ध उग्रवादियों को खोज निकाला। खोज दल को देखते ही उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी तथा वे अलग-अलग दिशाओं में भाग खड़े हुए। उग्रवादियों को रोकने के लिए खोज दल ने भी नियंत्रित जवाबी गोलीबारी की। गोलीबारी के उपरांत क्षेत्र में खोजबीन की गई तथा एक उग्रवादी को घायल अवस्था में जंगल के पास पड़े पाया गया। उसे तत्काल जे एस.बी सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक तथा आश्रय स्थल के पास से विभिन्न हथियार एवं गोलाबारूद बरामद किए गए। बाद में श्री बोलोराम बासुमातारी के रूप में मृतक की पहचान की गई। पोस्टमार्टम जांच के उपरांत मृतक का पार्थिव शरीर श्री बिलोराम बासुमातारी को सौंप दिया गया। गवाह ने एफ आई आर (प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/16); प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/17 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित जब्ती सूचियों की प्रतियों; शिकायतकर्ताओं के बयानों (प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/18); जब्ती ज्ञापनों के संबंध में प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/19 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित गवाहों के बयानों; जांच के दौरान दर्ज गवाहों के बयानों, जो सामूहिक रूप से प्रदर्शित हैं (प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/20); (प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/21) के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित विशेषज्ञ राय रिपोर्टों तथा मृतक व्यक्ति (प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/22) के वी सी एन बी की सत्यापित प्रतियों की पुष्टि की। मामले की जांच की जा रही है।

64. विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13, ई/एस अधिनियम की धारा 4, आयुध अधिनियम की धारा (25) (।-क)/3527 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा/120(ख)/121/121(क)/122/353/307 के तहत पुलिस थाना स्टेशन धालीगांव में दर्ज मामला सं.162/2013 में अन्य घटना का विवरण देते हुए गवाह ने बताया कि दिनांक 2.9.2013 को प्रात: 11.30 बजे यह विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर कि एन डी एफ बी (एस) के 5/6 सआयुध उग्रवादी खगराबारी – दावखानगर मार्ग से या तो किसी

व्यापारी का अपहरण करने अथवा धालीगांव/बोंगईगांव कस्बे में विस्फोट करने के लिए आएंगे, धालीगांव पुलिस स्टेशन के तहत खगराबाडी तिनियाली के समीप घात लगाकर हमला करने की तैयारी की गई। अगले दिन लगभग 3:35 बजे संदिग्ध बदमाशों का एक समूह देखा गया/ उन्हें जांच/छानबीन के लिए रूकने को कहा गया। उग्रवादियों ने अचानक पुलिस/सुरक्षा कार्मिकों पर एक ग्रेनेड दाग दिया (जो फटा नहीं) तथा गोलीबारी करनी शुरू कर दी जिसका प्रतिकार किया गया। जवाबी कार्रवाई लगभग 10/15 मिनट तक चली। खोज अभियान के दौरान एक बिना फटा हुआ एच ई/36 हैंड ग्रेनेड, एक लीवर, एक आर्मिंग रिंग, एक सेफ्टी पिन, एक 9 एम एम फैक्ट्री मेड पिस्तौल, 9 एम.एम. लाइव गोलाबारूद (1 अनदगा कारतूस), 9 एम एम के 8 खाली कारतूस तथा ए के राइफल्स गोलाबारूद के 14 खाली बक्से बरामद हुए। एफ आई आर (प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/23) के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना स्थल से बरामद वस्तुओं को सामूहिक रूप से प्रदर्शित (प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/24) जब्ती ज्ञापन के तहत जब्त किया गया। शिकायतकर्ता के बयान को प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/25 के तहत दर्ज किया गया। गवाहों के बयान तथा जब्ती ज्ञापनों को सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/26 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जांच के दौरान दर्ज 10 गवाहों के बयानों को सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/27 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

65. गवाह ने यह भी बताया कि जांच अधिकारी ने अपराधी श्री इजोना ऊर्फ अंकुर चंपामारी तथा श्री संजय बासुमातारी से पूछताछ की तथा उनके बयान दर्ज किए गए जिन्हें सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/28 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने एन डी एफ बी (एस) के दुर्दांत सदस्य होने की बात स्वीकार की। विशेषज्ञों की राय की सत्यापित प्रतियों को सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/29 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मृतक/दोषी व्यक्तियों के वी सी एन बी की प्रमाणित प्रतियों को सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/30 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मामले की अभी जांच की जा रही है।

66. गवाह ने आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ए)/27 (@), ई एस अधिनियम की धारा 4, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 15/16 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (ख)/121 (क)/122/353/307 के तहत पुलिस थाना रूनिखाता में दर्ज एक अन्य मामला सं. 28/13 का भी विवरण दिया। उसने बताया कि दिनांक 11.12.2013 को प्रात: लगभग 10.00 बजे शिकायतकर्ता आदित्य सिंह सेंगर ने रूनिखाता पुलिस थाने में इस संबंध में एक 'इजहार' दर्ज करवाया कि जब वे घटना स्थल पर प्रात: 1:30 बजे खोज अभियान के लिए मौजूद थे, तब खोज दल ने तीन संदिग्ध उग्रवादियों का पता लगाया जो भूसे के ढ़ेर में छिपे हुए थे तथा उन्हें तत्काल बाहर आने के लिए कहा किन्तु उग्रवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी तथा आत्मरक्षा के लिए जवाबी हमला भी किया गया। जब गोलीबारी बंद हो गई तो उसके बाद उस क्षेत्र में खोजबीन की गई तथा तीन घायल युवक उस स्थान पर मिले जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल, काजलगांव भेजा गया। उनमें से दो व्यक्तियों को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया तथा निकोदिन नरजारी (19 वर्ष) नामक एक तीसरे व्यक्ति को बेहतर उपचार के लिए जी एम सी एच, गुवाहाटी भेज दिया गया। मृतक व्यक्तियों की प्रांजित नरजारी (20 वर्ष) तथा जिरी नरजारी (19 वर्ष) के रूप में पहचान की गई तथा दोनों ही व्यक्ति रायदंगबारी पुलिस थाना रूनिखाता के निवासी थे। उनके पास से विभिन्न हथियार तथा गोलाबारूद बरामद किए गए। गवाह ने एफ आई आर (प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/31) की प्रति की पुष्टि की। मूल जब्ती ज्ञापनों की प्रतियों को सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/32 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। विशेषज्ञों की राय की पृथक प्रतियों को सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/33 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। शिकायतकर्ता के बयान को प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/34 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जब्ती ज्ञापनों के संबंध में गवाहों के बयानों को सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/35 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जांच के दौरान दर्ज गवाहों के बयानों को सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू 15/36 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

67. पी डब्ल्यू 15 ने यह बताया कि आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ए)/27(2), ई एस अधिनियम की धारा 4 तथा विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 15/16 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी)/121/121(ए)/122/307/353 के तहत दर्ज एफ आई आर मामला सं. 57/14 में घटना स्थल से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया तथा उसे पुलिस दल के सदस्यों द्वारा पहचान लिया गया है। उस स्थान से उस व्यक्ति के कब्जे से कुछ हथियार तथा गोलाबारूद जब्त किए गए।

68. ई एस अधिनियम की धारा 4, आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क)/27 (2), विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 15/16 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/353/307 के तहत दर्ज एफ आई आर सं. 66/13 के संबंध में उसने बताया कि उस स्थान से एन डी एफ बी का लैटर हैड बरामद हुआ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत गवाह रोनन नरजारी के बयान को एस डी जे एम, बिजनी के न्यायालय में दर्ज किया गया जिसमें उसने मुठभेड़ में मारे गए व्यक्तियों की पहचान की।

69. ई एस अधिनियम की धारा 4, आयुध अधिनियम की धारा 25(।-ए)/27(2) तथा विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, की धारा 15/16 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120(ख)/121/121(क)/122/353/307 के तहत दर्ज एफ आई आर सं. 28/13 के संबंध में उसने सूचित किया कि मुठभेड़ के दौरान संगठन का निकोडिन नरजारी नामक व्यक्ति घायल हो गया। उसका अभी उपचार चल रहा है। डॉक्टर ने अभी उससे पूछताछ की अनुमति नहीं दी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत 5/6 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं।

70. अभियोजन के दौरान रुनिखाता पुलिस थाना में मार्च, 2014 से तैनात एस डब्ल्यू-16 मनोज नरजारी, उप निरीक्षक से पूछताछ की गई। उन्होंने शपथपत्र प्रदर्श एस डब्ल्यू 16/1 के रूप में अपना बयान दिया है। बिन्दु सं. 'क' एवं 'ख' पर उनके हस्ताक्षर हैं।

मामला सं.57/14 में जांच अधिकारी होने के नाते उन्होंने सभी तथ्यों के संबंध में एस डब्ल्यू-15 (रंजन भूयान) के बयान की पुष्टि की। उसने बताया कि केस डायरी से उपरोक्त विधिविरूद्ध गतिविधियों में एन डी एफ बी (एस) काडरों की संलिप्तता की पुष्टि होती है।

71. एस डब्ल्यू - 17 सुनील कुमार, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक, कोकराझार जिला ने शपथपत्र (प्रदर्श एस डब्ल्यू 17/1) के माध्यम से अपना बयान दर्ज करवाया है जिसमें बिन्दु सं. 'क' एवं 'ख' पर उनके हस्ताक्षर हैं।

72. आयुध अधिनियम की धारा 25 (।-क) (ख)/27, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (ख)/121/121/(क)/122/353/326/427/307/302 के तहत दर्ज मामला सं.57/13 से संबंधित विवरण देते हुए उसने बताया कि दिनांक 26.09.2013 को प्रात: 11.30 बजे उप-निरीक्षक नारायण सी एच बर्मन, आई सी रूपशी ओ पी दल के अन्य सदस्यों सहित सरकारी डयूटी निभाने के लिए मालतीझोरा, बनयागुडी गए। जब वे वापिस आ रहे थे तब अत्याधुनिक परिष्कृत हथियारों से लैस कुछ उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोली चलाते हुए पुलिस वाहन पर हमला कर दिया परिणामस्वरूप उप निरीक्षक नारायण सी एच बर्मन तथा चालक मदन रे की मौके पर ही मौत हो गई जबकि हवलदार शाहजहां मियां को गंभीर चोटें आईं। गोली लगने से वाहन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने जवाबी हमले में उग्रवादियों पर गोलीबारी की किन्तु वे घने जंगल की आड़ में छिप कर भाग निकलने में सफल रहे। उस स्थान से आयुध एवं गोलाबारूद बरामद हुआ। जांच के दौरान यह पाया गया कि एन डी एफ बी (एस) के उग्रवादी इस घटना के लिए उत्तरदायी थे। नियमित आधार पर छापे मारे गए और ऐसे ही एक छापे के दौरान एन डी एफ बी (एस) उग्रवादी समूह के (।) मोनो कुमार ब्रह्मा ऊर्फ बी मुसुका (22 वर्ष) तथा (2) प्रदीप ब्रह्मा ऊर्फ तेपरा (19) नामक मुख्य अपराधी जिला पुलिस एवं सेना द्वारा बाशबारी, भोंगलाझोरा जंगल में मुठभेड़ के दौरान मारे गए जिसके संबंध में पुलिस थाना काजीगांव में मामला सं.58/2013 दर्ज है। मारे गए उग्रवादियों (1) बिनोद संगमा (2) उत्तम ब्रह्मा (3) अनिल ब्रह्मा (4) अम्बिका ब्रह्मा (5) सुजोय ब्रह्मा तथा (6) अजित ब्रह्मा के पास से कई वस्तुएं तथा गोलाबारूद बरामद हुआ। सर्कल इंस्पैक्टर काजीगांव, सुनंदा ठाकुर ने एन डी एफ बी (एस) के प्रदीप ब्रह्मा ऊर्फ पुलर नामक एक दुर्दान्त उग्रवादी को गिरफ्तार किया जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान के अनुसार अपने ड्राइवर के साथ मिलकर नारायण सी एच बर्मन की हत्या करने की बात स्वीकार की। जांच से यह पता चला कि एन डी एफ बी (एस) के उग्रवादी निरंतर ग्राम मोंगलाझोरा, बन्यागुडी, तिपकाई के ग्रामवासियों के घरों पर जाकर आश्रय एवं भोजन इत्यादि ग्रहण करते थे तथा उनके सक्रिय सहयोग से ही अपनी शक्ति एवं अस्तित्व का प्रदर्शन करने के लिए एन डी एफ बी (एस) के उग्रवादियों ने अपराध को अंजाम दिया। गवाह ने यह भी बताया कि जांच के दौरान 7 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। उसने एफ आई आर (प्रदर्श एस डब्ल्यू 17/2) की प्रमाणित प्रति; जी डी एंट्री (प्रदर्श एस डब्ल्यू 17/2ए), जब्ती सूची (प्रदर्श एस डब्ल्यू-17/3) की प्रमाणित प्रति; एन डी एफ बी (एस) के गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों के बयान जो सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू/17/4 तथा गवाहों के बयान जो प्रदर्श एस डब्ल्यू 17/5 के रूप में प्रदर्शित है, की पुष्टि की।

73. आयुध अधिनियम की धारा 25 (।-ए)/27 के साथ पठित, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (ख)/121/121(क)/122/341/326/307/302 के तहत पुलिस थाना सेरफांगुरी में दर्ज मामला एफ आई आर सं.01/2014 का विस्तृत विवरण देते हुए गवाह ने बताया कि दिनांक 18.01.2014 को सांय 7:10 बजे शिकायतकर्ता अखिलेश कुमार सिंह ने इस संबंध में सेरफांगुरी पुलिस थाना में एक 'इजहार' दर्ज करवाया कि जब वे दिनांक 17.01.2014 को अपने भाई पप्पू सिंह के साथ सिलिगुडी से उत्तरी लखीमपुर की ओर बस सं. ए.एस.01-सीसी/7977 से सांय 8.00 बजे वापिस आ रहे थे और जब वे अथियाबारी तिनाली,जो राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते में 31(सी) पर स्थित है, पहुंचे तो 8/9 उग्रवादियों, जो सेना की पोशाक पहने हुए थे, ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ बस को रोका तथा अन्य यात्रियों सहित उन्हें जबरन बस से बाहर निकाला। उसके बाद, वाहनों को वहां से भेज दिया गया तथा उग्रवादियों ने बस से जबरन उतारे गए यात्रियों की नृशंस एवं बर्बरतापूर्ण ढंग से हत्या कर दी। फायरिंग में शिकायतकर्ता का भाई पप्पू कुमार सिंह तथा चार अन्य व्यक्ति नामत:अहेट बिहारी गिरी (20 वर्ष), रास बिहारी गिरि (19 वर्ष), शोमशेर मंत्री (20 वर्ष) तथा अनिकुल एस के (23 वर्ष) मारे गए। अन्य यात्रियों नामत: अनमोल गुप्ता (17 साल), परमानंद ओझा (35 साल), बाबूलाल कर्मकार (38 साल) गोली लगने से घायल हुए। शिकायतकर्ता किसी तरह से उस स्थान से बचकर भागने में सफल रहा। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, पुलिस दल मौके पर पहुंचा और गोली लगे पांच शवों को और तीन गंभीर रूप से घायलों को बरामद किया। उपचार के लिए उन्हें तत्काल लोवर असम अस्पताल, बोगंईगांव भेजा गया। घटनास्थल की जांच के दौरान विभिन्न आयुध तथा गोला बारूद बरामद किया गया। उग्रवादी को पकड़ने के लिए गहन तलाशी की गई। जांच के दौरान यह पता चला कि एनडीएफबी (एस) समूह इस मामले में संलिप्त था। नौ एनडीएफबी (एस) के कट्टर कार्यकर्ता एवं लिंकमैन को गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वे थे (1) बिरखांग नरजारी उर्फ बुरलूंग बुथुर (2) स्वमख्वर ब्रह्मा उर्फ खुर्वी (3) मिथिंगा मुशाहारी उर्फ मिलान (4) मिलान बसुमातारी उर्फ महेन्द्रा (5) ख्वमथा नरजारी उर्फ ख्वमदवन (6) उनीलियास मुशाहारी उर्फ जेतली (7) गोपी नाथ नरजारी (8) उतम नरजारी और (9) रिनोल नरजारी। गिरफ्तार काडरों ने अपना अपराध कबूला एवं यह बताया कि उन्हें हिन्दी बोलने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाने के स्पष्ट आदेश थे और उन्होंने उनकी हत्या कर दी। उसी दिन कचुगांव पीएस में सुरक्षा बलों द्वारा मुठभेड़ में एनडीएफबी (एस) काडर के राजा बसुमातारी को मारने का बदला लेने के लिए नरसंहार किया गया था। राजा उस समूह का दुर्दान्त काडर था। गवाह ने सूचित किया कि जाबलांग बाद में दिनांक 10.01.2015 को मुठभेड़ में मारा गया। आतंकवादी पर असम पुलिस द्वारा 5 लाख रु. का इनाम घोषित कर रखा था। आगे की जांच के दौरान, अठारह गवाहों से पूछताछ की गई। उनके कथनों से यह प्रकट हुआ कि एनडीएफबी

(एस) काडरों ने अत्याधुनिक हथियारों एवं गोलाबारूद से बस में बैठे हिन्दी भाषी यात्रियों पर हमला बोल दिया था। अपने बयान में नौ गिरफ्तार अभियुक्त व्यक्तियों ने देश की सम्प्रभुता से ऊपर अपनी ताकत एवं सामर्थ्य को दिखाने के लिए एनडीएफबी (एस) समूह के कमांडर बी. जांबलांग के नेतृत्व में हत्या की बात को स्वीकारा।

गवाह ने एफआईआर की प्रमाणित प्रति और मूल शिकायत (प्रदर्श एस डब्ल्यू 17/6); जब्ती सूची (प्रदर्श एस डब्ल्यू 17/7); की प्रमाणित प्रति; विशेषज्ञ रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू 17/8), प्रदर्श एस डब्ल्यू 17/9 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित गिरफ्तार अभियुक्त व्यक्तियों के बयान और प्रदर्श एस डब्ल्यू 17/10 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित गवाहों के बयान को सिद्ध किया।

74. आयुध अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 448/457/302/307/326/324/427/34 के तहत एफआईआर सं. 155/2014 का अन्य मामला गौसाइगांव पुलिस स्टेशन पर दर्ज किया गया था। गवाह ने गवाही दी कि दिनांक 01.05.2014 को अपराह्न 11.30 बजे पर, 20/25 बोड़ो युवकों की संख्या में अज्ञात बदमाशों का एक दल, एनडीएफबी (एस) समूह के संदिग्ध सदस्य, घातक हथियारों से लैस गौसाइगांव पुलिस स्टेशन के तुलसीबिल ओपी के तहत गांव बालापारा पार्ट-। में घुसे और निवासियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। छह: व्यक्ति, नामत: (1) मोस्ट. सयातोन बेवा (40 वर्ष), (2) मोस्ट. सुनाभान बीबी (22 वर्ष), (3) सुश्री सुहाना खातुन (2 वर्ष), (4) मो. बादसू एस के (52 वर्ष), (5) मोस्ट जेलिना बीबी (25 वर्ष), और (6) सुश्री फरीदा खातुन (6 वर्ष) गोली लगने के कारण मौके पर ही मारे गए। तीन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। पीड़ितों को तुरंत सपतग्राम सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिनांक 02.05.2014 को सुबह गंभीर रूप से घायल मोस्ट. महासभान बीबी उर्फ महीरों बीबी की धुबरी सिविल अस्पताल में मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होने पर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की। प्रारंभिक जांच के दौरान यह संदेह हुआ था कि उपर्युक्त घटना अपने उपद्रवी इरादों तथा ताकत को दिखाने के लिए एनडीएफबी (एस) अतिवादियों का कार्य था। इस मामले को दिनांक 20.05.2014 के सरकारी आदेश सं. 110011/30/2014-आईएस-IV के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अपने हाथ में लिया। उक्त मामले के सभी रिकॉर्ड एवं डायरियों को आगे जांच हेतु राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था। गवाह ने एफआईआर की प्रमाणित प्रति और क्रमश: जीडी इंट्री प्रदर्श एस डब्ल्यू 17/11 और प्रदर्श एसडब्ल्यू 17/12 को सिद्ध किया। जांच एनआईए को सौंपे जाने संबंधी सरकारी आदेश की प्रतियां प्रदर्श एस डब्ल्यू 17/13 है।

75. इस गवाह ने अतिरिक्त शपथपत्र (प्रदर्श एस डब्ल्यू 17/14) दायर किया जो कुछ नए तथ्यों को रिकार्ड में लाने के लिए बिंदु 'क' और 'ख' पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने जून, 2014 में गवाही दी कि एनडीएफबी के कोकराझार प्लाटून के स्वयंभू कमांडर बी. जाबलांग ने अनेक मीडिया कर्मियों को बुलाया जिसमें उसने अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया था और भारत सरकार एवं सुरक्षा बलों को चुनौती (स्थानीय बोड़ो भाषा में) दी। उसने 17.01.2014 को खुलासा किया कि मामला सं. 01/2014 पुलिस स्टेशन सेरफांगुरी के संबंध में हिन्दी भाषी लोगों के नरसंहार के बाद बी. जाबलांग ने एक मीडिया पत्रकार को बुलाया था और नरसंहार की जिम्मेदारी ली थी। उक्त फुटेज वास्तव में स्थानीय इलैक्ट्रानिक मीडिया द्वारा रिकार्ड की गई थी और विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित की गई। उस वीडियो में हथियार दिखाने वाले छ: काडरों को बाद में पुलिस द्वारा एक अभियान में गिरफ्तार कर लिया गया था और उक्त हथियारों को बरामद कर लिया गया था। बी. जाबलांग जनवरी, 2015 में हुई एक मुठभेड़ में मारा गया। गवाह ने मीडिया (प्रदर्श एस डब्ल्यू 17/15) से जब्त वीडियो सीडी और उसकी नकल (प्रदर्श एस डब्ल्यू 17/16) को रिकार्ड में लिया।

76. एस डब्ल्यू 17 ने भी एनडीएफबी (एस) नेताओं नामत: मीथिंगा और बी जाबलांग द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की वीडियो क्लिपिंग को सिद्ध किया। जिसकी नकल प्रदर्श एस डब्ल्यू 17/16 है। यह निम्नानुसार पठित है:

''एनडीएफबी (एस) नेताओं नामत: मीथिंगा और बी जाबलांग द्वारा 17/06/2014 को की गई प्रेस ब्रीफिंग की वीडियो की नकल (बोड़ो से अंग्रेजी अनुवाद).

(क) मीथिंगा [एनडीएफबी के कोकराझार प्लाटून के द्वितीय कमान अधिकारी जिसे अब दिनांक 08/01/2015 को गिरफ्तार कर लिया गया है।]:-

बोड़ो :- ऑफ दा इडियन गवर्नमेंट फॉर शॉर्ट टाईम जबाई दे।

अंग्रेजी :- वे जल्दी ही भारत सरकार को जवाब देंगे – ठीक है।

(ख) जाबलांग (एनडीएफबी (एस) का कोकराझार प्लाटून का कमांडर जो अब 10/01/2015 को मुठभेड़ में मारा गया)]:-

बोड़ो :- ज्वांगाथे बेयाओं जेबब बुगनागाओं ग्वीया, ज्वंगनी सायाओं ओइताचार खालामदवांग ज्वंगबब बीनी खीथवरखव थाप लाग्वन इंडिया सरकारा बीनी थाख्वीथाक थीयारी जानेया ग्वानांग्थी दोंग।''

अंग्रेजी :- इस घटना के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। वे (भारत सरकार) हमे परेशान कर रहे हैं और हम जल्दी ही बदला लेंगे। भारत सरकार गंभीर परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहे।''

77. एस डब्ल्यू-18 बिनांदा बसुमातारी उप निरीक्षक, जो वर्तमान में 17.02.2014 से ओ/सी सेरफांगुरी पुलिस स्टेशन, कोकराझार, जिला में कार्यरत हैं, ने शपथपत्र (प्रदर्श एस डब्ल्यू18/1) के रूप में साक्ष्य दायर किए जिसमें बिंदू 'क' एवं 'ख' पर हस्ताक्षर किए हैं। वह

आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क)/27 और यूए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(ख)/121/121(क)/122//341/326/307/302 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन सेरफांगुरी में मामला सं. 01/14 में जांच अधिकारी हैं। उन्होंने सभी तथ्यों पर एस डब्ल्यू-17 सुनील कुमार जैसी गवाही दी है।

78. अन्य गवाह जिनसे एस डब्ल्यू-19 मोजीबुर रहमान एपीएस वर्तमान में 15.7.2014 से पुलिस अधीक्षक, बक्सा जिला में कार्यरत हैं ने पूछताछ में बिंदु 'क' एवं 'ख' पर अपने हस्ताक्षर हुए प्रदर्श एस डब्ल्यू-19/1 के रूप में शपथपत्र के द्वारा साक्ष्य दिया है। पुलिस स्टेशन गोरेश्वर में दर्ज आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-क) यूए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित ई एस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत मामला सं. 104/2014 के ब्यौरे के अनुसार उन्होंने गवाही दी कि दिनांक 10.11.2014 को सुबह 7.55 बजे एक गुप्त सूचना मिली कि एनडीएफबी (एस) के चार कार्यकर्ता बक्सा जिले के गोरेश्वर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सं. 3 बालाबारी के श्री देबोन नरजारी के घर में शरण लिए हुए थे। तद्नुसार तलाशी दल वहां पहुंचा और स्थानीय गवाहों की उपस्थिति में देवेन नरजारी के परिसर एवं घर की तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान एनडीएफबी (एस) काडरों नामत: रतन बोरो (2) नमालु बोरो और (3) सिरन बोरो को वहां से पकड़ा और वहां से बड़ी संख्या में हथियार एवं गोलाबारूद तथा विस्फोटक बरामद हुआ। इस मामले में दर्ज एफआरआई की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-19/2 है। जब्ती ज्ञापन की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-19/3 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित की है; गवाहों के दर्ज बयान एस डब्ल्यू-19/4 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित किए हैं। गवाह ने आगे बताया कि सभी पकड़े गए काडरों को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

79. पुलिस स्टेशन गोरेश्वर में आईपीसी की धारा 120(बी)/384 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-क)/27 के साथ पठित ई एस अधिनियम की धारा 5 और गैर-कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम की धारा 10/13 के अंतर्गत मामला सं. 90/2013 के संबंध में, गवाह ने कहा कि विशेष सूचना के आधार पर 31.10.2013 को सुबह 4.30 बजे सेना एवं पुलिस के संयुक्त दल ने गोरेश्वर पुलिस स्टेशन ओयुगुरी गांव के बेलगुरी चुपा पर तलाशी अभियान शुरू किया और चार एनडीएफबी (एस) काडरों नामत: (1) बिजोह बोरो उर्फ बी बुखरब (24 वर्ष), (2) फारमान बोरो (26 वर्ष), (3) उपेन बोरो (23 वर्ष) और (4) सनुसुमा नरजारी (25 वर्ष) को कुलराम बोरो के घर से पकड़ा गया जहां वे शरण लिए हुए थे। उनके कब्जे से विभिन्न हथियार, गोलाबारूद एवं विस्फोटक बरामद हुए थे। एफआईआर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-19/5; जब्ती ज्ञापनों की प्रतियां प्रदर्श एस डब्ल्यू-19/7 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित और प्रासंगिक गवाहों के बयानों को प्रदर्श एस डब्ल्यू-19/7 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। गवाह ने आगे कहा है कि पकड़े गए सभी एनडीएफबी (एस) को गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान गवाहों के बयानों को रिकॉर्ड किया गया था।

80. गवाह ने तामुलपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित भा. दं. सं. की धारा 120(बी)/121/121(क)/34 के अंतर्गत एक अन्य मामला सं. 26/14 का विवरण दिया और गवाही दी कि दिनांक 24.02.2014 की दोपहर को जब मेजर परमजीत सिंह, कम्पनी कमांडर, कुमारिकाता आर्मी कैम्प अपने सैन्य दल और स्थानीय पुलिस के साथ पगलाडिया नदी के किनारे नजदीक गांव खैरानी पर मोबाइल चेक पोस्ट ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने एनडीएफबी (एस) के दो काडारों नामत: (1) इरागदाओं बसुमातारी और (2) गाओदांग बसुमातारी उर्फ बिक्रम बसुमातारी को पकड़ा और उनके कब्जे से विभिन्न हथियार एवं गोलाबारूद बरामद हुआ। एफआईआर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-19/8. के रूप में रिकार्ड हुई। गवाह ने आगे बताया कि जांच के दौरान उपर्युक्त एनडीएफबी काडरों से पूछताछ के दौरान मिली सूचना के आधार पर एक और एनडीएफबी कार्यकर्ता नामत: बिरदाओं सिंह बोरो उर्फ बी बवथवर को भी पकड़ा गया। पकड़े गए सभी काडरों को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विभिन्न गवाहों के बयानों को रिकार्ड किया गया था। गवाह ने सिद्ध किया कि जब्ती ज्ञापन की प्रतियां सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू-19/9 के रूप में प्रदर्शित की गई और सामूहिक रिकार्ड किए गए गवाहों के बयानों को प्रदर्श एस डब्ल्यू-19/10 के रूप में प्रदर्शित किया गया।

81. गवाह ने आगे गवाही दी कि आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-क) और यूए (पी) अधिनियम की धारा 17/18 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120(बी)/121/122 के अंतर्गत मामला सं. एफआईआर 07/13 (प्रदर्श एस डब्ल्यू-19/11) एनके/सूबेदार जगदीश प्रसाद की शिकायत पर पुलिस स्टेशन सलबारी में दर्ज किया गया था। दिनांक 23.02.2013 की दोपहर को गुप्त सूचना के आधार पर एक सैन्य मोबाइल जांच पार्टी ने कवाईमारी चौक पर जांच नाका लगाया और दो एनडीएफबी कार्यकर्ताओ को रोका/पकड़ा और नामत: (1) शम्भू चरण बसुमातारी, (2) दलीप नरजारी को पकड़ा/तीन एन डी एफ बी लिंकमैन अर्थात् (।) गदंग बसुमातारी (2) सेखर स्वरगीयारी उर्फ घाना और (3) बिजोय दास को भी पकड़ा। पकड़े गए एनडीएफबी काडरों से विभिन्न हथियार एवं गोलाबारूद बरामद किया गया। पकड़े गए सभी एनडीएफबी काडरों एवं लिंकमैन को गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जांच के दौरान विभिन्न गवाहों के बयान रिकार्ड किए गए थे। गवाहों ने जब्ती ज्ञापनों की प्रतियों को सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू-19/12 के रूप में प्रदर्शित किया और गवाहों के बयानों को सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू-19/13 के रूप में प्रदर्शित किया गया।

82. आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क), यूए (पी) अधिनियम की धारा 17/18 के साथ पठित भा. दं. सं. की धारा 121(बी)/121/387 के अंतर्गत मामला सं. एफआईआर 44/13 से संबंधित मामला पुलिस स्टेशन सलबारी में दर्ज किया गया, गवाह ने गवाही दी कि दिनांक 27.09.2013 को शिकायतकर्ता स्वागीयरी ने एफआईआर दर्ज कराई कि उस दिन 12 बजे 4 एनडीएफबी कार्यकर्ता दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर भोगपुर घाट पर बन रहे आरसीसी पुल पहुमारा नदी पर आए और स्थल प्रभारी से पैसों की मांग की। उस समय स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए और तीन कार्यकताओं नामत: (1) ग्वमसार दायमारी, (2) सैथा बासुमातारी और (3) राजू बासुमातारी को पकड़ा। चौथा एक भागने में सफल रहा। पकड़े गए युवकों ने स्थानीय पुलिस के सामने प्रकट किया कि वे एनडीएफबी (आरडी) के गुट के सदस्य थे और अपने संगठन के लिए चंदा इकट्ठा करने आए थे। उनके कब्जे से एक 9 एमएम पिस्तौल, तीन 9 एमएम जिन्दा गोलाबारूद और दो मोटरसाइकिल बरामद की गई थी। जांच के दौरान विभिन्न गवाहों के बयान रिकार्ड किए गए। गवाह ने

एफआईआर की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू-19/14; जब्ती ज्ञापन की प्रतियों को प्रदर्श एस डब्ल्यू-19/15 के रूप में सामूहिक रूप और शिकायतकर्ता एवं अन्य गवाहों के बयानों को प्रदर्श एस डब्ल्यू-19/16 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित को प्रमाणित किया।

83. दिनांक 23.07.2013 से गोरेश्वर पुलिस स्टेशन के कार्यालय प्रभारी एस डब्ल्यू-20 श्री उपेन्द्र नाथ सारनाथ, पुलिस निरीक्षक ने अपना शपथपत्र (प्रदर्श एस डब्ल्यू-20/1) दायर किया था जिसमें बिंदू 'क' एवं 'ख' पर उनके हस्ताक्षर थे। वह विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-क) के अंतर्गत एफआईआर सं. 104/2014 मामले में जांच अधिकारी हैं। उन्होंने एस डब्ल्यू-19 (मोजिबुर रहमान) के गवाही की पुष्टि की।

84. एस डब्ल्यू-9 सुश्री बनया गोगोई, पुलिस अधीक्षक, विशेष अभियान इकाई, असम सरकार, दिसपुर, गुवाहाटी ने शपथपत्र (प्रदर्श एस डब्ल्यू-9/1) के माध्यम से अपना साक्ष्य दर्ज कराया जिस पर बिंदु 'क' एवं 'ख' पर उनके हस्ताक्षर थे। उनकी ड्यूटी पूरे राज्य में गैर-कानूनी एवं आतंकवादी गतिविधियों पर निगरानी रखना है।

85. उन्होंने गवाही दी कि एनडीएफबी द्वारा चलाई गई विधिविरुद्ध गतिविधियों के मद्देनज़र, भारत सरकार ने समय-समय पर विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत एनडीएफबी संगठन को इसके गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों के साथ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 के तहत विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया था जिसे विभिन्न अधिकरणों ने बरकरार रखा है। इसी प्रकार भारत के सरकारी राजपत्र में दिनांक नवम्बर 23, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का. आ. 2956 (अ) के तहत एनडीएफबी तथा इसके सभी गुटों, विंगों ओर अग्रणी संगठनों पर प्रतिबंध का विस्तार पुन: घोषित किया गया था। उन्होंने दिनांक 23.11.2012 से 22.11.2014 तक की लगभग 238 घटनाओं के ब्यौरे प्रदान करते हुए घटना चार्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/2) रिकार्ड में रखा जिसमें एनडीएफबी सम्मिलित था। इसके परिणामस्वरूप 85 आम नागरिक तथा चार सुरक्षा कार्मिक मारे गए तथा 109 व्यक्ति घायल हुए और 52 का अपहरण हुआ। 657 एनडीएफबी काडरों तथा उनके लिंकमैनों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से विभिन्न प्रकार के हथियार बरामद किए गए। उन्होंने यह भी गवाही दी कि एनडीएफबी निरंतर सक्रिय रूप से राज्य के विरूद्ध लड़ाई छेड़ते रहते हैं। वे सेना/पुलिस/सुरक्षा बल कार्मिकों तथा कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर हमला और लोक एवं निजी संपत्तियों को नष्ट करने सहित आतंकवादी हिंसा की कार्रवाइयों को तेज करके सम्प्रभु बोडोलैंड की स्थापना के उद्देश्य से लगातार अपनी अलगाववादी एंव हिंसक गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। गुट ने शेरपुर जिला और क्रमश: मेघालय एवं मिजोरम तथा म्यामांर से भी सटी हुई सीमा के साथ चटगांव पहाड़ी इलाकों में अनेक कैम्पों/ठिकानों की स्थापना कर ली है। विदेशी जमीन पर कैम्पों की स्थापना से एनडीएफबी काडरों के प्रशिक्षण में सहायता मिली है जिस पर अंकुश नहीं लगा है। इससे विदेशी जमीन पर भर्ती किए गए नए काडरों को प्रशिक्षण प्रदान के बाद राज्य में उनकी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखने में सुविधा हुई है क्योंकि विदेश में नए भर्ती काडरों को प्रशिक्षण दिए जाने के बाद उन्हें विध्वंसक गतिविधियों के लिए राज्य में भेजा जाता है। उन्होंने आगे बताया कि स्वयंभू अध्यक्ष रंजन दायमारी (मई, 2010 में गिरफ्तार) सहित बांग्लादेश में बैठे एनडीएफबी नेतृत्व संप्रभुता सम्पन्न स्वतंत्र बोडोलैंड की स्थापना का समर्थन कर रहा है। वह बांग्लादेश के खगराचारी कैम्प में आयोजित पासिंग आउट में प्रशिक्षुओं को एक स्वतंत्र बोडोलैंड के लिए अपनी जान कुर्बान करने की प्रेरणा देते हैं। अपनी शुरूआत के समय से अपने अलगाववादी उद्देश्य के अनुसरण में एनडीएफबी उदालगिरि, कामरूप, बक्सा, बारपेटा, कोकराझार इत्यादि जिलों के भीतर बोडो निवासी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आतंकवादी एवं विध्वंसक कृत्यों में लिप्त रहा है जिसके कारण गैर बोड़ो लोगों के बीच तथा एनडीएफबी की अलगाववादी विचारधारा का विरोध करने वाले बोडो लोगों में भी डर एवं असुरक्षा की भावना फैल रही है।

86. उन्होंने आगे बताया है कि यह संगठन उल्फा, एनएससीएन (के), एनएससीएन (आईएम), केवाईकेएल, केएलओ, यूपीपीके, एचएनएलसी, एएनवीसी इत्यादि सहित अन्य पूर्वोत्तर घुसपैठी गुटों के साथ नापाक गठजोड़ बनाए हुए है। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अनेक ठिकाने स्थापित कर लिए हैं और नेशनल लिब्रेशन ऑफ त्रिपुरा के गठजोड़ में ट्रांजिट कैम्पों की स्थापना की है। उन्होंने प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/3 के रूप में सामूहिक रूप से प्रदर्शित रंजन दायमरी से पूछताछ के बयानों की प्रतियों को सिद्ध किया। चूंकि पूछताछ संवेदनशील श्रेणी की थी, इसलिए उन्होंने इस अधिकरण से सीलबंद लिफाफे में अंग्रेजी में अनूदित पूरे मूल बयानों की प्रति दर्ज करने की इजाजत मांगी।

87. उन्होंने आगे बताया कि एनडीएफबी के उपाध्यक्ष, महासचिव सहित कुछ वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी और बीएटीडी की स्थापना के बाद जन समर्थन के घटते रूझान से एनडीएफबी ने दिनांक 15.10.2004 से एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की। दिनांक 01.06.2005 से एक वर्ष के लिए भारत सरकार, असम सरकार तथा एनडीएफबी नेतृत्व के मध्य अभियान निलम्बन क़रार पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसे युद्धविराम के बाद भी एनडीएफबी द्वारा अपनाई गई अलगाववादी नीति के कारण जिसे दिनांक 01.06.2006 से आगे छ: माह के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। तब से 30.06.2015 तक अभियान निलम्बन क़रार चरणबद्ध रूप से तदनन्तर आगे बढ़ाया जाता रहा है। यह दोहराते रहने के बावजूद भी कि दुर्दांत एनडीएफबी काडरों की टुकड़ियां और इसके नेता अपने अलगाववादी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए असम राज्य में बड़े स्तर पर विधिविरूद्ध तथा हिंसक गतिविधियों को अंजाम देता रहा है।

88. उन्होंने यह खुलासा किया कि 01.06.2005 से क़रार किए जाने के बाद भी, 2005 में इस गुट ने पांच हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया जिसमें दो मासूम नागरिकों की जान गई, 2006 में 28 हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया गया जिसके परिणामस्वरूप सात नागरिकों की मृत्यु हुई। वर्ष 2007, में छत्तीस हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया जिनमें तीन नागरिक मारे गए। उसी समय, शांति प्रगति में तेजी लाने के विचार से असम में एनडीएफबी का मांग-पत्र से संप्रभुता के मुद्दे को छोड़ देने पर विचार कर रहा था जिसे रंजन दायमारी ने स्वीकार नहीं किया। इस बात ने संप्रभुता के मुद्दे के इर्द गिर्द केन्द्रित नेतृत्व के मध्य टकराव को जन्म दिया। गोबिन्द बासुमातारी, एनडीएफबी के महासचिव ने 29 सितम्बर, 2008 को भारत सरकार को एक संशोधित मांग-पत्र प्रस्तुत किया जिसमें संप्रभुता के मुद्दे को छोड़ दिया गया। रंजन दायमारी ने अपने विश्वसनीय लोगों को पुर्नगठित करते हुए अपने प्रभाव के क्षेत्र में हिंसा को

और बढ़ाना शुरू कर दिया। वर्ष 2008 में, हिंसक और अन्य विध्वसंक गतिविधियों की संख्या में बहुत तेजी रही। कुल 128 हिंसक घटनाएं घटीं जिनमें 126 नागरिक मारे गए, इनमें 30 अक्तूबर, 2008 को गुवाहाटी शहर सहित असम के चार कस्बों में हुए सीरियल बम धमाकों की घृणित घटनाएं भी शामिल हैं, जहां 89 लोग मारे गए और 593 लोग जख्मी हुए थे। 15 दिसम्बर, 2008 को रंजन दायमारी के स्थान पर धीरेन बोरो को गुट का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एनडीएफबी (प्रगतिवादी) के तौर पर पुन: अपना नामकरण किया और अपने संविधान में संशोधन किया। 12 दिसम्बर, 2008 को इस गुट का औपचारिक रूप से बंटवारा हो गया। जबकि धीरेन बोडो ने एनडीएफबी (अभियान निलम्बन क़रार के तहत) का नेतृत्व संभाला और रंजन दायमारी ने एनडीएफबी का नेतृत्व करते हुए विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के आधार पर अपनी स्थिति मजबूत करना प्रारंभ किया। अंतत:, रंजन दायमारी को 01 मई, 2010 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके परिणामस्वरूप, कई बीडी आधारित गुट के बड़े नेताओं को भी पकड़ा गया जिसमें गुट के उपाध्यक्ष और महासचिव भी शामिल थे। आखिरकार, नेताओं ने शांति प्रक्रिया में शामिल होने और सरकार के साथ बातचीत के माध्यम से अपने मुद्दों को सुलझाने की इच्छा जाहिर की। इसके परिणामस्वरूप रंजन दायमारी गुट द्वारा दिनांक 01.01.2011 से एक तरफा संघर्ष के समापन की घोषणा की गई जिसे बाद में 01 अगस्त, 2011 से अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया। भारत सरकार तथा असम सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा 29 नवम्बर, 2013 को अभियान निलम्बन क़रार पर हस्ताक्षर भी किए गए। तब से, एनडीएफबी के वार्ता-रोधी रंजन दायमारी गुट जो पहले एनडीएफबी (एटी) के तौर पर जाना जाता था, ने एनडीएफबी (आरडी) ग्रुप के तौर पर पुन: अपना नामकरण किया है। तथापि, एनडीएफबी (आरडी) के सभी सदस्य शांति प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं। वे अपहरण, हत्या, जबरन धन वसूली आदि जैसी विधिविरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं।

89. उन्होंने आगे यह खुलासा किया कि जुलाई, 2012 में जब रंजन दायमारी न्यायिक हिरासत में था, तब गुट के म्यामांर-आधारित-सेनाध्यक्ष आई.के. सोंगबिजित ने जातिवाद का सहारा लेते हुए संगठन की बागडोर संभाल ली। नवम्बर, 2012 तक, गुट में एक अलगाव उभर कर आया जब सोंगबिजित ने 13 नवम्बर, 2012 को एक अंतरिम राय की घोषणा की और यह घोषित किया कि वे अपने लक्ष्यों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। प्रेस विज्ञप्ति की प्रति प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/5 के तौर पर प्रदर्शित है। गवाह ने तदन्तर यह खुलासा किया कि सोंगबिजित गुट जो इस गुट में अपनी स्थिति को संगठित करने में सफल रहा, अब सोंगबिजित तथा उसके म्यांमार आधारित सहयोगियों के नाम पर असम राज्य में अपहरण, हत्या और जबरन धन वसूली आदि का सहारा ले रहा है। उन्होंने गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की रिपोर्ट तथा विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों की रिपोर्टों को सिद्ध किया जो एनडीएफबी (आरडी) की विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्तता दर्शाती है, सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/6 के रूप में प्रदर्शित हैं। उन्होंने तदन्तर यह बयान दिया कि एनडीएफबी (सोंगबिजित गुट) द्वारा अपहरण का सहारा लेते हुए विभिन्न व्यक्तियों, व्यापारियों, ठेकेदारों से जबरन धन वसूली करने की राज्य भर में असख्य घटनाएं हैं। उन्होंने यह साबित किया कि श्री नाबा दोले का मांग-पत्र तथा प्रदीप बासुमातारी उर्फ बी. जिले तथा आंखांग ब्रह्मा का डीब्रीफिंग बयान प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/7 के तौर पर प्रदर्शित है। एनडीएफबी (एस) के काडरों द्वारा 21 सितम्बर, 2013 को अंजाम दी गई घटनाओं जिसमें अनिल कुमार अग्रवाल, महाप्रबंधक, एनएचपीसी का कुमार तमांग नामक उनके वाहन चालक सहित अपहरण किया गया था, का विवरण बयां करते हुए उन्होंने यह बयान दिया कि पुलिस थाना चारिदौर में आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क) तथा यूए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भा.द.सं. की धारा 341/363 के अंतर्गत एफआईआर सं. 248/13 द्वारा एक मामला दर्ज किया गया। उन्होंने रादेब गोयारी उर्फ जी. रानहोंगरा का डीब्रीफिंग बयान तथा सोनितपुर के पुलिस अधीक्षक की दिनांक 05.11.2013 की रिपोर्ट जो एक साथ प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/8 पर प्रदर्शित हैं; पुलिस स्टेशन बिजनी में भा.द.सं. की धारा 365 के तहत दर्ज मामला सं. 333/13 से संबंधित पुलिस अधीक्षक चिरांग की रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/9); पुलिस स्टेशन धेकियाजुली में यूए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 27(2) के साथ पठित भा.द.सं. की धारा 326/307/302/353/34 के अंतर्गत दर्ज एफआईआर सं. 61/2014 के मामले में पुलिस अधीक्षक सोनितपुर की रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू9/10); पुलिस अधीक्षक कोकराझार की रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू9/11); यूए (पी) अधिनियम की धारा 15/16 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 27(2) के साथ पठित भा.द.सं. की धारा 120(ख)/147/148/149/448/302/325 के तहत एफआईआर सं. 60/2014 के मामले में पुलिस अधीक्षक चिरांग की रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू9/12); पुलिस स्टेशन सेरफांगुरी में एफआईआर सं. 01/2014 के मामले में पुलिस अधीक्षक कोकराझार की रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू9/13); पुलिस स्टेशन गोसाइगांव में दर्ज मामला एफआईआर सं. 155/2014 प्रदर्श एस डब्ल्यू9/14 के रूप में एक साथ प्रदर्शित पुलिस अधीक्षक कोकराझार की रिपोर्ट को प्रमाणित किया। उन्होंने तदनन्तर लक्ष्य समूहों की हत्या की घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू9/15); सामूहिक रूप से प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/16) के रूप में प्रदर्शित सब्सीडियरी आसूचना ब्यूरो (गृह मंत्रालय), भारत सरकार, गुवाहाटी का दिनांक 10.04.2013 का पत्र सं. जी एक्स/पीएन/2013-589 तथा दिनांक 13.06.2014 का फैक्स मैसेज सं.11012/1/2014-एनई-IV; गृह मंत्रालय यूओ रिपोर्ट सं. 11012/1/2013-एनई-IV, दिनांक 21.05.2013 (प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/17); पुलिस अधीक्षक शिवसागर की रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/18); गृह मंत्रालय का दिनांक 05.04.2013 का फैक्स मैसेज सं.11012/1/2013 एनई-IV (प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/19); पुलिस अधीक्षक कोकराझार की दिनांक 19.01.2013 की रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू9/20); दिनांक 09.07.2014 के फैक्स संदेश (प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/21); दिनांक 16.07.2014 के असम ट्रिब्यून के पेपर की कटिंग की प्रति (प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/22); दिनांक 17.10.2014 के पत्र सं. 11012/113/2012-एनई-IV (प्रदर्श एस डब्ल्यू9/23); प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/24 के रूप में एक साथ प्रदर्शित बीरफुंग बासुमातारी, अंजाद बासुमातारी के डीब्रीफिंग बयान तथा दिनांक 17.05.2013 के फैक्स संदेश सं. 11012/1/2013-एनई-IV; दिनांक 06.05.2014 का एक अन्य फैक्स संदेश (प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/25); पुलिस अधीक्षक सोनितपुर की दिनांक 5.11.2013 की रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/26); पुलिस अधीक्षक सोनितपुर की दिनांक 15.10.2013 की एक अन्य रिपोर्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/27); दिनांक 1.07.2014 का फैक्स संदेश (प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/28); प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/29 के रूप में एक

साथ प्रदर्शित 5.4.2013 का फैक्स संदेश तथा दिनांक 06.9.2014 का अन्य पत्र; संबंधित समाचार पत्र की क्लिपिंग्स की प्रति (प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/30); दिनांक 28.03.2014 की प्रेस विज्ञप्ति की प्रति (प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/31); दिनांक 12.09.2013 की प्रेस विज्ञप्ति की प्रति (प्रदर्श एस डब्ल्यू 9/32) को भी प्रमाणित किया।

90. गवाह ने तदनन्तर यह बयान दिया कि अपनी विद्रोही गतिविधियों को और प्रभावी रूप से जारी रखने के लिए एनडीएफबी (एस) ने, अपने कार्रवाई क्षेत्र को गुवाहाटी शहरी कमांड के अतिरिक्त चार अलग-अलग कमांडों में विभक्त कर लिया जो सीधे केन्द्रीय समिति के नियंत्रण के अधीन हैं। उनके प्रचालनात्मक उद्देश्यों के लिए 13वीं तथा 16वीं बटालियन के काडरों को शामिल करके इरागदाओ ब्रिगेड नामक एक नई ब्रिगेड बनाई गई है।

91. गवाह ने तदनन्तर यह बयान दिया कि उपलब्ध आसूचना इन्पुट से यह संकेत मिला कि कुछ उच्च रैंक के एनडीएफबी काडर अभी भी म्यांमार में छुपकर शिविर चला रहे हैं और अपने आयुध भंडार को समृद्ध बनाने के लिए अन्य उग्रवादी संगठनों के साथ नए सिरे से अपने नापाक संबंधों का विस्तार कर रहे हैं। गुट की चारों कमांड द्वारा भर्ती अभियान भी चलाया जा रहा है। विदेशी माफिया से आयुध/आयुध तथा विस्फोटकों की खरीद तथा काडरों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए जबरन वसूली तथा अपहरण पूरे जोर-शोर से जारी थे। उन्होंने यह दावा किया कि एनडीएफबी की विधिविरूद्ध गतिविधियों, जोकि भारत की संप्रभुता एवं एकता के लिए हानिकारक हैं, की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए संगठन को प्रतिबंधित करने वाली अधिसूचना अनिवार्य है। गवाह द्वारा दिया गया संगठन का व्यापक विवरण राज्य में गुट की नापाक गतिविधियों के विषय में बताता है।

92. एस डब्ल्यू-10 महादानन्दा हजारिका, एसीएस, जो फिलहाल असम राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के तौर पर कार्यरत हैं, ने शपथपत्र (प्रदर्श एस डब्ल्यू10/1) के माध्यम से अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिस पर दिनांक 23 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2956 (अ) (प्रदर्श एस डब्ल्यू10/2) की पुष्टि के लिए बिंदु 'क' तथा 'ख' पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि अधिसूचना को प्रिंट तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से वृहद स्तर पर परिचालित किया गया था। आकाशवाणी केन्द्र, गुवाहाटी तथा दूरदर्शन केन्द्र गुवाहाटी द्वारा जारी पुष्टि पत्रों की प्रतियां एक साथ (प्रदर्श एस डब्ल्यू10/3) पर प्रदर्शित हैं, अखबारों की कटिंग की प्रतियां (प्रदर्श एस डब्ल्यू10/4) पर एक साथ प्रदर्शित हैं जो तामीली का साक्ष्य दर्शाती हैं। उन्होंने घटना चार्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू10/5) की प्रति; एनडीएफबी के संविधान की प्रति (प्रदर्श एस डब्ल्यू10/6); 01 जून, 2015 को हस्ताक्षरित अभियान निलम्बन के क़रार की प्रति (प्रदर्श एस डब्ल्यू10/7) तथा प्रेस विज्ञप्ति की प्रति (प्रदर्श एस डब्ल्यू10/8) को प्रमाणित किया। उन्होंने सभी वास्तविक तथ्यों पर एस डब्ल्यू-18 (बिनान्दा बासुमातारी) के साक्ष्य पत्र को भी प्रमाणित किया। मतांतर का कोई विवरण नहीं मांगा गया क्योंकि यह केवल उनकी पुनरावृत्ति ही होगी।

93. सुश्री वायलेट बरूआ, पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, असम जो एस डब्ल्यू-21 के रूप में पेश हुई हैं, ने शपथपत्र (प्रदर्श एस डब्ल्यू21/1) के माध्यम से अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिस पर बिंदु 'क' एवं 'ख' पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने विगत दस वर्षों के दौरान एनडीएफबी की गतिविधियों से जुडे मामलों (प्रदर्श एस डब्ल्यू21/2) का सार; अवैध शस्त्रों तथा आयुध आदि की बरामदगी के वर्ष-वार विवरण संबंधी चार्ट (प्रदर्श एस डब्ल्यू21/3); विभिन्न मामलों में एनडीएफबी के विविध मांग-पत्रों की प्रतियां (प्रदर्श एस डब्ल्यू21/4) को साक्ष्यांकित किया है। उन्होंने यह खुलासा किया कि विगत दस वर्ष के दौरान, गृह मंत्रालय द्वारा सीआईडी, असम को दो मामले तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को क्रमश 6 तथा 8 मामले सौंपे गए हैं जिनमें एनडीएफबी संलिप्त था।

94. पुलिस स्टेशन सूतीआ में दर्ज आयुध अधिनियम की धारा 27 (3) के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत मामला सं. 143/12 जिसमें यूए (पी) अधिनियम की धाराएं 16/18/19/20 जोड़ी गई हैं, का विवरण देते हुए, उन्होंने यह खुलासा किया कि दिनांक 13.11.2012 को सायं 06.40 बजे शिकायतकर्ता श्री राजू कुमार दास ने एक एफआईआर दर्ज कराई कि उस दिन लगभग 12:30 अपराह्न में जब मैसर्स महालक्ष्मी टी.ई के मालिक आदिल-उर-रहमान सरकारी कार्य से नागदा जाने के लिए तेजल पत्ती चाय बागान से बाहर निकले तब उनकी अज्ञात हमलावरों द्वारा रास्ते में गोली मार कर हत्या कर दी गई। जांच अधिकारी अपनी टीम के साथ तत्काल स्थल पर पहुंचे और पीड़ित आदिल-उर-रहमान और उसके पीएसओ मोतीलाल टिर्की को उपचार हेतु निकटतम धोलाईबिल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर गए जहां आदिल-उर-रहमान को मृत लाया गया घोषित किया गया और घायल पीएसओ को तदनन्तर उपचार के लिए तेजपुर सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया। विभिन्न आयुध एवं गोलाबारूद आदि बरामद किए गए। विभिन्न गवाहों के बयान दर्ज किए गए जिन्होंने यह खुलासा किया कि सारसिंग इंग्ती उर्फ संगबिजित, भाबेन बासुमातारी उर्फ बी. बोको, बोकदाओ, बिक्राई, रंगसराओ, अजीत नरजारी, नेग्रो, अरबिन्द गोयारी, गोवरेंग तथा राबिन बासुमातारी की अगुवाई में एनडीएफबी प्रत्यक्ष रूप से इस घटना से संबंधित था। सोलह एनडीएफबी काडरों तथा उनसे जुड़े व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बाद में दिनांक 25.01.2013 को मामले की जांच का कार्य सीआईडी, असम द्वारा संभाल लिया गया। सीआईडी द्वारा जांच के दौरान पाया गया कि श्री भाबेन बासुमातारी उर्फ बी. बोको, जो एनडीएफबी का स्वयंभू पूर्वी कमांडर था, ने ही आदिल-उर-रहमान की हत्या के लिए आदेश दिया था और तद्नुसार उनका मिशन अन्य एनडीएफबी काडरों सहित पूरा कर लिया गया। इस मामले के संबंध में चार और व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि यूए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 120ख/121/121क/307 के तहत एफआईआर सं. 196/13 के मामले में चारीदौर पुलिस थाने के अंतर्गत तारावारी में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में कमल खाकलारी उर्फ गोवरेंग नामक एनडीएफबी काडर मारा गया था। पुलिस थाना बिस्वनाथ चेरियाली में यूए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-क)/27 के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 120ख/121/121क/387/307 के तहत दर्ज मामला सं. 36/2014 में ब्वाहुईलोंग ईस्वरी उर्फ बिगराई बासुमातारी उर्फ आनन्द ईस्वरी

एक मुठभेड़ में मारा गया था। उन्होंने एफआईआर की प्रतिलिपि, जब्ती सूची, गवाहों और अभियुक्त के संगत बयान तथा उनकी अनूदित एवं टंकित प्रतियों को साक्ष्यांकित किया जो एक साथ (प्रदर्श एस डब्ल्यू21/5) पर प्रदर्शित हैं।

95. इसी तरह उन्होंने पुलिस स्टेशन रूनिखाता में यूए (पी) अधिनियम की धारा 15/16 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 27(2) के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 120ख/147/148/149/302/325 के तहत दर्ज एफआईआर सं. 60/14 के मामले के विवरणों का खुलासा किया और एफआईआर की प्रति, जब्ती ज्ञापन तथा गवाहों के बयानों को साक्ष्यांकित किया जो एक साथ (प्रदर्श एस डब्ल्यू21/6) पर प्रदर्शित हैं। उन्होंने तदनन्तर यह बयान दिया कि उन्होंने मीडिया से वीडियो सीडी प्राप्त की और उसे प्रदर्श-1 के तौर पर संलग्न किया है। इसकी विषय-वस्तु को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त या संपादित नहीं किया गया है। अनुलिपि को (प्रदर्श एस डब्ल्यू21/7) के तौर पर प्रदर्शित किया गया है।

96. उन्होंने तदनन्तर यह बयान दिया कि गृह मंत्रालय द्वारा एनआईए तथा सीबीआई को ऐसे 14 मामले सौंपे गए हैं जिसमें एनडीएफबी संलिप्त है। केस डायरी उनको सौंप दी गई है। मामलों का विवरण शपथपत्र में दे दिया गया है। उन्होंने एनडीएफबी के खिलाफ विगत दस वर्ष के दौरान दर्ज मामलों की सूची को साक्ष्यांकित किया (प्रदर्श एस डब्ल्यू21/8)।

97. एस डब्ल्यू-21 ने टीवी चैनल (न्यूज लाईव) से प्राप्त विडियो फुटेज (प्रदर्श एस डब्ल्यू21/6) को रिकार्ड में दर्ज किया है। इसकी अनुलिपि प्रदर्श एस डब्ल्यू21/7 पर है। जी. बिदाई ने पुलिस स्टेशन रूनिखाता में यूए (पी) अधिनियम की धारा 15/16 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 27(2) के साथ पठित भा.दं.सं. की धारा 120ख/147/148/149/302/325 के तहत दर्ज मामला सं. 60/2014 के संबंध में यह दावा किया है कि लड़की की गोली मार कर हत्या कर दी गई। उसने यह स्वीकार किया कि उनके पांच काडरों को मार दिया गया। उसने दावा किया कि उनके काडरों को रंजन दायमारी समूह द्वारा मारा गया न कि भारतीय सेना द्वारा। उसने स्वागन की उस महिला मित्र की हत्या करने की धमकी दी जिसने सूचना उपलब्ध कराई थी। उसने खुलेआम यह घोषणा करने का दुस्साहस किया कि उनको सरकारी आदमी मारने हैं।

98. सुश्री नीता गुप्ता, उप सचिव से सी डब्ल्यू-1 के तौर पर केन्द्र सरकार की ओर से पूछताछ की गई। उन्होंने शपथपत्र (प्रदर्श सी डब्ल्यू1/1) के माध्यम से अपना साक्ष्य दर्ज किया है जिस पर बिंदु 'क' तथा 'ख' पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने यह खुलासा किया कि एनडीएफबी की गतिविधियों के संबंध में असम राज्य सरकार तथा आसूचना एजेंसियों से प्राप्त सूचना तथा सामग्री को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने तथ्यों एवं परिस्थितियों, मामले की पृष्ठभूमि, असम राज्य में चल रही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एनडीएफबी को दिनांक 23.11.2014 की अधिसूचना सं. 2956 (अ) (प्रदर्श सी डब्ल्यू1/क) द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की धारा 1 के तहत विधिविरूद्ध संगम के तौर पर घोषित करते हुए उसे प्रतिबंधित करने का फैसला किया। आसूचना एजेंसियों तथा असम राज्य सरकार से प्राप्त आसूचना, रिपोर्ट तथा सूचनाएं विशिष्ट एवं गोपनीय प्रकृति की हैं तथा उन्हें प्रतिबंधित संगमों या किसी तीसरे पक्ष को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। उन्होंने इस बात का पूरा लेखा-जोखा दिया कि किस प्रकार 03 अक्तूबर, 1986 को बोडो सुरक्षा दल के तौर पर ज्ञात एनडीएफबी का गठन हुआ और इसके लक्ष्य क्या थे। उन्होंने तब से इसकी गतिविधियों के विभिन्न विवरण भी प्रस्तुत किए। उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वर्ष 2014 के दौरान एनडीएफबी ने 133 हिंसक घटनाओं में एक सुरक्षा बल कार्मिक सहित 144 लोगों को मार डाला। इसने गैर बोडो विशेषत: हिन्दी भाषी व्यक्तियों और मुसलमानों को अपना निशाना बनाना जारी रखा है। इसने 01 तथा 02 मई, 2014 को असम के बक्सा एवं कोकराझार जिले में तीन बड़ी घटनाओं में 46 मुसलमानों जिनमें अधिकांशत: महिलाएं और बच्चे थे, की हत्या की जबकि इसने खुद भी विद्रोह रोधी आपरेशन को झेला और उसके 23 काडर मारे गए और 60 काडर गिरफ्तार कर लिए गए। एनडीएफबी के संदिग्ध काडरों ने 23 दिसम्बर, 2014 को पाकरीगुरू, शांतिपुर तथा लुंगसुंग गांवों के आदिवासियों पर गोलियां चलाईं और दो बंगाली व्यक्तियों सहित 26 आदिवासियों को मार डाला। उन्होंने पुन: 23 दिसम्बर, 2014 को ही सिमनपुर, फुलबारी, राहुमारी तथा बताशीपुर स्थित गांवों में गोलाबारी की और 36 आदिवासियों को मार दिया। वर्ष 2014 के दौरान एनडीएफबी (आरडी) चार हिंसक वारदातों के लिए उत्तरदायी रहा। इस गुट ने 6 जुलाई, 2014 को धेमाजी जिले में गागामुख शहर के एक व्यापारी का अपहरण किया। दो पृथक घटनाओं में, तीन एनडीएफबी (आरडी) काडरों को उस समय मार गिराया गया जब वे 28 मई तथा 3 जून, 2014 को क्रमश: सोनितपुर तथा चिरांग जिलों में जबरन धन वसूली कर रहे थे, जबकि एनडीएफबी (आरडी) के चार काडरों को गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीएफबी पर 1998 में प्रतिबंध लगा दिए जाने के बावजूद यह अपनी गतिविधियां चलाता रहा। उन्होंने विभिन्न न्यायाधिकरणों के निष्कर्षों को ऑन रिकॉर्ड (प्रदर्श सी डब्ल्यू1/ख, प्रदर्श सी डब्ल्यू1/ग, प्रदर्श सी डब्ल्यू1/घ, प्रदर्श सी डब्ल्यू1/ड. तथा प्रदर्श सी डब्ल्यू1/च) साक्ष्यांकित किया। उन्होंने वर्ष 2014 के दौरान एनडीएफबी द्वारा अंजाम दी गई चार मुख्य हिंसक घटनाओं (प्रदर्श सी डब्ल्यू1/छ); एनडीएफबी काडरों की गतिविधियों का सार प्रस्तुत करने वाले रिज्यूमे की प्रतिलिपि (प्रदर्श सी डब्ल्यू1/ज) को साक्ष्यांकित किया। उन्होंने तदनन्तर यह बयान दिया कि एनडीएफबी के कार्यकर्ता अभी भी उन्हीं कारणों से राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं जिनके लिए संगठन पर पहले प्रतिबंध लगाया गया था। केन्द्र सरकार का भी यह मत था कि एनडीएफबी की गतिविधियां भारत की शांति एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बाधा रही हैं।

<u>निष्कर्ष:-</u>

99. इस अधिकरण के समक्ष यह मुद्दा है कि क्या रिकार्डों में प्रस्तुत सामग्री के आधार पर उक्त 'संगठन' को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करने हेतु पर्याप्त कारण हैं और क्या भारत सरकार न्यायोचित रूप से दिनांक 23.11.2014 की अधिसूचना (प्रदर्श सी डब्ल्यू1/क) द्वारा उनकी गतिविधियों को विधिविरुद्ध गतिविधियों के तौर पर घोषित कर रही है।

100. इस अधिकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह एन डी एफ बी संगठन के वर्ष 1992 से पूर्व के इतिहास में जाए। इस संगठन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों तथा इसकी पूर्व की गतिविधियों को जानने के लिए वर्ष 1992 का संज्ञान लेना ही पर्याप्त होगा जब दिनांक

23.11.1992 की अधिसूचना द्वारा उक्त संगठन को केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिविरुद्ध घोषित किया गया था। जिन आधारों पर इस संगठन को विधिविरुद्ध घोषित किया गया था वह वर्तमान में लगभग वही हैं। पूर्व के अधिकरणों ने साक्ष्यों पर विचार कर के समय-समय पर उक्त संगठन की गतिविधियों को विधिविरुद्ध घोषित किया था। साक्ष्यों का संदर्भ लेने से पहले, यह देखा जाना चाहिए कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत रिकॉर्ड किए गए बयानों पर अधिकरण द्वारा विचार किया जा सकता है अथवा नहीं। भारत संघ बनाम स्टुडेन्टस इस्लामिक मूवमेन्ट ऑफ इन्डिया एंड अदर्स 99(2002), डी एल टी 147, में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की-

> *"सरकार द्वारा उल्लेख किए गए एवं आधार बनाए गए कबूलनामा विवरण, उन आपराधिक मामलों की जांच के दौरान रिकॉर्ड किए गए जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी कबूलनामा अपराध के आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जा सकता। यह वाक्यांश 'किसी अपराध के अभियुक्त का संदर्भ उस व्यक्ति से है जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक मामले में साक्ष्य सिद्ध किए जाने हैं। अत: विशेषण वाक्यांश "किसी अपराध का अभियुक्त" उस व्यक्ति का उल्लेख करता है जिसके विरुद्ध कबूलनामा सिद्ध किया जाना है। कबूलनामे के विवरण दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल तथा अन्य संबंधित कार्रवाईयों में उपयोग किए जा सकते हैं। इस अधिकरण के समक्ष जांच स्पष्ट रूप से उन आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध विचारण नहीं है जिन्होंने कबूलनामा विवरण दिए हैं। अत:, मेरे सुविचारित मत के अंतर्गत अभियुक्तों द्वारा पुलिस अथवा न्यायालय के समक्ष विभिन्न मामलों की जांच के दौरान दिए गए कबूलनामा विवरण साक्ष्य के रूप में यह दर्शाने के लिए स्वीकार्य हैं कि क्या अभियुक्त संगठन के सदस्य थे अथवा हैं तथा यह भी दर्शाने के लिए कि क्या संगम की गतिविधियां विधिविरूद्ध हैं अथवा नहीं।*
>
> *सुमन एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य ए आई आर 1986 (मद्रास) 318 में, यह कहा गया:*
>
> *''यह स्मरण रहना चाहिए कि जब धारा 25 में किसी कबूलनामे का उल्लेख होता है जो किसी अपराध के अभियुक्त के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए अनुमेय नहीं है, तो यह उस अभियुक्त द्वारा किए गए कबूलनामे से संबंधित है जो उसके विरुद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए प्रस्तावित है। अत: धारा 25 का दायरा किसी व्यक्ति जो अभियुक्त है, द्वारा दिए गए उस कबूलनामे तक सीमित है जिसका उपयोग उसके विरुद्ध कोई अपराध स्थापित करने की कार्रवाई में किया जा रहा है।*

101. सामग्री क्या है तथा अधिकरण द्वारा इस पर किस तरह से विचार किया जाना है उच्चतम न्यायालय द्वारा जमाते-ए-इस्लामी बनाम भारत संघ जे टी 1995(1) एस.सी 31 में निर्धारित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:

> *"''धारा 4 अधिकरण से संबंधित है, उप-धारा (10) में केन्द्रीय सरकार से अपेक्षित है, कि वह इस प्रयोजन हेतु अधिनिर्णय करने के लिए कि किसी संगम को अवैध घोषित करने हेतु पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, अधिकरण की धारा (3) की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना का संदर्भ ले। अधिकरण का हवाला देने का प्रयोजन अधिकरण द्वारा घोषणा करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद होने का अधिनिर्णय करना है। शब्द 'अधिनिर्णय' तथा 'पर्याप्त कारण' इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। उप-धारा (2) में अपेक्षित है कि अधिकरण संदर्भ की प्राप्ति पर प्रभावित संगम को 'लिखित में कारण बताओ नोटिस' भेजेगा कि संगम को क्यों अवैध घोषित नहीं किया जाए। यह आवश्यकता निरर्थक होगी यदि इस आधार, जिस पर यह घोषणा की गई है, का कोई प्रभावी नोटिस नहीं है, तथा इसके लिए कारण बताने का उचित अवसर दिया गया हो। उप-धारा (3) अधिकरण विशिष्टीकृत मामले में, उक्त नोटिस के संबंध में दिए गए कारण पर विचार करने के बाद अधिकरण द्वारा एक जांच निर्धारित करती है। अधिकरण, केन्द्रीय सरकार अथवा संगठन से ऐसी अन्य सूचना भी मांग सकता है जो यह घोषित करने के लिए आवश्यक समझी गई हो कि संगम को अवैध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं। अधिकरण से अपेक्षित है कि वह ऐसा आदेश जारी करे जिसमें अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि की गई हो अथवा उसे निरस्त किया गया हो। <u>अधिकरण द्वारा विचाराधीन जांच में यह अपेक्षित है कि वह उस सामग्री का संज्ञान ले जिस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा(10) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई है, उसको जारी किए गए नोटिस के उत्तर में संगम द्वारा बताए गए कारण तथा ऐसी अतिरिक्त सूचना पर विचार करे जो वह यह निर्णय करने कि क्या संगम को अवैध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं, के लिए मांगे।</u> समस्त प्रकिया में दोनों पक्षों द्वारा अधिकरण के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर वस्तुपरक निर्धारण पर विचार किया जाता है और जांच का स्वरूप दोनों पक्षकारों के बीच विचार के न्यायनिर्णय का होता है। जिसका परिणाम उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री पर निर्भर करता है। सामग्री की विश्वसनीयता सामान्यत: वस्तुपरक आकलन के योग्य होनी चाहिए। अधिकरण द्वारा यह निर्णय किया जाना है कि क्या संगठन को अवैध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं। ऐसे निर्णय में अधिकरण द्वारा ऐसे निष्कर्ष पर पंहुचना अपेक्षित है कि घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत सामग्री उसके विरुद्ध सामग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है तथा घोषणा के*

समर्थन में अतिरिक्त महत्वपूर्ण सामग्री उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। इस संदर्भ में अपेक्षाकृत अधिक संभावना का परीक्षण व्यावहारिक परीक्षण प्रतीत होता है।

पैरा-14 में उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा है कि:-

''धारा 4 में, किसी उच्च न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश द्वारा गठित अधिकरण द्वारा की गई जांच के संदर्भ में शब्द न्यायनिर्णयन एवं निर्णयन के विधिक अर्थ हैं। अधिकरण से अपेक्षित है कि वह 'कारण बताओ नोटिस' के बाद विवादित विषय पर 'न्यायनिर्णय की प्रक्रिया से 'निर्णय' करे। यह किसी न्यायिक निर्णय की अनिवार्य विशेषताएं हैं।

102. भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल ए आई आर 1985 एस सी 1416 में, न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कानून एवं व्यवस्था, लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा पर विचार किया, जो कि विभिन्न अधिनियमों में प्रयोग किए जाते हैं। निर्णय के पैरा 140 में, उनके माननीय न्यायाधीशों ने कहा:-

''कानून एवं व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा राष्ट्र की सुरक्षा विभिन्न अधिनियमों में उपयोग किए गए हैं। लोक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली स्थितियां उन स्थितियों से ज्यादा गंभीर हैं जो कानून व्यवस्था को प्रभावित करती हैं और राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली स्थितियां लोक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली स्थितियों से ज्यादा गंभीर हैं। इस प्रकार, राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली स्थितियां गंभीरतम हैं। राष्ट्र की सुरक्षा को अन्दर अथवा बाहर से खतरा हो सकता है। राष्ट्र की सुरक्षा अभिव्यक्ति का अर्थ सम्पूर्ण देश अथवा किसी समग्र राष्ट्र की सुरक्षा नहीं है। इसमें राष्ट्र के किसी भाग की सुरक्षा शामिल है। इसे किसी सआयुध विद्रोह अथवा बगावत तक भी सीमित नहीं किया जा सकता। राष्ट्र की सुरक्षा विभिन्न रूप से प्रभावित हो सकती है। यह राष्ट्र के गोपनीय तथ्यों अथवा रक्षा उत्पादन अथवा इसी प्रकार के मामलों से संबंधित सूचना दूसरे राष्ट्रों को देने, जो हमारे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हों अथवा नहीं, अथवा आतंकवादियों के साथ गुप्त संबंधों से प्रभावित हो सकती है। उन विभिन्न कारणों का विवरण देना कठिन है जिनसे किसी राष्ट्र की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। किसी राष्ट्र की सुरक्षा जिस तरीके से प्रभावित हो सकती है वह या तो उजागर अथवा गुप्त हो सकती है''।

103. मेरे द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अतिरिक्त जिनका मैंने विस्तार से ऊपर में उल्लेख किया है, सरकार ने अन्य एजेन्सियों की भी टिप्पणियां/मत/विचार मांगे हैं। इस अधिकरण द्वारा दिनांक 23.04.2015 को प्राप्त एक पत्र में सील किए गए लिफाफे से यह उजागर हुआ है कि असम सरकार (पृष्ठ 97-229); रक्षा मंत्रालय (पृष्ठ 230); आसूचना ब्यूरो (पृष्ठ 231-234- सी);मंत्रिमण्डल सचिवालय (आर एवं ए डब्ल्यू) (पृष्ठ 235); महानिदेशालय सी आर पी एफ (पृष्ठ 236-238) तथा महानिदेशालय बी एस एफ (पृष्ठ 239) से भी टिप्पिणियां/मत/विचार प्राप्त किए गए। इन दस्तावेजों का विवरण स्पष्ट कारणों से नहीं दिया जा रहा है। इन सभी रिपोर्टों का यह सार है कि एन डी एफ बी के सभी तीनों गुटों पर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबन्ध तब तक जारी रखा जाए जब तक कि इनको निर्णायक रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता। इस समय प्रतिबन्ध हटाने से इन गुटों को, कार्य करने का दायरा, हिंसा के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का अवसर मिल सकता है। यह अनुमान है कि एन डी एफ बी (सोंगबिजीत) का 220-250 का काडर है तथा इनके पास करीब 180 विविध प्रकार के आयुध हैं। इन गुटों के काडरों के भूटान में आधारित नेपाली माओवादी गुटों के साथ अच्छे संबंध हैं तथा ये आश्रय एवं लॉजिस्टिक्स के बतौर एक दूसरे को पारस्परिक सहयोग करते हैं। रिपोर्ट में एन डी एफ बी द्वारा हिंसा की प्रमुख घटनाओं का विवरण है। ये विभिन्न जिलों में वर्ष 2014 की घटनाओं से संबंधित है जहां नागरिक एवं सुरक्षा बल कार्मिक मारे गए थे। यह सूचित किया गया है कि एन डी एफ बी (सोंगबिजीत गुट) जो असम में सबसे सक्रिय विद्रोही गुट है, विशेषत: असम क्षेत्र में भारत भूटान सीमा पर, विध्वंसक कार्यों में संलिप्त है। उन्होंने हाल में फिरौती के लिए चार-भूटानी नागरिकों का अपहरण किया है। इस गुट ने हाल में 'XX' स्थान पर (नाम गुप्त रखा गया है) एक ट्रांजिट कैम्प शस्त्रों के प्रापण के लिए स्थापित किया है। इसी प्रकार, यह बताया गया है कि एन डी एफ बी अभी भी विधिविरुद्ध क्रियाकलापों जैसे शस्त्रों का प्रापण, अपहरण तथा आम जनता को आपराधिक धमकियों एवं भय दिखाकर जबरन धनवसूली की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय नागरिक जिसमें गैर बोडो लोग शामिल हैं, से जबरन धन वसूली एवं अपहरण द्वारा धन एकत्रित करके, एन डी एफ बी स्वयं को अत्याधुनिक शस्त्रों का प्रापण करके म्यांमार में अंतरराष्ट्रीय सीमा में स्थित अपने सुरक्षित आश्रयों में नए काडरों की भर्ती एवं प्रशिक्षण द्वारा, दूसरे विद्रोही गुटों से संबंध स्थापित करके स्वयं को मजबूत कर रहा है। इन एजेन्सियों ने भी एन डी एफ बी को 22.11.2014 के पश्चात भी विधिविरुद्ध संगम घोषित करने की सिफारिश की है क्योंकि उनकी हिंसक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है।

104. केन्द्र सरकार तथा असम राज्य की ओर से इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया सम्पूर्ण साक्ष्य निर्विरोध, अविवादित तथा अनिन्द्य रहा है। सरकार/ राज्य के दावे को चुनौती देने के लिए एन डी एफ बी द्वारा उन नोटिसों का उत्तर नहीं देने लिए जो प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में व्यापक रूप से सभी स्तरों पर प्रकाशित किए गए थे, उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। एन डी एफ बी के गिरफ्तार कई काडर, इस अधिनियम के अंतर्गत उनके विरुद्ध पंजीकृत विभिन्न आपराधिक कृत्यों में, कारागारों में बन्द हैं। संबंधित कारागार अधीक्षक द्वारा हिरासत में रखे गए काडर के सदस्यों को अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए थे। कारागारों में यह निर्देश देने के बावजूद, उनकी तरफ से कोई भी अधिसूचना को चुनौती देने के लिए

अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अत: बड़ी संख्या में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, इस अधिकरण के पास साक्ष्य एवं अन्य सामग्रियों की विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

105. यह नोट करना संगत होगा कि संगठन को प्रतिबंधित करने की दिनांक 22.12.2008 की पूर्व की अधिसूचना जो 23.11.2008 को सरकारी राजपत्र के प्रकाशित की गई थी, समान परिस्थितियों में जारी की गई थी। न्यायमूर्ति एस. एन. अग्रवाल, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय को भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.12.2008 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2869(अ) द्वारा एक सदस्यीय अधिकरण के बतौर नियुक्त किया गया था। अधिकरण के समक्ष विचारण में एन डी एफ बी की तरफ से वाद किया गया और उन्होंने बचाव में तीन गवाहों से भी पूछताछ की। अधिकरण ने अपनी दिनांक 18.05.2009 की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि एन डी एफ बी को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है। अधिकरण ने तद्नुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई घोषणा की पुष्टि की। इसके पश्चात् अधिसूचनाओं पर एन डी एफ बी ने कोई वाद भी नहीं किया। न्यायमूर्ति एस. एन. अग्रवाल द्वारा दिनांक 18.05.2009 की रिपोर्ट में रिकॉर्ड की गई टिप्पणियों का किसी भी न्यायिक फोरम के समक्ष एन डी एफ बी द्वारा विरोध नहीं किया गया, अत: इन्हें अंतिम मान लिया गया है।

106. विभिन्न पूर्व अधिकरणों द्वारा रिकॉर्ड किए गए निष्कर्षों से विपथन का कोई विवेकपूर्ण/वैध कारण नहीं है विशेषत: जब एन डी एफ बी ने अधिसूचना पर कोई वाद नहीं करने तथा सरकार की तरफ से प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्यों का विरोध नहीं करने का विकल्प लिया है। 1992 से इसके प्रतिबंध के बावजूद, इस काडर की गतिविधियों का अंत नहीं हुआ है। बल्कि इनमें काफी वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप कई नागरिकों एवं सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु हुई है। इस प्रक्रिया में, विभिन्न मुठभेड़ों में कई एन डी एफ बी काडरों की भी मृत्यु हुई है। काडर के सदस्यों के शवों की पहचान उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा की गई है। उन्होंने मुठभेड़ की वैधता/प्रमाणिकता को कभी चुनौती नहीं दी। किसी भी न्यायालय अथवा एन एच आर सी इत्यादि के समक्ष कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई जैसे कि एस डब्ल्यू-6 (रूपम पुखन) द्वारा उजागर किया गया है। कई बार, मुठभेड़ में पीड़ित पुलिस/सुरक्षा कार्मिक अथवा मासूम नागरिक भी थे। विभिन्न गवाहों द्वारा बताई गई घटनाएं भयावह हैं। घटना स्थल पर तथा संगठन के सदस्यों से विभिन्न परिष्कृत/समक्ष आयुध बरामद किए गए। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, कई मामले, जिनमें एन डी एफ बी के सदस्य संलिप्त थे, विस्तृत जांच के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण तथा सी आई डी को सौंपे गए हैं। कई एन डी एफ बी कार्यकर्ता आपराधिक मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस/सेना की इनको घृणित अपराधों में झूठा फंसाने के लिए कोई दुश्मनी नहीं थी।

107. कबूलनामों के विवरण भी रिकॉर्ड में रखे गए हैं। पुलिस स्टेशन धेकियाजूली, जिला सोनितपुर, असम में यूए (पी) अधिनियम की धारा 15/16 के साथ पठित, आयुध अधिनियम की धारा 25 (।-ए)/27 के साथ पठित, भा.द.सं. की धारा 353/307/326/120(ख)/121/34 के अंतर्गत दर्ज मामला संख्या 09/14 में दिनांक 01.02.2015 को अभियुक्त बिकूनास नरजारी का बयान रिकॉर्ड किया गया है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि वह जून, 2005 को एन डी एफ बी में शामिल हुआ था तथा धेकियाजूली क्षेत्र के कमान्डर नामत: फनजारी द्वारा उसे भर्ती किया गया था। एन डी एफ बी में कार्य करने के पश्चात, वह एन डी एफ बी (एस) गुट में बना रहा तथा उसका केन्द्रीय कमान्डर रहा। वह एक मुठभेड़ में शामिल था जो दिनांक 02.03.2014 को हुई थी। नायघाब उर्फ नितुल, कोमथाई, थांकी, मनथाई, मोंथी, अखॅव भी उसके साथ मुठभेड़ पार्टी में थे। एन डी एफ बी (एस) के उच्च प्राधिकारियों का यह निर्देश था कि वह मौका मिलते ही सुरक्षा बलों पर हमला करें। पुलिस स्टेशन हरिसिंगा में यू ए (पी) अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित, आयुध अधिनियम की धारा 27 (3) के साथ पठित, आई पी सी की धारा 302 के अंतर्गत दर्ज मामला एफ आई आर संख्या 03/14 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत रिकॉर्ड किए गए एक अन्य बयान में, आरोपी बिकूनास नरजारी उर्फ बिरलांगबाई उर्फ लेंगरा ने कबूल किया कि वह सी.ओ. केन्द्रीय कमान्डर के बतौर तैनात था तथा उसके नियंत्रण के अंतर्गत उदालगिरी, मजबात तथा धेकियाजूली क्षेत्र था। उसने अपने काडर नामत: समाओ एवं अमृत को बिहारी नाई का मारने का आदेश दिया था जो हरिसिंगा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अम्बागांव का निवासी था। 18.01.2014 को करीब 06.00 बजे शाम उन्होंने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। समाओ ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा वर्तमान में वह सपमारी सीजफॉयर कैम्प में था1 बिहारी नाई को सीधे उसके द्वारा मारा गया था। इसी प्रकार, उसने पुलिस स्टेशन धेकियाजूली में यूए (पी) अधिनियम की धारा 10/16) के साथ पठित, ई एस अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित, आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ए)27 के साथ पठित, आई पी सी की धारा 387/353/307/326/34 के अंतर्गत दर्ज मामला एफआईआर संख्या 11/14 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत एक अन्य बयान रिकार्ड किया तथा उसने कबूल किया कि वह 25.03.2014 को पुलिस एवं कोबरा फॉयरिंग मामले में संलिप्त था। उसी रात को, वह अपने साथ गेन्द्रा, अनथाई, टोंकी, ऑर्खव तथा मैथा के साथ मैनोपुर जंगल में सो रहा था तथा उनके पास विभिन्न प्रकार के आयुध थे। पुलिस तथा कोबरा पार्टी को उनकी तरफ पहुंचते देख, अनथाई ने पुलिस की ओर गोली चलाई। गोली की आवाज सुनकर, वे जाग उठे और उन्होंने भी गोली चलाई जो काफी देर तक चली। उसे पता चला कि उस फॉयरिंग में पुलिस और कोबरा के दो व्यक्तियों को चोटें पहुंची। यह कबूलनामें भारत की संप्रभुता एवं भौगोलिक एकता को क्षति पंहुचाने के काडर के इरादे को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं।

108. यह कृत्य दर्शाते हैं कि उन्हें भारत के संविधान में कोई विश्वास नहीं है तथा वह भारत संघ से अलग होना चाहते हैं। वह असम की गैर-बोडो जनता के प्रति नफरत फैला रहे हैं, मासूम लोगों से जबरन धन वसूली कर रहे हैं, अवैध आयुध इकट्ठा कर रहे है, हिन्दी भाषी/गैर-असमी लोगों को अंधाधुंध मार रहे हैं। उन्होंने अपनी गतिविधियों का क्षेत्र पूरे असम राज्य में फैला लिया है तथा अन्य विदेशी

आतंकवादी गुटों के साथ सम्पर्क स्थापित कर लिए हैं। असम राज्य के विभिन्न जिलों में उन्होंने नृजातीय एवं हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया है जिसकी वजह से संपति का नुकसान हुआ है तथा भय एवं असुरक्षा फैलाकर गैर-बोडो लोगों को बोडो क्षेत्रों से भागने के लिए मजबूर किया है।

109. केन्द्र सरकार एवं असम राज्य दोनों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, जिसको एन डी एफ बी द्वारा काई चुनौती नहीं दी गई है अथवा संगठन द्वारा कोई वाद नहीं किया गया है, यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि एन डी एफ बी का उद्देश्य असम राज्य में अशांति पैदा करने के लिए हिंसक गतिविधियां करना है, जो देश की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए हानिकारक हैं तथा अधिनियम की धारा 2(ण) के अंतर्गत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप है। केन्द्रीय सरकार का यह निष्कर्ष कि संगम विध्वंसकारी एवं हिंसक गतिविधियों में संलिप्त है, केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार को चुनौती दे रहा है तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों के बीच हिंसा और आतंक फैला रहा है, पूर्ण रूप से उचित है। केन्द्रीय सरकार का यह मत कि संगम अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के अनुसरण में हिंसक एवं विधिविरुद्ध गतिविधियों में शामिल है, जो भारत की संप्रभुता एवं एकता के लिए हानिकारक हैं, भी पूर्णतया उचित है।

110. अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित अधिकरण द्वारा मामले का न्यायनिर्णय सरकार द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना है। सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण के पश्चात, अधिकरण संतुष्ट है कि एन डी एफ बी, उसके सदस्यों, अनुयायियों तथा उससे सहानुभूति रखने वालों की गतिविधियां विध्वंसकारी प्रवृत्ति की हैं। उनकी गतिविधियां अलगाववादी हैं तथा भारत की क्षेत्रीय एकता तथा संप्रभुता के विरुद्ध हैं। अत:, 23 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना के अनुसरण में एन डी एफ बी को 23 नवम्बर, 2014 से पांच वर्षों के लिए 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करने का पर्याप्त कारण है। उक्त अधिसूचना की पुष्टि की जाती है। उपर्युक्त के अनुसार मामले का उत्तर दे दिया गया है।

111. यह स्पष्ट किया जाता है कि रिपोर्ट/संदर्भ में की गई टिप्पणियों का उन आपराधिक मामलों पर कोई प्रभाव नहीं होगा जो संगठन अथवा इसके सदस्यों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं तथा जिनको उनके गुण-दोषों के आधार पर निर्णीत किया जाएगा।

न्यायाधीश एस.पी.गर्ग, पीठासीन अधिकारी

मई, 21, 2015 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 7th August, 2015

S.O.2162(E).— In terms of section 4(4) of the Unlawful activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Shri S.P. Garg, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the association, namely the National Democratic Front of Boroland (NDFB) of Assam as unlawful is published for general information:

[No.11011/29/2014-NE-V]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

BEFORE THE TRIBUNAL UNDER THE
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967

IN THE MATTER OF:
NATIONAL DEMOCRATIC FRONT OF BOROLAND (NDFB) OF ASSAM

AND IN THE MATTER OF:

REFERENCE UNDER SECTION 4(1) OF THE
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967

REPORT

21.05.2015

1. On 23rd November, 2014, a notification being S.O. 2956(E) was issued by Mr.Dilip Kumar, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India to the effect that the Central Government was of the opinion that the activities of the National Democratic Front of Boroland (hereinafter referred to as NDFB) of Assam were detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it was an unlawful association.

2. The Central Government was also of the opinion that unless the unlawful activities of the NDFB were kept under control, the organization may re-group and re-arm itself, make fresh recruitments, indulge in violent, terrorist and secessionist activities, collect funds and endanger the lives of innocent citizens and security forces personnel; and therefore existing circumstances rendered it necessary to declare the NDFB as an unlawful association with immediate effect. Consequently, in exercise of powers conferred by Section 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter referred to as the Act), the Central Government declared NDFB as an unlawful association.

3. The Central Government was also of the opinion that it was necessary to declare the NDFB to be an unlawful association with immediate effect and accordingly, in exercise of powers conferred by Section 3(3) of the Act, the Central Government directed that the notification shall, subject to any order made under section 4 of the Act, would have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

4. For the purposes of Section 3(1) of the Act, the Central Government was of the opinion that the NDFB has been:

(i) indulging in illegal and violent activities intended to disrupt, or which may disrupt, the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of achieving a separate Boroland;

(ii) aligning itself with other undergrounds outfits of the North Eastern Region in furtherance of its objectives to create a separate Boroland;

(iii) engaging in unlawful and violent activities thereby undermining the authority of the Government of India and the Government of Assam and spreading terror and panic among the people;

(iv) indulging in extortion of money from various sections of the society with a view to financing and executing its plans and activities;

(v) embarking on a systematic drive for recruitment of fresh cadres with a view to continuing its terrorist and insurgency activities;

(vi) creating carnage and ethnic violence resulting in killings, destruction of property of non-Bodos inhabiting in Bodo dominated areas in Assam with a view to spreading panic and insecurity among non-Bodos;

(vii) establishing camps and hideouts across the Country's border to carry out its secessionist activities;

5. In respect of the violent activities, the Central Government included the following:

(i) killing of sixteen persons, including three security forces personnel in ninety three incidents of violence in 2013; and

(ii) killing of seventy-four persons, including one security forces personnel, in seventy-six incidents of violence in 2014 (upto 31st July).

6. Under these circumstances, and in exercise of powers conferred by Section 5(1) of the Act, one man Tribunal was constituted by a notification being S.O. 3250(E) dated 22nd December, 2014 issued by Mr.Shambhu Singh, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India for the purpose of adjudicating whether or not there were sufficient cause of declaring the NDFB as Unlawful Association. By virtue of Section 4(3) of the Act, the Tribunal was required to adjudicate whether or not there was sufficient cause for declaring the NDFB as an unlawful association within the meaning of the expression defined under Section 2(p) of the Act.

7. In support of its case, the Central Government made a reference to the Tribunal and submitted a resume regarding the aims/objectives and violent activities of NDFB.

8. The reference was received by this Tribunal on 22.12.2014. Having received it, vide order dated 24.12.2014, this Tribunal listed the reference for preliminary hearing on 08.01.2015. After recording satisfaction on perusal of materials, Notice under Section 4(2) of the Act was ordered to be issued to the NDFB to show cause within 30 days from the date of service of the notice as to why the said Association should not be declared unlawful and why order should not

be made confirming the declaration under Section 3(1) of the Act. Notice was directed to be served in the same manner as the Notification banning NDFB was served in the following manner:-

i) By affixing copies of the notice at some conspicuous parts of the offices, if any, of the abovesaid Association;

ii)By serving a copy of the notice on National Democratic Front of Boroland (NDFB) of Assam through publication in two daily newspapers, one in a National Newspaper (in English) and other in prominent local paper in vernacular language which was under circulation in the locality/area where the organization has its establishments or presence as is known in the State of Assam;

iii) By proclaiming by beat of drums or by means of loudspeakers, the contents of the notice, in the area in which the activities of the Association are ordinarily carried out;

iv) Service be also effected on the Office Bearers of the National Democratic Front of Boroland (NDFB) of Assam at its addresses or if under detention through the Superintendent (Jail) concerned;

v)By making announcement on All India Radio and telecasting on Doordarshan from the Local Broadcasting and Transmission Stations of the State of Assam; and

vi) By pasting the notice on the Notice Board of the Office of District Magistrate and of the Tehsildar at the Headquarter of the District or the Tehsil, as the case may be, in which the Principal office of the Association was situated;

vii) By publishing on the website of Ministry of Home Affairs (http://mha.nic.in); and,

9. In addition to the above, notice was also directed to be issued through all other possible modes, including e-mail, etc. The next date of hearing was fixed 26th February, 2015 at 4:00 p.m. at Delhi.

10. Pursuant to the order dated 8th January, 2015, State of Assam filed an affidavit on 23rd February 2015 of Mr.Mahadananda Hazarika, Joint Secretary to the Government of Assam regarding service of notice on the association by different modes including publication. Notice and Notification of Government dated 23rd November 2014, however, could not be personally served on those factions of NDFB, commonly known as NDFB (Sonbijit faction) or NDFB (Anti – Talk faction) and the said faction who were not part of the Suspension of Operation Agreement as their office or address could not be ascertained. The Central Government also filed an affidavit dated 25th February, 2015 of Mrs. Neeta Gupta, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs, regarding service on the association (NDFB) in the prescribed modes. In its proceedings dated 26th February 2015, it was found that the affidavits filed on behalf of State of Assam and that of Union of India did not mention about service on the office bearers or members of NDFB who were in jails through concerned Jail Superintendents. Accordingly, fresh notice to the office bearers or members of NDFB who were in Judicial custody in various criminal cases registered against them were ordered to be served again through concerned Superintendent Jail to provide reasonable and fair opportunity to them, returnable on 17th March 2015.

11. In compliance of the directions issued, Additional affidavits of service were filed by Mrs. Neeta Gupta, Deputy Secretary, MHA and Mr.M. Hazarika, Joint Secretary regarding due service of notice on 4th/5th/6th/7th March, 2015 on the detained office bearers/members of NDFB in 12 different jails (Central & District) through the concerned Jail Superintendents. The respective letters of service of notice of the concerned Superintendants were attached with the Additional Affidavit filed by Mr. Mahadananda Hazarika, and letter dated 7.3.2015 of Inspector General of Prisons, Khanapara, Guwahati, Assam. The affidavit further noted that the detained cadres in Udalguri Jail refused to put their signatures on the served show cause notice.

12. Despite due service, nobody appeared on 17.3.2015, on behalf of NDFB before the Tribunal. No petition/message/reply/objection was received from the organization about their willingness to be represented before the Tribunal. Accordingly, under Section 4 (2) of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, 30 days' time from the date of service of notice, was given to the office bearers/members of National Democratic Front of Boroland (NDFB) of Assam to represent themselves either personally or through duly authorized representiave before the Tribunal on or before 4th/5th/6th/7th April, 2015, as the case may be, to show-cause as to why the Association should not be declared unlawful.

13. On 17.3.2015 two weeks' time for filing the evidence by way of affidavits with supporting documents (if any) was granted.

14. On request, the Tribunal fixed two dates, i.e., 11th and 12th April, 2015 at 10:30 a.m. at Shillong for recording evidence. For remaining evidence, the Tribunal fixed 20th and 21st April, 2015 at 10:30 a.m. at Kaziranga. The State Government was directed to give due publicity in the local newspapers and through media regarding the dates of sitting and the venues of the Tribunal much in advance.

15. On 04.4.2015, a substantial affidavit of Ms. Neeta Gupta, Deputy Secretary with supporting documents, was filed. State of Assam also filed a list of 20 witnesses along with their affidavits and supporting documents in five volumes.

16. On 11.04.2015 the Tribunal conducted its proceedings at Orchid in Shillong at 10:30 a.m. NDFB had not responded to the notice within the prescribed period of 30 days and no objections were received pursuant to Order dated 17.03.2015. Proceedings against NDFB organization were taken ex-parte. Learned counsel for the State of Assam produced original copies of newspapers and publications to show that due public notice was given about the venue and date of hearing of this Tribunal in Shillong. These were taken on record. State of Assam produced and examined eight witnesses. Proceedings were adjourned for 12th April, 2015. On 12.04.2015 at the same place, State of Assam examined four witnesses. Next sitting of the Tribunal was to take place on 20th and 21st April, at 10:30 a.m. at Kaziranga, Assam. On 20.04.2015, proceedings were conduced at DRDA Guests House, Kohora near Kaziranga, Golaghat District Assam. Original newspapers/publications filed regarding public notice etc. by State of Assam were taken on record. State of Assam examined six witnesses besides examining SW-6 who was recalled for further examination. On behalf of Central Government CW-1 Ms.Neeta Gupta was examined. On 21.04.2015 at 10:30 a.m. at DRDA Guests House, Kohora, statement of another witness SW-20 was recorded. State of Assam expressed his willingness to examine more witnesses. Accordingly, next date for recording statements of remaining witnesses was fixed as 6th May, 2015 in Court No.32, Delhi High Court premises at 3:30 p.m. On that day, original newspapers/publications furnished by the State of Assam were taken on record. SW-21 and SW-17 who was recalled for further examination were examined. Central Government and State of Assam closed their respective evidence. One sealed envelope containing confidential information already submitted on 24.04.2015 to the Registrar of the Tribunal was taken on record. On 8th May, 2015, final arguments were heard. The parties were directed to file written submissions (if any). Subsequently, brief written submissions were received.

17. The proceedings referred above reflect that both Central Government and State of Assam examined various witnesses in support of the Notification. None on behalf of NDFB appeared to contest the Notification despite due service of notice by various modes. They were proceeded ex-parte. None of the prosecution witness examined by Central/State of Assam was cross-examined on behalf of the organization. NDFB remained ex-parte till the final disposal. No public citizen participated in the inquiry.

18. CW-1 further disclosed that the organization was banned for the first time in 1992.

EVIDENCE

The evidence lead by the State of Assam and Central Government is discussed as under:-

19. SW-1 Dr.Sanjukta Parasor, IPS, Superintendent of Police, Sonitpur has filed her evidence by way of affidavit (Ex.SW1/1) which bears her signatures at point 'A' & 'B'. She disclosed that in District of Sonitpur under her jurisdiction, members of NDFB were active and they indulge in large scale unlawful and violent activities in an attempt to undermine the authority of the Government and spread terror amongst common people. They have been trying to wage war against State by involving themselves in killing/kidnapping/threatening of innocent citizens, extortion calls to businessmen and also targeting security forces to weaken the rule of law. In that process, they have caused impediments to the normal lives of citizens.

20. She further deposed that on January 27, 2014 on receipt of information about shelter of NDFB(S) in the area of Hankhaipur forest village near Laudangi under Dhekiajuli PS, at around 1:30 a.m., a search operation was conducted by Assam Police and Indian Army led by Gulzar Hussain, SPS, Addl.S.P.(S), Sonitpur. One suspected NDFB(S) cadre, Khambir Basumatary, was apprehended by the police party. After the search operation, when the police party was taking the said suspect, at Mauriapur centre at about 07:30 a.m. on 28.01.2014 a group of suspected NDFB cadres suddenly opened fire on the police party. Addl.SP (Security) Late Guljar Hussain, his PSO LNK Hiraj Bharali, Const.Uma Kt.Bailung, Const.Rabul Borah along with Commando Bn personnel retaliated in self-defence. The exchange of fire continued for half an hour. Guljar Hussain and other members of the team and two civilians, namely, Janak Basumatary, and Anla Basumatary sustained bullet injuries. Subsequently Addl.SP (Security) succumbed to the injuries on the way to Kanaklata Civil hospital, Tezpur. Anla Basumatary was declared dead by the doctor. Other injured were referred to GMCH for further medical treatment. Among other articles, 39 empty cartridges of AK 47 series were seized from the spot. A case vide FIR No.61/2014 under Section 326/307/302/353/34 IPC was registered at Police Station Dhekiajuli. Four persons have been arrested so far in this case. Two of them were found to be active members of the banned organization of NDFB. The said attack on the police party was pre-planned. In one of the statements, it was revealed as to how the accused was involved in killing of Adivashi people in 2014. SW-1 further proved the documents i.e. FIR (Ex.SW-1/2); Seizure memos collectively exhibited as Ex.SW1/3; inquest report (Ex.SW1/4); post-mortem reports (Ex.SW1/5); injury report (Ex.SW1/6); statement of complainant (Ex.SW1/7); certified copies of the statement of witnesses collectively exhibited as Ex.SW1/8 and certified copy of statement of accused persons collectively exhibited as SW1/9.

21. Regarding case FIR No.1429/14 registered at police Station Tejpur, she deposed that on 15.12.2014 at about 09:30 a.m., as per information from sources, the police team and the members of Assam Rifles and 201 Bn of Cobra conducted a check on all vehicles coming into Sonitpur district near Bhomoraguri bridge. At about 05:30 p.m., two persons were found coming on a motorcycle without any registration number from Nagaon side towards Tezpur. The motor-cycle was stopped and checked. A bag was found and on checking, various arms and ammunitions including one M 39 Grenade Launcher, 16 Grenade 40 MM. were recovered. Persons apprehended were identified as Joy Singh

Narzary @ Jamil @ Jalil and Smt.Belsiri Narzary @ Rava @ Karang Beypi. An FIR under Sections 120(B)/121/121(A)/122 IPC read with Section 25 (I)(A) Arms Act read with Section 4/5 E.S.Act read with Section 10/13 UA(P) Act was registered. During investigation, the accused persons confessed that they were active members of banned organization of NDFB(S) and they carried the arms and ammunitions from Nagaland to supply it to the cadres of the said organization. She proved the certified copy of the FIR (Ex.SW1/10); copy of the seizure list (Ex.SW1/11); copy of the statement of the complainant (Ex.SW1/12); statement of the witnesses collectively exhibited as Ex.SW1/13; statement of the accused persons collectively exhibited as Ex.SW1/14; certified copy of the armourer report (Ex.SW1/15).

22. The witness further deposed that on the night intervening 3/4.5.2014 on getting source information regarding the movement of the members of banned organization NDFB(S), an operation was launched by the security forces at about 12:30 a.m in the general area of Paharpur/Laijangpara. At around 09:30 a.m., four suspected NDFB(S) militants carrying weapons were seen approaching Laijangpara village from the foothills on the northern side. When they were asked to stop, the suspect opened indiscriminate fire. One of the suspects also lobbed a grenade at the security forces. All of them fired in self-defence. It lasted fro about 30 minutes. After that the general area was thoroughly searched, two suspected injured found there were taken immediately for medical aid. Search of the suspected injured NDFB(S) militants led to the seizure of 2 pistols, one live grenade, 3 rounds of live ammunition, 2 bags with clothes, toiletries, 3 mobile phones and other incriminating documents belonging to the banned organization. Other two suspects fled taking advantage of the fire fight. She further deposed that the injured militants were declared dead at the hospital at Tezpur and they were identified as (1) Ganesh Basumatary @ B.Gosai and (2) Bogu Musahary @ M.Sayamaya. A case was registered vide Rangapara Police Station C/No.52/14 under Section 121/121(A)/122/353/307 IPC read with Section 25 (I) (A)/27(2) Arms act read with Section 3 /4 E.S.Act read with Section 3 /4 E.S.Act read with Section 10/13 UA(P) Act. She further deposed that during investigation, it revealed that Ganesh Basumatary @B.Gosai was the self-styled Platoon Commander of the NDFB(S) group taking shelter in Rangapara area while Bogu Musahary @ M.Sayamaya has been a cadre of the same banned organization. They used to frequently visit the area of Paharpur-Laijangpara in a group of 5-6 cadres with an aim to collect extortion money, kidnap civilians and attack security forces. They were also involved in the kidnapping of NHPC official Anil Agarwal in 2013. She proved on record the certified copy of the FIR (Ex.SW1/16); seizure list (Ex.SW1/17); copies of the seized documents collectively exhibited as Ex.SW1/18; certified copy of the armourer reports (Ex.SW1/19); certified copies of the inquest report collectively exhibited as Ex.SW1/20; certified copies of the post-mortem report collectively exhibited as (Ex.SW1/21); certified copy of the statement of the complainant (Ex.SW1/22) and certified copies of the statement of witnesses collectively exhibited as Ex.SW1/23.

23. SW-2 Ranjit Saikia, serving as Sub Inspector, Police Station Dhekiajuli, Sonitpur distirct, Assam since February 24, 2014 has filed evidence by way of affidavit (Ex.SW2/1) which bears his signatures at point 'A' & 'B'. He took over the investigation of Case No.61/2014 under Sections 326/307/302/353/34 IPC Police Station Dhekiajuli on February 28, 2014 from his predecessor Inspector Dharani Dhar Deka. He has corroborated the version given by SW-1 (Dr.Sanjukta Parasor) on all relevant facts by deposing on similar lines.

He further informed that four accused persons were facing investigation in Case FIR No.61/2014 under Sections 326/307/302/353/34 IPC read with Section 27(2) Arms Act read with Section 10/13 UA(P) Act and were in judicial custody since January, 2014.

24. SW-3 Shri Shiladitya Chetia, IPS, Superintendent of Police, Barpeta District since 18.09.2014 has filed his evidence by way of affidavit (Ex.SW3/1) which bears his signatures at point 'A' & 'B'. The witness disclosed that on 17.10.2014, complainant Haren Basumatary, a Grade IV employee of Mamargaon State Public Health Centre lodged an FIR at Sorbhog police station to the effect that on 27.09.2014 at about 07:00 p.m. he had received a phone call from mobile No.8011981996 to his Mobile Phone No.7896056358. The caller identified himself as NDFB(S) cadre and spoke in Bodo language. He demanded ` 5 lacs from the staff of Kamargaon State Public Health Centre and threatened to kill them in case the demand was not met. A case by FIR No.337/2014 under Section 387 IPC read with Section 10/13 Unlawful Activities (Prevention) Act was registered. During investigation, the Investigating Officer seized various items as produced by the arrested accused vide GD entry No.302, dated 10.01.2015. These were mobile hand set and one motor-cycle bearing No.AS-26/3656 (Hero Honda Achiever). The witness proved the certified copy of the FIR (Ex.SW3/2) and the copy of the GD entry No.302 (Ex.SW3/3); certified copy of the seizure list along with copy of its original collectively exhibited as Ex.SW3/4; Photographs of seized exhibits (Ex.SW3/5); certified translated copies of the statements of the witnesses and copies of its original statements collectively exhibited as Ex.SW3/6. One Matura Nath was arrested and the certified translated copy of his statement was exhibited as (Ex.SW3/7). He elaborated that the anti-talk faction of NDFB are commonly referred and known as NDFB (AT) and NDFB (Anti talk) or NDFB (Sonbijit) or NDFB (S) for operational reason. However, the entity of the NDFB as a whole remains the same.

25. He further disclosed that in FIR No.337/2014 under Section 387 IPC read with Section 10/13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, one accused was arrested and pursuant to his disclosure statement one two wheeler No.AS 26 3656 (Hero Honda Achiever) which had a fake number was recovered. Call details of phone No.8011981996 were also collected.

26. SW-4 Safur Ali, serving as Officer-in-Charge in Sarbogh Police Station in Barpeta District, Assam since 2014 has filed evidence by way of affidavit (Ex.SW4/1) which bears his signatures at point 'A' & 'B'. He has given details of the case investigated by him i.e. Case No.337/2014 under Section 387 IPC read with Section 10/13 Unlawful Activities (Prevention) Act registered at Police Station Sorbhog, He has corroborated the version given by SW-3 (Shri Shiladitya Chetia) on all relevant facts.

SW-4 further disclosed that Mathura Nath and Upen Nath were arrested in case FIR No.337/2014 under Section 387 IPC read with Sections 10/13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act and are in custody since 10.01.2015. The mobile phone on which the ransom demands were made was recovered from the house of the accused Mathura Dass. Both Mathura Nath and Upen Nath were on constant touch with each other on mobile.

27. SW-5 is Shri Manabendra Dev Ray, Superintendent of Police, Biswanath District since 01.01.2015. He has filed his evidence by way of affidavit (Ex.SW5/1) which bears his signatures at point 'A' & 'B'.

28. Citing details of case No.36/14 pertaining to Biswanath Chariali Police Station, he disclosed that on 24.02.2014 at 03:30 p.m., complainant SI Raju Bahadur Chetry of Balichang Outpost lodged an FIR to the effect that on 23.02.2014, on receipt of secret information about the movement of NDFB(S) cadres, a police party along with CRPF (Cobra wing) rushed towards Mainaguri/Brahmapur. At about 04:30 p.m., some NDFB(S) militants suddenly started indiscriminate firing on the security force. The force personnel started retaliatory firing in self-defence. After cessation of fire, the area was searched and one suspect NDFB(S) militant whose name was ascertained subsequently as Bwhwilang was found injured. From his person, one 9mm pistol; one 9mm pistol magazine; five 9mm live ammunition; three 9mm empty cases and one mobile handset was recovered. The injured was immediately shifted to nearest hospital, Biswanath Chariali Civil hospital for his treatment. The other extremists taking cover of the jungle and hilly terrain managed to escape towards forest. The articles seized at the spot were taken into possession vide seizure memo under 102 Cr.P.C. He further revealed that the injured Mr.Bwhwilang Iswary succumbed to the injuries in the hospital. Post-mortem on the body was conducted. Finger prints of the deceased were preserved for further investigation. The Investigating Officer collected the hand-wash and hand swab samples and barrel residue sample of the arms used by the deceased and sent the same for forensic examination. The relevant reports were collected which established the involvement of the deceased Bwhwilang Iswary in the attack on the security forces. The witness further deposed that during investigation, statement of seven witnesses were recorded. Three of them have clearly identified the deceased as NDFB cadre who was seen in the organization for 7/8 years. The witness proved the copy of FIR (Ex.SW5/2); inquest report (Ex.SW5/3); post-mortem report (Ex.SW5/4); finger print slip (Ex.SW5/5); Expert Examination Report (Ex.SW5/6) and certified copies of the relevant statements collectively exhibited as Ex.SW5/7.

29. Revealing the details of another case FIR No.87/14 registered at Police Station Biswanath Chariali, the witness deposed that on 30th April, 2014 at about 9:00 p.m. complainant SI Pranab Baishya, Incharge of Tinisuti Patrol Post, lodged an FIR that on April 29, 2014, on receipt of secret information about the presence of NDFB(S) cadres who had kidnapped Pranjal Sarmah of Udalguri District, the team reached in the general areas of Balodonga and Namara near Assam_Arunachal Pradesh border. A search operation was launched on 29.04.2014. Another input was recieved that 5 to 8 NDFB(S) cadres were taking shelter in the village of Dwimugujan. The area was cordoned and searched. During search, NDFB(S) cadres started indiscriminate firing towards security forces. In self-defence, the search team retaliated and opened fire. The exchange of fire lasted for about 25 minutes. After cessation of fire, during search of the area three injured suspects NDFB(S) cadres were found there. On their search, three pistols, one grenade and eleven rounds of ammunition, two mobile phones and other documents were seized. The injured militants were shifted to BNC Civil hospital for treatment.

30. The witness further deposed that all the three injured succumbed to the injuries and were identified by their family members as (1) Rajib Basumatary @ B.Radai, (2) Alphonse Narzary @ N.Aougi, and (3) Achanos Muchahary @ M.Astham. Inquest proceedings were conducted and post-mortem examination on their bodies were conducted. Their finger prints were preserved and sent to forensic laboratory for examination. The reports established without doubt their involvement in the attack on the security forces.

31. During investigation, permission was taken from the Court concerned for destruction of the seized live hand grenade. Statement of 13 witnesses including the complainant were recorded. Six witnesses have identified the deceased persons as NDFB(S) cadres. Most of them have stated that NDFB extremists' regularly visited their village and harassed them by demanding food, money, shelters amongst other things. The witness proved the certified copy of the FIR (Ex.SW5/8); certified copy of the inquest report (Ex.SW5/9); certified copy of the post-mortem report (Ex.SW5/10); certified copy of the Expert Examination Report (Ex.SW5/11) and certified copies of the relevant statements translated in English and copy of original statements of the witnesses collectively exhibited as (Ex.SW5/12).

32. SW-6 is Rupam Puhkan, serving as Sub-Divisional Police Officer of Gohpur Sub-Division in Biswanath Police District, Assam since September, 2014. He is the Investigating Officer of Case FIR No.36/14 and 87/14 registered at Biswanath Chairali Police Station referred above. He took over the investigation of Cases FIR No.36/14 and of Case No.87/14 on 10.02.2015 and 24.10.2014 from his predecessors Girin Sonowal and Gitanjali Pao Doler respectively. He has deposed on similar lines as that of SW-5 (Manabendra Dev Ray).

33. Smt.Indrani Baruah, APS presently serving as Superintendent of Police, Kamrup district Assam since 21.01.2014 has been examined as SW-7. She has given her evidence by way of affidavit (Ex.SW7/1) which bears her signatures at point 'A' and 'B'.

34. Giving the instance of Case FIR No.53/2014 under Sections 120(B)/121/121(A) IPC read with Section 5 ES Act read with Section 16/17/18(A) UP (A) Act, she deposed that on 24.02.2014 at 05:56 p.m. SI Satyandra Singh Hazari, O/C Baihata Chariali police station received an information from ASI Ganesh Sarma that unknown miscreant on a motor cycle had lobbed two grenades nearby Gasbari Chowk injuring eight/ten people. GDE entry vide Baihata Chariali PS GDE No.782/14 dated 24.02.2014 was recorded and the search team proceeded towards P.O. along with SI Budheswar Khaund and staff. The injured persons were taken to a nearby pharmacy hospital for treatment. The assailants who had fled towards Baihata Chariali could not be recognized. The Investigating Officer recorded statements of various witnesses who informed that on 24.02.2014 at about 5:30 p.m. in a gap of 2/3 seconds they had heard two sounds of grenade blast at Gasbari evening market near Gasbari Police Camp. Various ammunitions were recovered and seized at the spot.

35. She further revealed that on the basis of enquiry SI Budheswar Khaund, Baihata Chariali police station lodged an ejahar on 25.02.2014 at 10.20 a.m. about the incidence. From enquiry it revealed that the members of NDFB(S) were involved in the crime. During further investigation, statements of the witnesses were recorded who suspected involvement of NDFB activists in the crime. Exhibits were sent for expert opinion. The witness revealed that during investigation, inquest hold over on a male dead body namely Mahijuddin Ali who was the victim of the blast at Gasbari on 24.03.2012 by Suswapna Kakati Executive Magistrate, Kamrup (M), the nature of would(s) appeared to be burns caused by splinters on the entire right leg. The IO collected the post-mortem report. The statement of various witnesses were recorded and seven suspects were arrested. They were (1) Raju Deka @ Raju Rajbongshi @ Bimal Rajbongshi (Age 20 years); (2) Ramesh Boro (Age 28 years); (3) Bipul Boro (Age 26 years); (4) Amit Boro @ Paban Boro (Age 23 years); (5) Sri Pratap Narzury (Age 21 years); (6) Rabilal Narzary (Age 23 years) and (7) Sri Ratan Boro @ Bhada (Age 24 years). Amongst them Ratan Boro, Amit Boro and Pratap Narzary stated that they were NDFB members. Ratan Boro stated that he himself with Ramesh Boro, Amit Boro and Bipul Boro was involved in the Gasbari incident.

36. The witness proved the certified copy of the G.D.Entry (Ex.SW7/2), Certified copy of the statement of the informant (Ex.SW7/3); certified copies of the statement of witnesses collectively exhibited as Ex.SW7/4; Certified copy of the Seizure list (Ex.SW7/5); certified copies of the statements of witnesses collectively exhibited as (Ex.SW7/6); certified copy of the FIR (Ex.SW7/7); Certified copies of the statement of witnesses collectively exhibited as Ex.SW7/8; Certified copies of the statement of injured victim collectively exhibited as Ex.SW7/9; Certified copy of the FSL report (Ex.SW7/10); Certified copy of the inquest report (Ex.SW7/11); Certified copy of the post-mortem report (Ex.SW7/12) and certified copies of the statement of accused persons collectively exhibited as (Ex.SW7/13).

37. PW-8 Sashindra Nath Deka, is serving as Sub-Inspector in Baihata Chariali Police Station Kamrup (Rural) District, Assam since March 5, 2014. He is the Investigating Officer in Case No.53/2014 under Section 120(B)/121/121(A) IPC and 16/17/18 (A) of Unlawful Activities (Prevention) Act. He took over the investigation of this case from his predecessor Sub-Inspector Dipankar Gogoi. His testimony is in consonance with the testimony of SW-7 (Smt.Indrani Baruah).

38. Another witness examined as SW-11 is Sh. Vivek Raj Singh, IPS presently serving as Superintendent of Police, Darrang District since September 8, 2014.

39. The witness has given detail of Case No. 560/2014. He deposed that on 13.09.2014 at 7.11 PM, the Addl. SP (HQ) Darrang received an information from the Superintendent of Police, Darrang through mobile phone that some unknown miscreants had lobbed a grenade at the office of the Manager, Borgorah Tea Estate (TE) under Dalgaon Police Station. After getting the information, Addl. SP (HQ), Office-in-Charge (O.C) Dalgaon Police Station reached the spot vide GDE No. 432 dtd. 13.09.2014. At the spot, it was found that, four unknown Bodo youths suspected to be NDFB(S) had come to the Borgorah TE on two motorcycles and had asked the gate Chowkider Mansing Engti to inform the Manager to meet them. The Chowkidar after meeting the Manager, asked him to tell the youths to come next day as he was busy with official work. On getting this information, the youths became angry and again asked the Chowkider to inform the Manager that they had some urgent talk. When Chowkider again went to inform the Manager, one of the youths entered and reached near the Manager's Office and asked him through the window of the Office to come out. The Manager came out from the Office and the youth started to talk in Assamese, but the Manager could not understand and asked the Chowkider to call Sanjay Shome, the Plantation Assistant Manager to talk with the youth and went to his office chamber. In the meantime, the youth lobbed a grenade through the door which exploded inside the office and he fled away. The Manager Rakesh Kr. Kudesia, Asstt. Manager, Rama Kt. Tewari and Kewal Chand Jain, a Ration Supplier who were present in the office sustained injuries and were immediately shifted to Mangaldai Civil Hospital for treatment. Kewal Chand Jain died in the hospital. The complainant, Inspector Pratul Bhuyan, the Office-in-Charge of Dalgaon had lodged a FIR at Dalgaon Police Station and a case vide Dalgaon PS Case No. 560/2014 under Sections 120(B)/121/447/387/326/302 IPC r/w Section 3 of ES Act r/w Section 10/13 UA (P) Act was registered.

40. During investigation, it was revealed that before 10/15 days of the incident, the Manager along with his Assistant Manager Sanjay Shome had gone to a plantation uprooted field of the garden to supervise the works in the

evening. Two Bodo youths had come near to them on bicycle and had gone after handling over a sealed envelope. On opening the envelope, a letter of NDFB (S) demanding Rs.15 lakhs was found, however, no report was given to the police concerned. The demand letter was seized after it was produced by the Manager of the Tea Estate.

41. The witness further revealed that during investigation, involvement of Udalguri NDFB (S) Platoon Commander, B. Onthairaja @ Bauda @ Alasam Basumatary, Village No. 1, Simliguri Kajiamati, B. Susrwh @ Bangal Daorao, village No. 2 Simliguri, Kajiamati both of PS Udalguri and Amit Boro S/O Stya Ram Boro, village Madhabgohain, Police Station Rowta has come into light. Later on Amit Boro was arrested.

42. The witness proved the certified copy of English translated version of the FIR and copy of the original of Dalgaon Police Station Case No. 560/2014 and G.D. Entry are annexed as Ex. SW-11/2 collectively; five copies of seizure list collectively exhibited as Ex. SW-11/3; certified English translated copies of the statement of complainant and copy of its original statement collectively exhibited as Ex. SW-11/4 and certified English translated copies of the statements of witnesses and copy of its original statements collectively exhibited as Ex. SW-11/5; copies of statements of accused persons (Ex.SW11/6); and copy of the post-mortem report (Ex.SW11/7).

43. Giving details of Case No. 583/2014 registered under Sections 341/326/307/43 IPC, r/w Section 25 (1-A)/27 Arms Act, r/w Section 10/13 UA (P) Act PS Siparjhar the witness deposed that on 04.10.2014 at 5:30 PM complainant Sri Tutumoni Rajbongshi Daughter of Sri Harmohan Rajbongshi Vill.Simalibari, lodged an Ejahar at Burha Out Post, Sipajhar Police Station to the effect that at about 11:05 AM Ratan Boro and about 4 associates wrongfully restrained her father Harmohan Rajbongshi at Bamunjhar village in Darrang District when he was coming from Bamunjhar weekly market and they fired at him with an attempt to kill him. She further claimed that Ratan Boro and his associates were the members of the NDFB (S). The witness further deposed that prior to registration of the case, the victim Harmohan Rajbongshi was brought to Burha Out Post by some villagers where his statement was recorded. He was thereafter sent to Mangaldoi Civil Hospital for treatment. The IO along with his team went to the spot, however, none of the accused was found present there. The area was searched carefully but nothing was recovered from there. During investigation, the Investigating Officer recorded statements of five witnesses including the complainant and the victim namely (1) Harmohan Rajbongshi, S/o (L) TAnkeswar RAjbongshi Vill. Simalibari, PS Goreswr, Dist. Baksa, (2) Bhadreswar Baruah, S/o (L) Khargeswar Baruah, Vill. Simalibari, PS Goreswar, Dist. Baksa, (3) Pabitra Boro, S/o Sri Babul Boro,Vill. Simalibari, PS Goreswar, Dist. Baksa (4) Ranjan Rajbongshi S/o Sri Kanthiram Das, Vill. Andherighat (Bamunjhar), PS Sipajhar, Dist. Dasrrang and 5) Sri Tutumoni Rajbongshi D/o Sri Harmohan Rajbongshi, Vill. Simalibari. During investigation accused namely (1) Ransai Boro @ Birkhang (aged 20 years) (2) Sri Uday Kalita @ Baba were arrested. From the statement of accused persons, it came to light that Ratan Boro, the area commander of NDFB(S) of Goreswar area and Kanak Boro were also involved in the case.

44. The witness further deposed that later on, the area commander of Goreswar Ratan Boro @ Bhoda S/o Sri Khagen Boro Vill. Bamunjhar PS Sipajhar Dist. Darrang was arrested by Goreswar Police along with Army in an operation at Goreswar PS area along with three other associates namely 1) Sanjib Boro S/o (L) Biren Boro, Vill. Botabari PS Goreswar Dist. Baksa 2) Namalu @ Nouman BOro S/o Sri Nagesh Boro Vill. Bagoribari PS Khoirabari Dist. Udalguri and 4) Siron BOro S/o Sri Bolendra Boro Vill. Kadamguri Balahati PS Goresawar Dist. Baksa in Case No. 104/2014 under Sections 25 (1A) Arms Act r/w Section 5 E.S. Act, r/w Sec. 10/13 UA (P) Act. Police also seized three nos. of pistol and 11 nos. of grenades from them. The accused persons were arrested in connection with the instant case.

45. The witness disclosed that before firing upon Harmophan Rajbongshi, this group of NDFB (S) militants had engaged themselves in various criminal and unlawful activities in the bordering districts like Darang, Udalguri, Baksas and Kamrup. They had obstructed the construction of Bamunjhar-Kahitli Hussain Chuburi Road by demanding extortion money to its workers for which case No. 628/2014 under Sections 341/323/387/34 IPC was registered at Police Station Sipajhar. After this incident and prior to their arrest, on 02.11.2014, this group of extremist led by Ratan Boro had a chance encounter with the Police Patrol Party at Kahitoli village under Burha OP, Sipajhar PS and had fired upon police personnel. However, during cross firing one of their associates Bimal Rajbongshi S/o Sri Nagendra Rajbongshi Vill. Bamunjhar PS Sipajhar was injurned and arrested. Two nos. of 7.56 mm blank cartridge and 2 nos. on motor cycles at the PO i.e. from Kahitoli village were recovered from the spot and a Case No. 675/2014 under Sections 353/307/34 IPC r/w Section 25 (1-A)/27 Arms Act, r/w Section 10-13 UA (P) Act was registered at Police Station Sipajhar.

46. The witness proved the certified copy of English translated version of the FIR and copy of its original of Sipajhar PS Case No. 583/2014 which is exhibited as Ex.SW-11/8; statement of complainant which is exhibited as EX.SW-11/9; statement of the witnesses collectively exhibited as Ex.SW-11/10; statement of accused collectively exhibited as SW-11/11.

47. SW-11 further informed that one Amit Boro was arrested in case FIR No.560/2014 under Section 120(B)/121/447/387/326/302 IPC read with Section 3 of ES Act read with Section 10/13 UA(P) Act and is in custody since 29.10.2014. The ransom/demand letter was served by him. The manager of Borgorah Tea Estate (TE) identified him to be the person who had delivered the ransom letter. It was on the letter head of the organization. He further disclosed that in case FIR No.583/2014 under Section 341/326/307/34 IC read with Section 25 (1-A)/27 Arms Act read with Section 10/13 UA(P) Act, six accused persons have been arrested and are in custody. Statement of victim

Harmohan Rajbongshi has been recorded under Section 164 Cr.P.C. In case FIR No.675/2014 under Sections 353/307/34 IPC read with Section 25 (1-A)/27 Arms Act read with Section 10/13 UA(P) Act , complainant/sub-inspector Chandan Goswami had identified Ratan Boro. He revealed that Ratan Bor had already been convicted by the Court in some other case also.

48. The prosecution examined SW-12, Sh. Chandan Goswami, Sub-Inspector of Police in Burha Police Station Out Post under Sipajhar Police Station in Darrang District, Assam since February 2014. He has filed his evidence by way of affidavit which is Exhibited as Ex. SW-12/1 which bears his signatures at points A and B. He is Investigating Officer in Case No. 583/2014 under Sections 341/326/307/34 IPC, r/w Sections 25 (1-A)/27 Arms Act, r/w Section 10/13 Unlawful Activities (Prevention Act) Act and has deposed on similar lines of PW-11 has corroborated his version.

49. PW-12 further disclosed that victim had identified the accused persons in Case FIR No.583/2014 under Sections 341/326/307/34 IPC read with Section 25 (1-A) Arms Act read with Section 10/13 Unlawful Activities (Prevention) Act. Statements of independent public witnesses have been recorded to the effect that they are the members of banned organization.

50. Mr.Bir Bikram Gogoi, APS, presently serving as Superintendent of Police Udalguri District, Assam since 11.12.2013 has appeared as SW-13. He has filed evidence by way of affidavit exhibited as Ex. SW-13/1 which bears his signatures at points 'A' and 'B'.

51. Giving details of an FIR registered at Mazbat Police Station Case No. 09/2014, U/s 353/307/326/120(B)/121/34 IPC, r/w Section 25(I-A)/27 Arms Act, r/w Sections 15/16 UA(P) Act, he deposed that on 04.03.2014 at 10:00 AM complainant Nb. Subedar (No.3600044X) G.L. Gurjar, 36 Assam Rifles C/o 99 APO camp Mazbat lodged an FIR that on 02.03.2014 at 05:00 PM when he along with his staff had gone on a routine area domination patrolling (ADP) at Jagapur and Ashrabari area, a group of NDFB (S) extremist suddenly opened fire indiscriminately which was retaliated in self defence. As a result, 4 (four) Nos. of force personnel got grievous bullet injuries. At around 1715 hrs, they were able to man out from the ambush site and the injured person were immediately shifted to Army base hospital Tezpur by Helicopter. During search of the Place of Occurrence (PO) one hand grenade was recovered. The witness further deposed that NDFB(S) extremists targeted to kill security forces to destabilize the rule of law. Statements of seven witnesses included complainant were recorded during investigation. Four accused persons namely 1) Rabet Daimary S/o Sri Juwel Daimary Vill. Khusurabari P.S. Udalguri 2) Ktiram Daimari S/o Lt. Santhod Daimary Vill. Botabari P.S Udalguri 3) Sri Sanjib Daimary S/o. Sri Juwel Daimari Vill. Khusurabari P.S Udalguri 4) Simangsa Basumatary S/o Horen Basumatary Vill. Silikhaguri P.S Mazbat were arrested and their statements were recorded. They were still in judicial custody. The witness proved the certified copy of the Original FIR exhibited as Ex-SW-13/2; certified photocopy and typed copy of the seizure list exhibited as Ex-SW-13/3 and SW-13/3A; certified translated and original photocopy of the statement of the complainant and the relevant witnesses collectively exhibited as Ex.SW-13/4 and certified copy of the statements of the accused persons collectively exhibited as SW-13/5.

52. Giving details of another case i.e. Mazbat Police Station Case No. 11/14 under Sections 387/353/307/326/34 IPC, r/w Section 25(I-A)/27 Arms Act, r/w Section 4 of ES Act, r/w Section 10/16 UA (P) Act, the witness revealed that on 26.03.2014 at 05:00 PM complainant Md. Arif, Asst. Commandant 210 Cobra Bn. CRPF "A" Coy camp Mazbat lodged an FIR that on 25.03.2014 based on specific information from reliable sources regarding shelter and movement of NDFB (S) cadre in the general area of 'Bombay center' under Mazbat P.S., he with police party went there. Suddenly when they reached at Mainaopuri terrain area, a group of NDFB (S) extremist opened fire indiscriminately which was retaliated with fire in self defence. The encounter lasted approximately for 45 minutes. In that incident 2 (two) jawans namely 1) Jayanta Ray of 24th AP (IR) Bn. And 2) Sindhe Prasad of 210 Cobra Bn. CRPF sustained grievous bullet injuries. When the firing stopped, the place of occurrence was thoroughly searched and heavy amount of arms and ammunition was recovered from there.

53. The witness further deposed that during investigation the Investigating Officer recorded statements of 10 witnesses. Five assailants namely 1) Geolang Basumatary S/o Sri Silen Basumatary Vill. Swarangjuli P.S Mazbat 2) Gobinda Baglary S/o Lt. Gendra Baglary Vill. Swarangjuli P.S Mazbat 3) Obam Basumatary S/o Tekla Basumatary Vill. No. 1 Rowta Station P.S Rowta 4) RAmina Basumatary W/o Sri Prabitra Nazary Vill. No. 1 Khomabari P.S Mazbat 5) Susanta Basumatary S/o Dharmeswar Basumatary Vill. No. 2 Kadabil P.S Mazbat were arrested and their statements were recorded. The witness proved the certified copy of the FIR exhibited as Ex.SW-13/2; list of seizure memo exhibited as Ex.SW-13/3; witness proved the certified copy of annexure of the FIR exhibited as Ex. SW-13/6 and list of seizure exhibited as Ex. SW-13/7. Statement of the witnesses recorded is collectively exhibited as Ex. SW-13/8; statements of witnesses and accused persons collectively exhibited as Ex. SW-13/9.

54. The witness gave details of another Case No. 03/2014 registered under Section 302 IPC, r/w Section 27(3) Arms Act, r/w Section 16 UA (P) Act at Police Station Harisinga. He deposed that on 20.01.2014 at 12 noon complainant Sri Chatthu Sarmath lodged an FIR at Harisinga Police Station to the effect that on 18.01.2014 at 06:00 p.m. when his father Bhikham Sarmah was at his barber shop situated at Ambagaon Chowk, some unknown extremist shot him and fled away. During investigation the Investigating Officer examined six witnesses and from their statements, it emerged that NDFB (S) extremist were responsible for the said attack. The Investigating Officer arrested the suspected accused namely 1) Kamal Daimari S/o Sri Prafulla Daimari Vill. Jhakara P.S. Harisinga 2) Ruben Daimari

@ D. Dwkha S/o Sri Nihimia Daimari Vill. Jerusalam P.S Udalguri who were in judicial custody. The case is still under investigation.

55. The witness proved the certified copy of the FIR exhibited as Ex.SW-13/10; statements of the complainant and witnesses collectively exhibited as Ex. SW-13/11; statements of the accused persons collectively exhibited as Ex. SW-13/12.

56. PW-13 further informed that Bikunas Narzary @ Birlangbai, the self styled commander of central command of NDFB(S) was arrested by NIA in January, 2015. Statement of the arrested cadre was recorded in FIR No.11/14 wherein he confessed about his involvement and involvement of the organization.

57. The prosecution has examined SW-14 Dipak Das, Sub-Inspector of Police in Mazbat Police Station Udalguri District, Assam. He has filed his evidence by way of affidavit which is exhibited as Ex.SW-14/1. It bears his signatures at points A and B. He is posted in the District Mazbat since 2015. He is Investigating Officer in the above said referred cases of Police Station Mazbat in Udalguri District has deposed on similar lines and has corroborated the statement of SW-13.

58. Another witness examined is SW-15 Ranjan Bhuyan, Superintendent of Police since 04.12.2013 in Police Station Chirang. He has filed evidence by way of affidavit (Ex.SW15/1) which bears his signatures at point 'A' & 'B'.

59. Giving details of Case No.08/2014 under Section 120(B)/121/121(A)/122/353/307 IPC read with Section 5(1-A)/27(2) Arms Act, read with Section 4 E.S.Act and read with Section 15/16 UA(P) Act Police Station Rumkhata, the witness elaborated that on 14.02.2014 at 10:00 a.m. complainant Capt.Abhishek Ahlawala lodged an 'ejahar' at Police Station Runikhata to the effect that on 13.02.2014 at 1-10 p.m. four youths on two motor cycles came out suddenly from the woods. On noticing the security personnel, the unidentified youth on one of the motor cycles sped away towards Shantipur, while two youths on the other motorcycle attempted to escape towards village Aiepowali part-2. In that attempt, one of the motorcycles skidded and immediately one of the youths lobbed a grenade towards the area domination patrol party, which did not explode. Thereafter, the two terrorists attempted to escape by running away in different directions. While they were being searched, one of the youths opened fire at the patrol party which was retaliated resulting in an injury to him. The other youth was also chased for about two kilometres. He took position behind bushes, fired and attempted to throw a grenade at them. The patrol party carried out controlled retaliatory fire in which the youth sustained injuries on his person. After the firing stopped, the area was searched carefully and two injured were found and evacuated to JSB Civil hospital, Kajalgaon, where they were declared dead at about 05:45 p.m. Various arms and ammunitions were recovered at the spot. The witness proved the certified copy of the FIR (Ex.SW15/2); certified copies of the original seizure lists collectively exhibited at Ex.SW15/3.

60. The witness further deposed that Investigating Officer lifted the finger prints of the deceased persons. The seized arms were sent to the Director Finger-Print Bureau CID, Assam, Guwahati for comparison and report. The seized arms and ammunition were sent to Forensic Science Laboratory, Kahilipara, Guwahati for examination, comparison and expert opinion. The preserved and seized hand-wash of the deceased person was also sent for examination and opinion. The Investigating Officer collected the mechanical examination report of seized Motor cycle bearing R-No.AS-26/4988. The certified copies of the expert opinions were collectively exhibited as Ex.SW15/4.

61. The witness further deposed that the Investigating Officer recorded statements of the complainant (Ex.SW15/5); statements of witnesses numbering four were collectively exhibited as Ex.SW15/6. Statements of eleven witnesses were recorded during investigation, which were collectively exhibited as Ex.SW15/7. The witness further revealed that the Investigating Officer interrogated accused Ranjai Basumatary (24 years), @ kipi Honsia and recorded his statement in which he confessed that he was a NDFB(S) cadre. The said statement is exhibited as Ex.SW15/8. The case is pending investigation due to non-receipt of some expert opinion reports from FSL, Kahilipara, Guwahati.

62. Citing the incidence in Case No.57/14 under Section 120(B)/121/121(A)/122/307/353 IPC read with Section 25 (I-A)/27(2) Arms Act, read with Section 4 ES Act and read with Section 15/16 UA(P) Act at police station Runikhata, the witness deposed that on 04.08.2014 at about 11:30 a.m. Complainant Major P.N.Sujay Kumar lodged FIR to the effect that on 03.08.2014 at about 07:30 p.m. when they were present near Bhur Tiniali, they noticed movement of three suspected NDFB(S) cadres. When came near, they were ordered to stop and identify themselves. On that, they suddenly started firing aiming at the police party. In retaliation, the police party also fired back in self defence. After the firing stopped and the area was searched, one NDFB cadre namely, Sri Jeekchan Basumatary along with one 7.65 pistol and 5 rounds live ammunitions was apprehended. The other militant, Ashok Musahary @ M.Ankhwma was found lying in injured condition and was shifted to JSB Civil hospital, Kajalgaon where he was declared dead. One 9 mm pistol, six rounds live ammunition, one hand grenade and three mobile handsets and six SIM cards were recovered from his possession. Copy of the FIR is exhibited as Ex.SW15/9 and the copies of the seizure lists are collectively exhibited as Ex.SW15/10. Statement of the complainant is exhibited as Ex.SW15/11; statements of witnesses to the seizure memos are collectively exhibited as Ex.SW15/12. Statements of witnesses recorded during investigation are collectively exhibited as Ex.SW15/13. Statement of accused Sri Jeckchan Basumatary recorded during investigation is exhibited Ex.SW15/14 in which he admitted himself to be involved in the activities of NDFB. Certified copies of expert opinions are collectively exhibited as Ex.SW15/15. The case is still pending investigation.

63. The witness further gave details of another case No.66/13 registered under Section 120(B)/121/121(A)/122/353/307 IPC read with Section 4 ES Act, read with Section 25 (1-A)/27(2) Arms Act, read with Section 15/16 UA(P) Act at Police Station Amguri and deposed that on 08.12.2013 at about 03:00 a.m. on receipt of a specific input about a group of 2/3 heavily armed hardcore NDFB(S) militants in a jungle area of Dwiswmguri under Amguri PS, a joint operation was carried out at around 06:15 a.m. The search party found three suspected militants taking shelter in the jungle. On seeing the search party, the militants immediately opened indiscriminate fire and ran in different directions. Search party also opened a controlled retaliatory fire to stop the militants from fleeing. After the firing a search was resumed in the area and one militant in injured condition was found lying nearby the patch of the jungle. He was immediately shifted to JSB Civil hospital, Kajalgaon where he was declared dead. Various arms and ammunitions were recovered from the deceased and from the place of shelter. The deceased was later on identified by Sri Boloram Basumatary. The dead body was handed over to Sri Biloram Basumatary after the post- mortem examination. The witness proved the copy of the FIR (Ex.SW15/16); copies of seizure lists collectively exhibited as Ex.SW15/17; statement of the complainant (Ex.SW15/18); statements of the witnesses to the seizure memos collectively exhibited as Ex.SW15/19; statements of witnesses recorded during investigation collectively exhibited as (Ex.SW15/20); expert opinion reports collectively exhibited as (Ex.SW15/21) and certified copy of the VCNB of the deceased person (Ex.SW15/22). The case is still pending investigation.

64. Giving details of another incident in Case No.162/2013 under Sections 120 (B)/121/121(A)/122/353/307 IPC read with Section 25(!)(a)/3527(@) Arms Act read with Section 4 E/S Act and read with Section 10/13 UA(P) Act registered at police Station Dhaligaon, the witness testified that on 02.09.2013 at about 11:30 p.m. on receipt of specific input that a group of about 5/6 heavily armed NDFB(S) militants would come via the Khagrabari-Dawkhanagar Road to either kidnap some businessmen or cause blast in the general area of Dhaligaon/Bongaigaon Town, an ambush was laid near Khagrabari Tiniali under Dhaligaon police station. At about 3:35 a.m. next day, a group of suspected miscreants was spotted. They were asked to stop for checking/frisking. The militants suddenly lobbed a grenade (which failed to explode) and opened fire upon the police/security personnel which was retaliated. The exchange of fire lasted for about 10/15 minutes. During the search one HE/36 unexploded Hand grenade, one lever, one Arming Ring, one Safety Pin, one 9mm factory made pistol, 9mm live ammunition (1misfired), 9 mm empty cartridge eight in number and AK Rifle ammunition empty cases-14 were recovered. The case was registered vide FIR (Ex.SW15/23). The articles recovered from the spot were seized vide seizure memo collectively exhibited (Ex.SW15/24). Statement of the complainant was recorded vide Ex.SW15/25. Statements of witnesses and seizure memos are collectively exhibited as Ex.SW15/26. Statements of ten witnesses recorded during investigation are collectively exhibited Ex.SW15/27.

65. The witness further deposed that Investigating Officer interrogated accused Sri Ejona @ Ankur Champamari and Sri Sanjay Basumatary and recorded their confessional statements which are collectively exhibited as Ex.SW15/28. The confessed to be hardcore members of NDFB(S) cadre. Certified copies of the expert opinions are collectively exhibited as Ex.SW15/29. Certified copies of the VCNB of the deceased/accused persons is collectively exhibited as Ex.SW15/30. The case is still pending investigation.

66. The witness also gave details of another case No.28/13 under Sections 120(B)/121(A)/122/353/307 IPC, read with Section 25(1-A)/27(@) Arms Act read with Section 4 ES Act and read with Section 15/16 UA(P) Act registered at Police Station Runikhata. He deposed that on 11.12.2013 at 10:00 a.m. complainant Aditya Singh Senger lodged an 'ejahar' at Runikhata Police Station to the effect that when they were present for search operation at the spot, at about 1:30 a.m., the search party located three suspected militants taking shelter in some haystacks and immediately challenged them to come out but the militants opened indiscriminate firing which was responded in self-defence. After firing stopped, the area was searched and three injured youths were found at the spot and were shifted to Civil hospital, Kajalgaon for treatment. Two of them were declared brought dead by the doctor and the third one namely, Nikodin Narzary (19 years) was referred to GMCH, Guwahati for better treatment. The deceased were identified as Pranjit Narzary (20 years) and Jiri Narzary (19 years), both of village Raidangbari police station Runikhata. Various arms and ammunitions were recovered from their possession. The witness proved the copy of the FIR (Ex.SW15/31). Copies of the original seizure memos were collectively exhibited as Ex.SW15/32. Separate copies of the expert opinions were collectively exhibited as Ex.SW15/33. Statement of the complainant was exhibited as Ex.SW15/34. Statements of the witnesses to the seizure memos are collectively exhibited as Ex.SW15/35. Statements of witnesses recorded during investigation are collectively exhibited as Ex.SW15/36.

67. PW-15 further deposed that in case FIR No.57/14 under Sections 120(B)/121/121(A)/122/307/353 IPC, read with Sections 25 (I-A)/27(2) Arms Act, read with Section 4 ES Act and read with Sections 15/16 UA(P) Act, one person was arrested at the spot and has been identified by the members of police team. Some arms and ammunition were recovered from him at the spot.

68. Regarding FIR No.66/13 under Sections 120(B)/121/121(A)/122/353/307 IPC, read with Section 4 ES Act, read with Section 25 (I-A)/27(2) Arms Act and read with Sections 15/16 UA(P) Act, he disclosed that letter-head of NDFB was recovered at the spot. Statement of witness Ronan Narzary under Section 164 Cr.P.C. was recorded before the Court of SDJM, Bijni, in which he identified the person killed in encounter.

69. Regarding FIR No.28/13 under Sections 120(B)/121(A)/ 122/353/307 IPC, read with Sections 25 (I-A)/27(2) Arms Act, read with Section 4 ES Act and read with Sections 15/16 UA(P) Act, he reported that one member of the organization i.e.Nikodin Narzary was injured in the encounter. He is still under treatment. The doctor has not given permission to interrogate him so far. Statements of 5/6 witnesses have been recorded under Section 164 Cr.P.C.

70. The prosecution examined SW-16 Manoj Narzary, Sub Inspector Runikhata police station posted since March 2014 there. He has given his evidence by way of affidavit Ex.SW16/1. It bears his signatures at point 'A' and 'B'. Being the investigating officer of Case No.57/14, he has corroborated the version given by SW-15 (Ranjan Bhuyan) on all the material facts. He deposed that the case dairy revealed involvement of NDFB(S) cadres in the above unlawful activities.

71. SW-17 Sunil Kumar, IPS, Superintendent of Police, Kokrajhar District, has filed his evidence by way of affidavit (Ex.SW17/1) which bears his signatures at point 'A' & 'B'.

72. Revealing the details of case No.57/13 under Sections 120(B)/121/121(A)/122/353/326/427/307/302 IPC, read with Section 25 (I-A)(b)/27 Arms Act, read with Section 10/13 UA(P) Act, he deposed that on 26.09.2013 at 11:30 A.M., SI Narayan Ch.Barman, I/C Rupshi OP along with other members of the team went to Maltijhora, Bannyaguri area to perform government duties. When they were returning, some militants armed with sophisticated weapons attacked the police vehicle by firing indiscriminately as a result of which SI Narayan Ch.Barman and driver Madan Ray died at the spot whereas Hav.Sahajahan Mia sustained grievous injuries. The vehicle was partially damaged due to bullet hit. The police party retaliated by return fire upon the extremist but they managed to escape under the cover of the dense forest. Arms and ammunitions were recovered at the spot. During investigation, it was found that NDFB(S) extremists were responsible for the incident. Raids were regularly conducted and in one such raid the main culprits, namely, (1) Mono Kr.Brahma @ B.Musuka (22 years) and (2) Pradip Brahma @ Tepra (19 years) belonging to NDFB(S) extremist group were killed by district Police and Army in an encounter at Bashbari, Monglajhora forest for which Case No.58/2013 was registered at Police Station Kazigaon. Many articles and ammunitions were seized from the slain militants. Suspects (1) Binod Sangma, (2) Uttam Brahma, (3) Anil Brahma, (4) Ambika Brahma, (5) Sujoy Brahma and (6) Ajit Brahma. Sunanda Thakura, Circle Inspector, Kazigaon arrested a hardcore NDFB(S) extremist namely Pradip Brahma @ Pwler who disclosed his active involvement to the brutal killing incident of Narayan Ch.Barman along with his driver as per his statement recorded under Section 161 Cr.P.C. The investigation revealed that NDFB(S) extremists frequently visited the houses of the villagers of the village Monglajhora, Bannyaguri, Tipkai etc. and took shelter, fooding etc. by their active supports the crime was committed by NDFB(S) extremists group for showing their power and existence. The witness further deposed that during investigation, statement of seven witnesses were recorded. He proved certified copy of the FIR (Ex.SW17/2); copy of G.D.Entry (Ex.SW17/2A); certified copy of the seizure lists (Ex.SW17/3); statements of arrested NDFB(S) extremists collectively exhibited as Ex.SW17/4 and statements of witnesses collectively exhibited as Ex.SW17/5.

73. Giving detailed account of another case FIR No.01/2014 under Sections 120(B)/121/121(A)/122/341/326/307/302 IPC read with Section 25(I-A)/27 Arms Act, read with Section 10/13 UA(P) Act registered at Police Station Serfanguri, the witness disclosed that on 18.01.2014 at 07:10 p.m., the complainant Akhilesh Kr.Singh lodged an ejahar at Serfanguri Police Station to the effect that on 17.01.2014 while he along with his brother, Pappu Singh was coming from Siliguri towards North Lakhimpur by Bus No.AS-01-CC/7977 at about 8:00 p.m. when they arrived near Athiabari Tinali, on the 31(C) NH Way, about 8/9 number of extremists with sophisticated arms and wearing Army dresses stopped the vehicle and forcefully brought them down along with other passengers. After that, the vehicles were made to leave from the spot and the extremist group cold-bloodedly and mercilessly fired on the passengers who were forced to de-board from the bus. As a result of firing, the complainant's brother Pappu Kumar Singh and four others, namely, Ahet Bihari Giri (20 years), Rash Bihari Giri (19 years), Shomsher Montri (20 years) and Anikul Sk (23 years) died at the spot. Other passengers namely Anmol Gupta (17 years), Pramanand Ojha (35 years), Babulal Karmakar (38 years) received bullet injuries. The complainant somehow managed to escape from the spot. After lodging the report, the police team rushed to the spot and recovered five unidentified bullet ridden dead bodies and three numbers of seriously injured persons. They were immediately sent to the Lower Assam hospital, Bongaigaon for medical treatment. During search of the spot, various arms and ammunitions were recovered. Vigorous search was made to nab the extremist. During investigation, it came to light that NDFB(S) group was involved in the case. Nine nos of NDFB(S) hardcore activists and linkmen were arrested and forwarded to judicial custody. They were (1) Birkhang Narzary @ Burlung Buthur, (2) Swmkhwr Brahma @ Khurwi, (3) Mithinga Mushahary @ Milan, (4) Milan Basumatary @ Mahendra, (5) Khwmtha Narzary @ Khwmdwn, (6) Uniliash Mushahary @ Jetely, (7) Gopinath Narzay, (8) Uttam Narzary and (9) Rinol Narzary. The arrested cadres confessed their crime and revealed that they had clear instructions to target Hindi speaking people and had killed them. The massacre was committed in retaliation of killing NDFB(S) cadre Mr.Raja Basumatary on the same day by Security forces in an encounter in Kachugaon PS area Raja was dreaded cadre of that group. The witness informed that Mr.Jablang was later on killed in one encounter on 10.01.2015. That militant had a reward of `5 lacks on him as declared by Assam Police. During further investigation, eighteen witnesses were examined. From their statements, it revealed that NDFB(S) cadres heavily armed had attacked the passengers specially Hindi speaking people of the bus with sophisticated arms and ammunitions. Nine arrested accused persons in their

statements have admitted killing under the leadership of Commander B.Jablang of NDFB(S) group to show their power and strength over the sovereignty of the country.

The witness proved certified copy of the FIR and copy of the original complaint (Ex.SW17/6); certified photocopy of the seizure lists (Ex.SW17/7); expert report (Ex.SW17/8); statements of arrested accused persons collectively exhibited as Ex.SW17/9 and statements of witnesses collectively exhibited as Ex.SW17/10.

74. Another case FIR No.155/2014 under Section 448/457/302/307/326/324/427/34 IPC, read with Section 27 Arms Act was registered at Police Station Gossaigaon. The witness deposed that on 01.05.2014 at about 11:30 p.m., a group of unknown miscreants numbering 20/25 Bodo youths, suspected members of NDFB(S) group, armed with deadly weapons entered into the village, Balapara Part-I under Tulshibil OP of Gossaigaon Police Statioln and fired indiscriminately upon the inhabitants. Six persons, namely, (1) Mosstt.Sayaton Bewa (40 years), (2) Mosstt.Sunabhan Bibi (22 years), (3) Miss Suhana Khatun (2 years), (4) Md.Badsu Sk (52 years), (5) Mostt.Jelina Bibi (25 years) and (6) Miss Farida Khatun (6 years) died at the spot due to bullet injuries. Three persons sustained grievous injuries. The victims were immediately admitted at Sapatgram Civil hospital. On 02.05.2014 in the morning the critically injuried Mosstt. Mahasbhan Bibi @ Mahiron Bibi succumbed to her injuries at Dhubri Civil hospital. On receipt of information, the Investigating Officer along with senior police officer rushed to the spot and efforts were made to nab the culprits. During preliminary investigation, it was suspected that the above incident was the handiwork of the NDFB(S) extremist group to demonstrate their seditious intentions and strength. The case was taken over by National Investigating Agency (NIA) for investigation as per Govt. order vide No.11011/30/2014/IS-IV dated 20.05.2014. All records and case diaries of the said case were handed over to the National Investigating Agency for further investigation. The witness proved the certified copy of the FIR and GD entry Ex.SW17/11 and Ex.SW17/12 respectively. Copies of the Government Orders transferring investigation to NIA is Ex.SW17/13.

75. This witness has filed additional affidavit (Ex.SW-17/14) which bears his signatures at point 'A' and 'B' to bring on record certain new facts. He deposed that in June 2014, several media correspondents were called by Mr.B.Jablang, self-styled platoon commander of Kokrajhar platoon of NDFB in which he had displayed the sophisticated weapons and challenged (in Vernacular Bodo language) the Government of India and Security forces. He further disclosed that on 17.01.2014, after the massacre of Hindi speaking people with reference to Case No.01/2014 Police Station Serfanguri, B.Jablang had called one media reporter and had taken the responsibility of the massacre. The said footage was actually recorded by local electronic media and broadcasted on various T.V.channels. The six cadres who displayed weapons in that video were later on arrested in one operation by the police and the said weapons were recovered. B.Jablang was killed in encounter in January, 2015. The witness brought on record video CD seized from the media (Ex.SW17/15) and its transcript (Ex.SW17/16).

76. SW-17 also proved the video clipping of press briefing by NDFB(S) leaders viz Mithinga and B.Jablang on 17.06.2014. The transcript of which is Ex.PW17/16. It reads as under:

"TRANSCRIPT (BODO TO ENGLISH TRANSLATION) OF THE VIDEO CLIPPING OF PRESS BRIEFING BY NDFB (S) LEADERS VIZ.MITHINGA AND B.JABLANG ON 17/06/2014.

(**A) Mithinga** [Second in Command of Kokrajhar Platoon of NDFB(S), since arrested on 08/01/2015.]:-

Bodo :- 'Of the Indian govt. for short time". Jabai de.

English :- They will reply to the Indian Govt. within short time..... OK.

(B) Jwblang [Commander of Kokrajhar Platoon of NDFB(S) and since killed in encounter on 10/01/2015] :-

Bodo :- " Jwnghatho beyao jebw bungnangou gwiya, jwngni sayao Oitachar khalamdwng

jwngbw bini khithwrkhw thap lagwn, India
sarkara bini thakhwi thak-thiyari janaiya
gwnangthi dong."

English :- "We don't have anything to say at this
incident. They (Indian Govt.) are
harassing us and we will taken revenge
soon. Indian Govt. should be prepared to
face the consequences."

77. SW-18 is Binanda Basumatary, Sub-Inspector, presently serving as O/C Serfanguri Police Station, Kokrajhar, District since 17.02.2014 has filed evidence by way of affidavit (Ex.SW18/1) which bears his signatures at point 'A' & 'B'. He is the Investigating Officer of Case No.01/14 under Section 120(B)/121/121(A)/122/341/326/307/302 IPC read with Section 25 (I-A)/27 Arms Act, read with Section 10/13 UA(P) Act Police Station Serfanguri. He has deposed on similar lines of SW-17 (Sunil Kumar) on all material facts.

78. Another witness examined SW-19 Mojibur Rahman, APS, presently serving as Superintendent of Police, Baksa District since 15.07.2014 has given evidence by way of affidavit as Ex.SW19/1 bearing his signatures at point 'A' and 'B". Giving details of Case No.104/2014 under Sections 25(1-A) Arms read with Section 5 ES Act read with Section 10/13 UA(P) Act registered at Police Station Goreswar, he deposed that on 10.11.2014 at 7:55 A.M. a secret input was received that four NDFB(S) activits were taking shelter in the house of Shri Deben Narzary of No.3 Balabari under Goreswar Police Station of Baksa District. Accordingly, the search team went there and conducted search in the house and premises of Deben Narzary in the presence of local witnesses. During search, NDFB(S) cadres namely (1) Ratan Boro, (2) Namalu Boro and (3) Siran Boro were apprehended and number of arms and ammunitions and explosives were recovered from them. Copy of the FIR registered in this regard is Ex.SW19/2. Copy of seizure memos are collectively exhibited as Ex.SW19/3; statements of witnesses recorded are collectively exhibited as Ex.SW19/4. The witness further revealed that all the apprehended cadres were arrested and forwarded in judicial custody.

79. Regarding Case No.90/2013 under Section 120(B)/384 IPC read with Section 25 (1-A)/27 Arms Act, read with Section 5 of ES Act and read with Section 10/13 Unlawful Activities Prevention Act, Police Station Goreswar, the witness stated that on 31.10.2013 at 04:30 a.m. basing on a specific information, a joint team of Army and Police conducted search operation at Belguri Chupa of Ouguri village under Goreswar Police Station and apprehended four NDFB(S) cadres namely (1) Bijoy Boro @ B.Bukhreb (24 years); (2) Farman Boro (26 years); (3) Upen Boro (23 years) and (4) Sansuma Narzary (25 years) from the house of one Kularam Boro where they were taking shelter. Various arms, ammunitions and explosives were recovered from their possession. Certified copy of the FIR is Ex.SW19/5; copies of the seizure memos are collectively exhibited as Ex.SW19/6 and statements of relevant witnesses is collectively exhibited as Ex.SW19/7. The witness further stated that all the apprehended NDFB(S) were arrested and forwarded into judicial custody. Statements of witnesses were recorded during investigation.

80. The witness gave detail of another case No.26/14 under Sections 120(B)/121/121(A)/34 IPC read with Section 25 (1-A) Arms Act and 4/5 ES Act registered at Police Station Tamulpur and deposed that on 24.02.2014 at noon while Major Paramjit Singh, Coy Commander of Kumarikata Army Camp was conducting mobile check post duty at Vill-Khairani near the bank of Pagladia river along with his troop and Civil Police, they apprehended two NDFB cadres namely (1) Iragdao Basumatary and (2) Gaodang Basumatary @ Bikram Basumatary and recovered from their possession various arms and ammunitions. Certified copy of the FIR recorded is Ex.SW19/8. The witness further deposed that during investigation, on the basis of information revealed from the interrogation of the above cited NDFB cadres one more NDFB activist namely Birdao Singh Boro @ B.Bwthwr was also apprehended. All the apprehended cadres were arrested and forwarded in judicial custody. Statements of various witnesses were recorded. The witness proved the copies of seizure memo collectively exhibited as Ex.SW19/9 and the statements of witnesses recorded collectively exhibited as Ex.SW19/10.

81. The witness further deposed that case FIR 07/13 (Ex.SW19/11) under Section 120(B)/121/122 IPC read with Section 25 (1-A) Arms Act and read with Section 17/18 UA(P) Act was registered at Police Station Salbari on the complaint of NK/Sub Jagdish Prasad. On 23.02.2013 afternoon basing on a specific secret information an Army mobile checking party laid Naka checking at Kawaimari chowk and intercepted/apprehended two NDFB activists namely (1) Sambhu Charan Basumatary and (2) Dilip Narzary. Three NDFB linkmen namely (1) Gadang Basumatary, (2) Sekhar Swargiary @ Ghana and (3) Bijoy Das were also apprehended. Various arms and ammunitions were recovered from the

apprehended NDFB cadres. All the apprehended NDFB cadres and linkmen were arrested and forwarded into judicial custody. During investigation, statements of various witnesses were recorded. The witnesses proved the copies of seizure memos collectively exhibited as Ex.SW19/12 and statements of witnesses collectively exhibited as Ex.SW19/13.

82. Regarding Case FIR No.44/13 under Section 121(B)/121/387 ICP read with Section 25(1-A) Arms Act, read with Section 17/18 UA(P) Act registered at Police Station Salbari, the witness deposed that on 27.09.2013 complainant Lalji Swagiary lodged an FIR that on that day at about 12 noon four NDFB activists came to the construction site of Pahumara river RCC bridge at Bhogpur ghat on two motorcycles and demanded money from the site in-charge. At that time local people gathered there and apprehended three activists namely (1) Gwmsar Daimary, (2) Saitha Basumatary and (3) Raju Basumatary. The fourth one managed to flee away. The apprehended youths disclosed before the local people that they were the members of NDFB (RD) group and had come to collect donation for their organization. One 9mm pistol, three 9mm live ammunition and two motorcycle were recovered from their possession. Statements of various witnesses were recorded during investigation. The witness proved the copy of the FIR Ex.SW19/14; copies of the seizure memo collectively exhibited as Ex.SW19/15 and statement of the complainant and other witnesses collectively exhibited as Ex.SW19/16.

83. SW-20 Sri Upendra Nath Sarnath, Inspector of Police, serving as Officer-in-Charge of Goreswar police Station since 23.07.2013 has filed his affidavit (Ex.SW20/1) which bears his signatures at point 'A' & 'B'. He is the investigating officer in Case FIR No.104/2014 under Section 25(1-A) Arms, read with Section 5 ES Act and read with Section 10/13 Unlawful Activities (Prevention) Act, Police Station Goveshwar He has corroborated the testimony of SW-19(Mojibur Rahman).

84. SW-9 Ms.Banya Gogoi, Superintendent of Police, Special Operation Unit, Government of Assam, Dispur, Guwahati has filed her evidence by way of affidavit (Ex.SW9/1) which bears her signatures at point 'A' & 'B'. Her duty is to monitor the unlawful and terrorist activities in the entire State.

85. She deposed that in view of the unlawful activities carried out by NDFB, the Government of India had declared the outfit NDFB with all its factions, wings and front organizations as an unlawful organization from time to time vide various Notifications, which have been upheld by different Tribunals under Section 4 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Similarly, the extension of the ban on NDFB along with all its fractions, wings and front organizations was again declared vide Notification No.S.O.2956 (E) dated Nov.23, 2014 published in the Official Gazette of India. She placed on record the Incident Chart (Ex.SW9/2) giving details of as many as 238 incidents from 23.11.2012 to 22.11.2014 in which NDFB was involved. It resulted in the death of 85 civilians and four Security personnel along with injury to 109 persons and 52 kidnappings. 657 NDFB cadres along with their linkmen were arrested and different assorted arms were recovered from their possession. She further deposed that NDFB continues to actively wage war against the State. They have been continuing its secessionist and violent activities with a view to establish a sovereign Bodoland by stepping up its acts of terrorist violence including attacks on Army/Police/Security force personnel and law abiding civilians and destruction of public and private properties. The outfit has established a number of camps/hideouts in Sherpur district and the Chittagong Hill tracts of Bangladesh bordering with Meghalaya and Mizoram respectively and also in Myanmar. The establishment of camps on foreign soil has facilitated the training of the NDFB cadres which remained unchecked. This has facilitated the continuance of their depredatory activities in the State as after imparting training to the newly recruited cadres in foreign soil, they are deputed to the State for committing subversive activities. She further stated that NDFB's leadership stationed in Bangladesh including self styled President Ranjan Doimary (since arrested in May 2010) is espousing the cause of establishing sovereign independent Bodoland. He urged trainees in a passing-out parade held in Khagrachari camp of Bangladesh to sacrifice their lives for establishing an Independent Bodoland. Since its inception, NDFB in pursuance of its secessionist objective has been indulging in large scale terrorist and subversive acts in the Bodo-inhabited areas within the district of Udalguri, Kamrup, Baksa, Barpeta, Kokrajhar etc. causing widespread panick and feeling of insecurity among the non-Bodo population and also the Bodos who oppose the secessionist ideology of the NDFB.

86. She further revealed that the organization has been continuing to maintain its unholy nexus with other North Eastern insurgent groups including ULFA, NSCN(K), NSCN(IM), KYKL, KLO, UPPK, HNLC, ANVC etc. It has established number of hideouts in various places and has established transit camps in collaboration with National Liberation Front of Tripura. She proved copies of interrogation statements of Ranjan Doimary collectively exhibited as Ex.SW9/3. Since interrogation was sensitive in nature, she sought leave of this Tribunal to file copy of the entire original statement translated into English in a sealed cover.

87. She further disclosed that following the arrest of some senior leaders including the Vice Chairman, the General Secretary of NDFB and decreasing trend of public support base after the formation of BTAD, the NDFB declared unilateral cease fire w.e.f. 15.10.2004. The Agreement of Suspension of Operation was signed between Government of India, Government of Assam and the NDFB leadership w.e.f. 01.06.2005 for one year which was extended for another six months only w.e.f. 01.06.2006 because of the secessionist philosophy pursued by NDFB even after ceasefire. Since then the Agreement of Suspension of Operation has been subsequently extended in phased manner till 30.06.2015. Despite that it was reiterated that significant chunk of hardcore NDFB cadres and its leaders are causing major unlawful and violent activities in the State of Assam to achieve its secessionist objective.

88. She disclosed that even after the Agreement w.e.f. 01.06.2005, in 2005 the outfit committed five numbers of violent incidents where two innocent civilians were killed; twenty eight violent incidents were committed in 2006 resulting in the death of seven civilians. In 2007, thirty six violent incidents were committed where three civilians died. Meanwhile, the leadership of NDFB in Assam was contemplating to drop the issue of sovereignty from the Charter of Demand with a view to expediting the peace progress which was not accepted by Ranjan Doimary. It gave birth to conflict among the leadership centring round the sovereignty issue. Gobinda Basumatary General Secretary of NDFB submitted the revised Charter of Demand in September 29/08 to the Government of India where issue of sovereignty was dropped. Ranjan Domary started to intensify violence in his area of influence by regrouping his loyalists. In 2008, there was a spurt in commission of violence and other subversive activities. Total 128 number of violent incidents took place where 126 civilians were killed which included gruesome incidents of serial bomb blasts that took place on October 30/08 in four towns of Assam including Guwahati City where 89 persons died and 593 persons sustained injury. On December 15, 2008, Ranjan Doimary was replaced by Dhiren Boro as President of outfit. They have re-christened themselves as NDFB (Progressive) and have amended their constitution. On December 12, 2008 the outfit formally splitted. While Dheeren Bodo led NDFB (under Agreement of Suspension of Operation), the Ranjan Doimary led NDFB started to strengthen its position on the ground by committing subversive activities. Finally, Ranjan Doimary was arrested on 1st May, 2010. Subsequently, several BD based major leaders of the outfit were also apprehended which included the vice President and the GS of the outfit etc. Ultimately, the leadership expressed its desire to join peace process and to resolve their issues through negotiation with the Government. This resulted in declaration of unilateral cessation of hostility w.e.f.01.01.2011 by Ranjan Daimary faction which was later extended indefinitely w.e.f. August 01, 2011. The Agreement of Suspension of Operation was also signed by the representatives of GOI and GOA on November 29, 2013. Since then, the anti-talk Ranjan Daimary faction of NDFB previously known as NDFB (AT) has been rechristened as NDFB (RD) group. However, all the members of the NDFB (RD) have not joined the peace process. They have been found to have indulged in unlawful activities including kidnapping, killing, extortion etc.

89. She further disclosed that in July, 2012, when Ranjan Doimary was in judicial custody, I.K.Songbijit, Myanmar-based Chief of Army Staff of the outfit took the reins of the organization by playing ethnic card. By November, 2012, a distinct division surfaced in the outfit when Songbijit declared an interim counsel on November, 13, 2012 and declared to continue their struggle for their cause. Copy of the Press release is exhibited as Ex.SW9/5. The witness further revealed that Songbijit outfit which succeeded in consolidating his position in the outfit are now resorting to kidnapping, killing, extortion etc. in the State at the behest of Songbijit and his Myanmar based associates. She proved the report of Ministry of Home Affairs, New Delhi and Reports of SPs of different districts showing involvement of NDFB (RD) in unlawful activities collectively exhibited as Ex.SW9/6. She further deposed that there are innumerable instances of extortion by NDFB (Songbijit faction) across the State from different individuals, businessmen, contractors by resorting kidnapping. She proved the demand letter of Sri Naba Doley and debriefing statement of Pradip Basumatary @ B.Jile and Ankhang Brahma collectively exhibited as Ex.SW9/7. Narrating detail of incidents committed by NDFB(S) cadre on September 21, 2013 when Anil Kumar Agarwal, General Manager, NHPC along with his driver, namely, Kumar Tamang was kidnapped she deposed that a case by FIR No.248/13 under Section 341/363 IPC read with Section 25 (1-A) Arms Act and Section 10/13 UA(P) Act was registered at Police Station Chariduar. She proved debriefing statement of Radev Goyari @ G.Rwnhwngra and Report of SP Sonitpur dated 05.11.2013 collectively exhibited as Ex.SW9/8; report of SP Chirang regarding case No.333/13 under Section 365 IPC registered at Police Station Bijni (Ex.SW9/9); report of SP Sonitpur (Ex.SW9/10) in case FIR No.61/2014 under Sections 326/307/302/353/34 IPC, read with Section 27(2) Arms Act, read with Section 10/13 UA(P) Act registered at Police Station Dhekiajuli; report of SP Kokrajhar (Ex.SW9/11); report of SP Chirang (Ex.SW9/12) in case FIR No.60/2014 under Sections 120(B)/147/148/149/448/302/325 IPC, read with Section 27(2) Arms Act and read with Section 15/16 UA(P) Act; report of SP Kokrajhar (Ex.SW9/13) in case FIR No.01/2014 registered at Police Station Serfanguri; report of SP Kokrajhar in case FIR No.155/2014 registered at Police Station Gossaigaon collectively exhibited as Ex.SW9/14. She further proved report (Ex.SW9/15) regarding the incidents of killing of target groups; letter No.GX/PN/2013-589 of Subsidiary Intelligence Bureau (Ministry of Home Affairs), Government of India, Guwahati dated 10.04.2013 and fax message No.11012/1/2014-NE-IV dated 13.06.2014 collectively exhibited as Ex.SW9/16; MHA U.O.Report No.11012/1/2013/NE-IV dated 21.05.2013 (Ex.SW9/17); report of SP Sivsagar (Ex.SW9/18); fax Message No.11012/01/2013 NE.IV dated 05.04.2013 of MHA (Ex.SW9/19); report of SP Kokrajhar dated 19.1.2013 (Ex.SW9/20); fax message dated 09.07.2014 (Ex.SW9/21); copy of the paper cutting of Assam Tribune dated 16.07.2014 (Ex.SW9/22); letter No.11012/113/2012/NE-IV dated 17.10.2014 (Ex.SW9/23); debriefing statement of Birphung Basumatary, Anjad Basumatry and fax message No.11012/1/2013-NE.IV dated 17.05.2013 collectively exhibited as Ex.SW9/24; another fax message dated 06.05.2014 (Ex.SW9/25); report of SP Sonitpur dated 5.11.2013 (Ex.SW9/26); another report of SP Sonitpur dated 15.10.2013 (Ex.SW9/27); fax message dated 1.07.2014 (Ex.SW9/28); fax message dated 5.4.2013 and letter dated 6.9.2014 collectively exhibited as Ex.SW9/29; copy of relevant news paper clippings (Ex.SW9/30); copy of press release dated 28.03.2014 (Ex.SW9/31); copy of press release dated 12.09.2013 (Ex.SW9/32).

90. The witness further deposed that in order to continue their subversive activities more effectively, the NDFB(S) has divided its area of operation into four different commands in Assam besides Guwahati City command which is

directly under the control of central committee. A new brigade namely Iragdao Brigade comprising cadres of 13th and 16th Battalion has been formed for their operational purpose.

91. The witness further deposed that available intelligence input indicated that some top ranking NDFB cadres were still camping in their Myanmar hideouts and spreading new unholy nexus with other militant outfits for strengthening their arsenal. Recruitment drive was also being carried out by the four commands of the outfit. Extortion and kidnapping were going in full swing for purchasing arms/ammunition and explosives from foreign mafia and to impart training to cadres. She claimed that the Notification banning the organization was necessary to curb and control the unlawful activities of NDFB which is detrimental to the sovereignty and integrity of India. Apparently, comprehensive details of the organization given by the witness speak volume of the nefarious activities of the outfit in the State.

92. SW-10 Mahadananda Hazarika, ACS, presently working as Joint Secretary to the Government of Assam, has filed evidence by way of affidavit (Ex.SW10/1) which bears his signatures at point 'A' & 'B' for confirmation of Notification No.S.O.2956(E) dated November 23,2014 (Ex.SW10/2). He has proved that Notification was widely circulated in Print and Electronic media. Copies of confirmation letters issued by the All India Radio, Guwahati and Doordarshan Kendra Guwahati collectively exhibited as (Ex.SW10/3); copies of news paper clippings collectively exhibited as Ex.SW10/4 showing proof of service. He proved copy of the incident chart (Ex.SW10/5); copy of the Constitution of NDFB (Ex.SW10/6); copy of the Agreement of Suspension of Operation signed on June 1, 2015 (Ex.SW10/7) and copy of the Press Release (Ex.SW10/8). He has corroborated the testimony of SW-18 (Binanda Basumatary) on all material facts. No detail dissension is called for as it would be just repetition.

93. Ms.Violet Baruah, Superintendent of Police, CID, Assam appearing as SW-21 has filed her evidence by way of affidavit (Ex.SW21/1) which bears her signatures at point 'A' & 'B'. She has proved the gist of cases comprising of NDFB activities (Ex.SW21/2) during last ten years; chart depicting year-wise recoveries of illegal arms and ammunitions etc. (Ex.SW21/3); copies of the various demand letters of NDFB in different cases (Ex.SW21/4). She revealed that during the last ten years, two numbers of cases involving NDFB have been entrusted to CID, Assam; 6 and 8 cases to the National Investigating Agency and Central Bureau of Investigation respectively by the Ministry of Home Affairs.

94. Giving detail of case No.143/12 under Section 302 IPC read with Section 27(3) Arms Act added Sections 16/18/19/20 UA(P) Act registered at Police Station Sootea, she disclosed that on 13.11.2012 at 6:40 p.m. complainant Sri Raju Kr Das lodged an FIR that on that day at about 12:30 p.m. while Adilur Rahman, proprietor of M/S Mahalaxmi T.E came out from the Tezal Patti Tea garden to go to Nagda on official purpose, he was shot dead on the way by unknown miscreants. The Investigating Officer along with his team rushed to the spot and shifted the victim Adilur Rahman and his PSO Motilal Tirki to the nearest Dholaibil Primary Health Centre for treatment Adilur Rahman was declared as brought dead and injured PSO was shifted to Tezpur Civil hospital for further treatment. Various arms and ammunitions were recovered. Statement of several witnesses were recorded who disclosed that NDFB extremists led by Sarsing Engti @ Sangbijit, Bhaben Basumatary @ B.Boko, Bokdao, Bikrai, Rangsrao, Ajit Narzary, Negro, Arbind Goyari, Gowreng and Rabin Basumatary were directly involved in the incident. Sixteen NDFB cadres and linkmen were arrested and forwarded to judicial custody. The investigation of the case was later taken over by CID, Assam on 25.01.2013. During investigation by CID, it was found that Sri Bhaben Basumatary @ B.Boko, the SS Eastern Commander of NDFB had given the order for execution of Adilur Rahman and accordingly their mission was accomplished along with the other NDFB cadres. Four more persons were arrested in connection with this case. She disclosed that NDFB cadres Kamal Khaklary @ Gowreng died in encounter with the police at Tarabari under Chariduar Police Station in case FIR No. 196/13 under Sections 120B/121/121A/307 IPC read with Section 10/13 UA(P) Act. Bwhuilong Iswary @ Bigrai Basumatary @ Anand Iswary was killed in encounter in Case No.36/2014 under Section 120B/121/121A/387/307 IPC read with Section 25(1-A)/27 Arms Act read with Section 10/13 UA(P) Act registered at Police Station Biswanath Chariali. She proved copy of the FIR, Seizure list, relevant statement of witnesses and accused along with their translated and typed copies collectively exhibited as (Ex.SW21/5).

95. Similarly she revealed the details of case FIR No.60/14 under Section 120(B)/147/148/149/302/325 IPC read with Section 27(2) Arms Act, read with Section 15/16 UA(P) Act registered at Police Station Runikhata and proved the copy of the FIR, Seizure memo and statement of witnesses collectively exhibited as (Ex.SW21/6). She further deposed that she had collected the video CD from the media and annexed as Exhibit-1. The contents of the same were not tampered or edited. The transcript was exhibited as Ex.SW21/7.

96. She further deposed that 14 number of cases involving the NDFB have been entrusted to the NIA and CBI by the Ministry of Home Affairs. Case diaries have been handed over to them. The details of cases have been mentioned in the affidavit. She proved the list of cases registered for the last ten years against NDFB (Ex.SW21/8).

97. SW-21 has filed on record video footage (Ex.SW21/6) collected from T.V.Channel (News Live). It transcript is Ex.SW21/7. G.Bidai in connection with Case No.60/2014 under Sections 120(B)/147/148/149/302/325 IPC, read with Section 27(2) Arms Act, read with Section 15/16 UA(P) Act registered at Police Station Runikhata claimed that the girl was shot dead. He admitted that five of their cadres were killed. He claimed that the cadres were killed by Ranjan Daimary group and not by Indian Army. He threatened to kill Swagan's girl friend who had provided the information. He had the audacity to openly claim that they have to kill government people.

98. Ms.Neeta Gupta, Deputy Secretary, has been examined as CW-1 on behalf of Central Government. She has filed her evidence by way of affidavit (Ex.CW1/1) which bears her signatures at point 'A' & 'B'. She disclosed that in view of the information and material received from the State Government of Assam as well as the intelligence agencies regarding the activities of NDFB, the competent authority after taking into consideration the facts and circumstances, background of the case, prevailing conditions in the State of Assam, decided to ban the NDFB by declaring it as unlawful association under Section 1 of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 vide Notification No.2956(E) dated 23.11.2014 (Ex.CW1/A). Inputs, reports and information from the Intelligence Agencies and the State Government of Assam are privileged and confidential in nature and cannot be made available to the banned association or to any third party. She gave detailed account as to how NDFB originally known as Bodo Security Force was formed on 3rd October, 1986 and what was its aim. She gave various details about its activities since then. She revealed that during the year 2014, NDFB(S) had killed 144 persons, including one Security Force Personnel, in 133 violent incidents. It continues to target non-bodos, particularly Hindi speaking persons and Muslims. It also killed 46 Muslims mostly women and children, in three major incidents in Baksa and Kokrajhar districts of Assam on 1st and 2nd May, 2014, while it also suffered counter insurgency operation with the killing of 23 its cadres and arrest of 60 cadres. The suspected cadres of NDFB(S) fired upon adivasis at villages Pakriguri, Santipur and Lungsung and killed 26 Adivasis along with two Bengali persons on 23rd December, 2014. Again they fired at villages Simanpur, Phulbari, Rahumari, Batashipur killing 36 Adivasis on 23rd December, 2014. During the year 2014, NDFB (RD) was responsible for four incidents of violence. The outfit abducted a businessman of Gagamukh town in Dhemaji district on 6th July, 2014. In two separate incidents, three NDFB (RD) cadres were lynched in Sonitpur and Chirang districts on 28th May and 3rd June, 2014 respectively when they were extorting money, while four cadres of NDFB (RD) were apprehended. NDFB activists continued its activities despite ban in 1998. She proved on record findings of the various Tribunals (Ex.CW1/B, Ex.CW1/C, Ex.CW1/D, Ex.CW1/E and Ex.CW1/F). She proved major violence incidents committed by NDFB during the year 2014 (Ex.CW1/G); copy of the resume summarizing the activities of the cadres of NDFB (Ex.CW1/H). She further deposed that the activists of NDFB were still indulging in the anti-national activities for the reasons for which the organization was banned earlier. Central Government was of the opinion that the activities of NDFB were detrimental to the peace and internal security of India.

Findings:-

99. The issue before this Tribunal is as to whether on the basis of material placed on record, there was sufficient cause for declaring the aforesaid 'organization' as unlawful association and whether the Government of India was justified in declaring their activities as unlawful vide notification dated 23.11.2014 (Ex.CW1/A).

100. It is not necessary for this Tribunal to go into the history of NDFB organization prior to the year 1992. To know the aims and objectives of this organization and its past activities, it will be sufficient to relate back to the year 1992 when by notification dated 23.11.1992, the said organization was declared unlawful by the Central Government. The grounds, on which the said organization was declared unlawful, are almost the same at present. The previous Tribunals on consideration of material had declared the activities of the said organization as unlawful from time to time. Before adverting to the evidence, it is to be seen whether the statements recorded under Section 161 of the Cr.P.C. can be taken into consideration by the Tribunal or not. In *Union of India vs.Students Islamic Movement of India and Ors.*99 (2002) DLT 147, The Delhi High Court observed:

> *"The confessional statements referred to and relied upon by the Government, were recorded during investigation of the criminal cases in which they were arrested. Section 25 of the Evidence Act provides that no confession made to a police officer shall be proved against a person accused of any offence. The expression 'a person accused of an offence' describes the person against whom evidence is sought to be proved in a criminal case. The adjective clause 'accused of an offence', is therefore, descriptive of the person against whom a confession is sought to be proved. The confessional statements, can be used in civil proceedings and other collateral proceedings under the Criminal Procedure Code. The inquiry before this Tribunal is clearly not a trial against the accused persons, who made the confessional statements. Therefore, in my considered view confessional statements made by the accused persons during investigation of different cases to the police or before the Court, would not be hit by Section 25 of the Evidence Act and are admissible in evidence, to show whether the accused persons were or are the members of the association, as well as to show whether activities of the association are unlawful or not."*

In *Suman & Ors. vs. State of Tamil Nadu,* AIR 1986 (Madras) 318, it was held:

> "*It has to be remembered that when Section 25 refers to a confession which is not permitted to be proved as against a person accused of any offence, it refers to a confession made by an accused person which is proposed to be proved against him to establish an offence. The scope of Section 25 is therefore restricted only to a confession made by a person who is an accused that is being used in a proceeding to establish an offence against him."*

101. As to what is the material and how the same has to be considered by the Tribunal has been laid down by the Supreme Court in *Jamaat-E-Islami Hind vs.Union of India* JT 1995 (1) S.C.31. Supreme Court held as under:

> *"Section 4 deals with reference to the Tribunal, Sub-section 10 requires the Central Government to refer the notification issued under sub-section (1) of Section 3 to the Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the association unlawful. The purpose of making the reference to the Tribunal is an adjudication by the Tribunal of the existence of sufficient cause for making the declaration. The words adjudicating and sufficient cause in the context are of significance. Sub-section (2) requires the Tribunal on receipt of the reference, to call upon the association affected 'by notice in writing to show cause' why the association should not be declared unlawful. This requirement would be meaningless unless there is effective notice of the basis on which the declaration is made and a reasonable opportunity to show cause against the same. Sub-section (3) prescribes an inquiry by the Tribunal, in the matter specified, after considering the cause shown to the said notice. The Tribunal may also call for such other information as it may consider necessary from the Central Government or the association to decide whether or not there is sufficient cause for declaring association to be unlawful. The Tribunal is required to make an order which it may deem fit either confirming the declaration made in the notification or cancelling the same. The nature of inquiry contemplated by the Tribunal requires it to weight the material on which the notification under sub-section (10 of Section 3 is issued by the Central Government, the cause shown by the association in reply to the notice issued to it and take into consideration such further information which it may call for, to decide the existence of sufficient cause for declaring the association to be unlawful. The entire procedure contemplates an objective determination made on the basis of material placed before the Tribunal by the two sides; and the inquiry is in the nature of adjudication of a list between two parties. The out come of which depends on the wright of the material produced by them. Credibility of the material should, ordinarily, be capable of objective assessment. The decision to be made by the Tribunal is whether or not there is sufficient cause for declaring the association unlawful. Such a determination requires the Tribunal to reach the conclusion that the material to support the declaration outweighs the material against it and the additional weight to support the declaration is sufficient to sustain it. The test of greater probability appears to be the pragmatic test application in the context.'*

Supreme Court in para -14 further held that:-

> *"In Section 4, the words adjudicating and decide have a legal connotation in the context of the inquiry made by the Tribunal constituted by a sitting Judge of a High Court. The Tribunal is required to 'decide' after 'notice to show cause' by the process of 'adjudicating' the points in controversy. These are the essential attributes of a judicial decision."*
>
> *(Emphasis given)*

102. In *Union of India vs.Tulsiram Patel* AIR 1985 SC 1416, a Constitution Bench of the Court had the occasion of considering the expressions law and order, public order, security of the State, which are used in different Acts. In para 140 of the judgment, their Lordships observed as under:-

> *"The expressions law and order, public order and security of the State have been used in different Acts. Situations which affect public order are graver than those which affect law and order and situations which affect security of the State are graver than those which affect public order. Thus, of those situations those which affect security of the State are the gravest. Danger to the security of the State may arise from without or within the State. The expression security of the State does not mean security of the entire country or a whole State. It includes security of a part of the State. It also cannot be confined to an armed rebellion or revolt. There are various ways in which security of the State can be affected. It can be affected by State secrets or information relating to defence production or similar matters being passed on to other countries, whether inimical or not to our country, or by secret links with terrorists. It is difficult to enumerate the various ways in which security of the Stat can be affected. The way in which security of the State is affected may be either open or clandestine."*

103. Apart from the evidence which I have discussed elaborately above, the Government had also sought comments/views/inputs from other agencies. Letter dated 23.04.2015 received by this Tribunal containing a sealed envelope reveals that comments/views/inputs were received from Government of Assam (page 97-229); Ministry of Defence (page 230); Intelligence Bureau (page 231-234-c); Cabinet Secretariat (R& AW) (page 235); Directorate General, CRPF (page 236-238) and Directorate General, BSF (page 239). Details of these documents are not being

disclosed for obvious reasons. Crux of all these reports is that the ban on all the three factions of NDFB, under Unlawful Activities (Prevention) Act must be continued till these are finally disbanded. Lifting of ban at this juncture might provide these outfits a working space, promote the cult of violence and weaken democratic processes. It is estimated that NDFB (Songbijit) has 220-250 cadres with 180 assorted arms. The cadres of these outfits have good relations with Nepali Maoist groups based in Bhutan and they offer mutual help to each other in terms of shelter and logistics. Report has given details of major incidences of violence by NDFB. These pertain to the incidents in the year 2014 in various districts where civilians and security forces were killed. It is informed that NDFB-(Songijit faction), the most active IIG in Assam, is actively involved in subversive activities especially along with Indo-Bhutan border areas of Assam. They recently have kidnapped 4 Bhutanese nationals for ransom. The outfit has recently set up a transit camp in 'X' place (name withheld) to facilitate arms procurement. Similarly, it is disclosed that NDFB is still resorting to unlawful activities such as procurement of weapons, kidnapping and extortions from the general populace by means of criminal threats and intimidation. Besides, raising funds by extortion/kidnapping, from local civilians including non Bodo people, NDFB is consolidating itself by procuring sophisticated weapons, recruitment and training of new cadres in its safe sanctuaries, located across international border in Myanmar by establishing links with other insurgence. There agencies have also recommended to declare NDFB as unlawful Association beyond 22.11.2014 as there is no decline in their violent activities.

104. The entire evidence adduced on behalf of Central Government and the State of Assam before this Tribunal has remained unchallenged, uncontroverted and unimpeached. Adverse inference is to be drawn against NDFB for not responding to the notices issued to it by publication widely in print and electronic media at all stages for appearance before the Tribunal to contest the claim of the Government/State. Number of arrested NDFB cadres are in detention in various jails in numerous criminal cases registered against them under the Act. Specific directions were given to serve the process of appearance before the Tribunal to the members of the Cadre in custody through concerned Superintendent jails. Despite service in jails, none has appeared on their behalf to contest the Notification. In view of overwhelming evidence, oral as well as documentary, this Tribunal has no reason for entertaining any doubts about the credibility of the evidence and other materials.

105. It is relevant to note that earlier Notification dated 22.12.2008 published in the Official Gazette on 23.11.2008 to ban the organization was issued in similar circumstances. Justice S.N.Aggarwal, Judge, Delhi High Court was appointed by the Government of India as one man Tribunal by its Notification No.SO. 2869(E) dated 12.12.2008. The proceedings before the Tribunal were contested on behalf of NDFB and they even examined three witnesses in defence. The Tribunal by its report dated 18.05.2009 came to the conclusion that there was sufficient cause for declaring NDFB organization as an unlawful association. The Tribunal, accordingly confirmed the Declaration made by the Central Government. Subsequent Notifications were even not contested by NDFB. The findings recorded by Justice S.N. Aggarwal in its report dated 18.05.2009 were not assailed before any judicial forum by NDFB and that attained finality.

106. No sound/valid reasons exist to deviate from the findings recorded by various previous Tribunals particularly when NDFB has opted not to contest the Notification and to rebut the positive evidence adduced on behalf of the Government. Despite its ban since 1992, activities of the cadre have not come to an end. Rather these have increased considerably resulting in number of causalities of civilians as well as security personnel. In the process, number of NDFB cadre have also lost their lives in various encounters. The dead bodies of the Cadre members were identified by their family members. They never challenged the genuineness/authenticity of the encounters. No complaint was ever lodged before any Court of law or NHRC etc. as disclosed by SW-6 (Rupam Phukan). Many a times, victims in the encounters were police/Security Personnel or innocent civilians also. The incidents narrated by various witnesses are horrible. Various sophisticated/ formidable weapons were recovered at the spot and from the possession of the members of the organization. Considering the gravity of offence, many cases involving the members of NDFB have been entrusted for detailed investigation to National Investigation Agency and CID. Many NDFB activists are in judicial custody in criminal cases. The police/Army people had no animosity for falsely implicating them in heinous offences.

107. The confessional statements have also been placed on record. Statement of accused Bikunash Narzary in Case No.09/14 under Sections 353/307/326/120(B)/121/34 IPC, read with Section 25(I-A)/ 27 Arms Act, read with Section 15/16 UA(P) Act registered at Police Station Dhekiajuli, District Sonitpur, Assam was recorded on 01.02.2015 in which he admitted that he joined NDFB in June, 2005 and was enrolled by Dhekiajuli area commander namely Fanjary. After working for NDFB, he stayed in NDFB(S) faction and was its Central Commander. He was involved in ambush that took place on 02.03.2014. Naighab @ Nitul, Comthai, Thanki, Manthai, Monthey, Akkhaw were with him in the ambush party. It was the direction of higher authority of NDFB(S) to attack on security forces on chances. In another statement recorded under Section 161 Cr.P.C. in Case FIR No.03/14 under Section 302 IPC, read with Section 27(3) Arms, Act, read with Section 16 UA(P) Act, registered at Police Station Harisinga, Bikunash Narzary @ Birlangbai @ Lengra, confessed that he was posted as C.O.Central Commander and the area under his control were Udalguri, Mazbat and Dhekiajuli. He had directed his cadre namely Samao and Amrit to kill Bihari Barber residing at Ambagoan under Harisinga Police Station. On 18.01.2014 at about 06:00 p.m. they shot him dead. Samao has surrendered and at present he was at Sapmari Cease fire camp. Bihari Barber was killed as directed by him. Similarly, he recorded another statement under Section 161 Cr.P.C. in Case FIR No.11/14 under Section 387/353/307/326/34 IPC read with Section

25(1-A)/27 Arms Act, read with Section 4 of ES Act, read with Section 10/16 UA(P) Act registered at Police Station Dhekiajuli and confessed that on 25.03.2014, he was involved in Police and Cobra firing case. On that very night, He along with his associate Gendra, Anthai, Tonkey, Orkhaw and Maitha was sleeping at Mainowpur Jungle and they were in possession of various arms. On seeing the police and Cobra Party approaching towards them, Anthai opened fire towards police. Hearing the sound of firing, they got up and also opened fire which lasted for long duration. He came to know that in that firing, two persons of Police and Cobra sustained injuries. These confessions highlight the manifest intention of the Cadre to disrupt the territorial integrity and sovereignty of India.

108. The actions demonstrate that they have no faith in the Constitution of India and want to secede from Union of India. They are preaching hatred against non-Bodo residents of Assam, extort money from innocent people, acquire illegal arms, kill Hindi speaking people/non-Assamese indiscriminately. They have spread their wings throughout the State of Assam and have established links with other terrorists outfits of foreign countries. In various districts of State of Assam, they have perpetuated acts of ethnic and violence resulting in the killings/destruction of property and exodus of non-Bodos by spreading panic and insecurity and force them to migrate from Bodo areas.

109. The evidence produced both by the Central Government and the State of Assam, coupled with the absence of any denial of the proved facts by the NDFB or any contest by the organization, is sufficient to prove NDFB's intention to carry out violent activities in the State of Assam to create unrest which is prejudicial to the safety and security of the nation and thus an unlawful activity under Section 2(o) of the Act. Conclusion of the Central Government that the association has been engaging in subversive and violent activities, undermining the authority of the Central Government and spreading terror and violence among the people for achieving their objectives is fully justified. The opinion of the Central Government that the association is engaging in violent and unlawful activities, in pursuance of its aims and objectives, which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India is also justified.

110. Adjudication of reference by the Tribunal as contemplated under the Act is to safeguard against the mala-fide exercise of power by the Government. After analysis of the entire evidence, the Tribunal is satisfied that the activities of NDFB, its members, followers and sympathizers are subversive in nature. Their activities are secessionist and against the territorial integrity and sovereignty of India. Therefore, there is sufficient cause for declaring NDFB as an 'Unlawful Association' pursuant to Notification dated 23.11.2014 w.e.f. 23rd November, 2014 for a period of five years. The said Notification stands confirmed. The reference stands answered in the terms mentioned above.

111. It is made clear that observations in the report/reference shall have no impact on criminal cases pending before various courts against the organization or its members which shall be decided on their own merits.

JUSTICE S.P. GARG, Presiding Officer

Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

May 21, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.